



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे
2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार

विनियोग लेखे

2017-18

हरियाणा सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
विनियोग लेखे का सारांश	ii-xiii
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	xv-xvii
1. विधान सभा	1-2
2. राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्	3-4
3. सामान्य प्रशासन	5-9
4. राजस्व	10-21
5. आबकारी तथा कराधान	22-25
6. वित्त	26-35
7. आयोजना तथा सांख्यिकी	36-39
8. भवन तथा सड़कें	40-59
9. शिक्षा	60-73
10. तकनीकी शिक्षा	74-77
11. खेलकूद तथा युवा कल्याण	78-84
12. कला एवं संस्कृति	85-87
13. स्वास्थ्य	88-106
14. नगर विकास	107-109
15. स्थानीय शासन	110-114
16. श्रम	115-117
17. रोजगार	118-119
18. औद्योगिक प्रशिक्षण	120-124
19. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	125-129
20. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	130-135
21. महिला तथा बाल विकास	136-143
22. भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	144-145
23. खाद्य एवं पूर्ति	146-150
24. सिंचाई	151-177
25. उद्योग	178-182
26. खान एवं भू-विज्ञान	183-185
27. कृषि	186-197
28. पशुपालन तथा डेरी विकास	198-205
29. मछली पालन	206-208
30. वन तथा वन्य प्राणी	209-214
31. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	215
32. ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	216-225
33. सहकारिता	226-231
34. परिवहन	232-238

विषय सूची

	पृष्ठ
35. पर्यटन	239-242
36. गृह	243-249
37. निर्वाचन	250-252
38. लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	253-261
39. सूचना तथा प्रचार	262-264
40. ऊर्जा तथा विद्युत	265-269
41. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	270
42. न्याय प्रशासन	271-274
43. कारागार	275-277
44. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	278-281
लोक ऋण	282-283
45. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	284-288
परिशिष्ट	289
अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है ।	

हरियाणा सरकार के वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इन लेखाओं में -

‘मूल’ शब्द का आशय मूल अनुदान या विनियोग से है।

‘पूरक’ शब्द का आशय पूरक अनुदान या विनियोग से है।

‘पुनर्वि0’ शब्द का आशय समर्थ प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और **व्यय** मोटे अक्षरों में दिखाए गये हैं।

हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने पत्र संख्या पी.ए.सी.-10-89/12245 दिनांक 19 जुलाई 1989 द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड अनुमोदित किये हैं, जो विनियोग लेखे में टिप्पणी के लिए अपनाये गये हैं :-

बचत

क - जहाँ पर अनुदान/विनियोजन में कुल बचत है -

- (1) यदि अनुदान/विनियोजन में उसके अन्तर्गत किए गये कुल प्रावधान (मूल जमा पूरक) में 2 प्रतिशत से कम कुल बचत है तो व्यक्तिगत उपशीर्ष के अन्तर्गत कोई भी टिप्पणी अथवा टीकाएं आवश्यक नहीं है फिर भी बचत/आधिक्य के महत्वपूर्ण मामलों जहाँ उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रावधान में बचत 10 प्रतिशत तथा ₹20 लाख से अधिक है, पर टिप्पणी देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अलग अनुदान/विनियोजन मान्य होंगे।
- (2) ऐसे मामलों में भी जहाँ अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल बचत 2 प्रतिशत या अधिक हो।
- (अ) उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हो, बचत हेतु टिप्पणी शामिल नहीं की जायेगी।
- (आ) यदि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक है तब विनियोग लेखा में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा -
- (i) यदि राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹20 लाख से कम हो।
- (ii) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से कम हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹10 लाख से कम हो।

आधिक्य

ख - जहां कहीं अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है -

- (अ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है तो आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। फिर भी विनियोजन लेखा में आधिक्य का स्पष्टीकरण केवल अगर एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा ₹5 लाख से अधिक है देना आवश्यक है। फिर भी निम्नलिखित मामलों में जहां आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम हो विनियोग लेखा में स्पष्टीकरण देना होता है:-
- (आ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान:-
- (i) ₹30 करोड़ से अधिक तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹20 लाख से अधिक हो।
- (ii) ₹10 से ₹30 करोड़ के बीच में तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक हो।
- (iii) ₹10 करोड़ से कम तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹5 लाख से अधिक हो।

यद्यपि ये सीमाएँ बिना किसी पूर्वाग्रह के इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधान महालेखाकार द्वारा टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र में होगी।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
1 विधान सभा			
दत्तमत	72,05,00	0	65,48,37
प्रभारित	92,08	0	87,95
2 राज्यपाल तथा मंत्री प्ररिषद्			
दत्तमत	1,58,82,50	0	1,55,79,81
प्रभारित	17,65,21	0	16,95,69
3 सामान्य प्रशासन			
दत्तमत	3,00,70,20	0	2,80,16,73
प्रभारित	12,50,61	0	9,61,75
4 राजस्व			
दत्तमत	13,09,60,88	0	10,98,03,26
5 आबकारी तथा कराधान			
दत्तमत	2,61,76,45	0	1,95,87,81
6 वित्त			
दत्तमत	84,72,74,09	0	88,48,34,02
प्रभारित	1,19,01,56,63	0	1,19,75,44,29
7 आयोजना तथा सांख्यिकी			
दत्तमत	40,64,72	4,15,00,00	29,88,80
8 भवन तथा सड़कें			
दत्तमत	14,33,29,50	37,56,61,51	11,36,97,95
प्रभारित	5,00	30,00,00	0
9 शिक्षा			
दत्तमत	1,35,09,96,35	1,00,00,01	1,11,64,25,28
10 तकनीकी शिक्षा			
दत्तमत	4,37,84,01	0	3,45,22,67
11 खेदकूद तथा युवा कल्याण			
दत्तमत	4,57,54,20	50,00,00	2,46,34,51
12 कला एवं संस्कृति			
दत्तमत	15,48,04	0	11,64,53

लेखे का सारांश

पूंजीगत	बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		पूंजीगत
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
5	6	7	8	9	
(₹ हजार में)					
0	6,56,63	0	0	0	
0	4,13	0	0	0	
0	3,02,69	0	0	0	
0	69,52	0	0	0	
0	20,53,47	0	0	0	
0	2,88,86	0	0	0	
0	2,11,57,62	0	0	0	
0	65,88,64	0	0	0	
0	0	0	3,75,59,93	0	
0	0	0	(3,75,59,93,011)	0	
			73,87,66	0	
3,04,23,61	10,75,92	1,10,76,39	0	0	
26,02,27,14	2,96,31,55	11,54,34,37	0	0	
16,49,05	5,00	13,50,95	0		
0	23,45,71,07	1,00,00,01	0	0	
0	92,61,34	0	0	0	
34,95,00	2,11,19,69	15,05,00	0	0	
0	3,83,51	0	0	0	

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
13 स्वास्थ्य			
दत्तमत	35,08,23,89	5,84,65,00	30,74,16,74
प्रभारित	25,00	0	8,93
14 नगर विकास			
दत्तमत	1,04,84,35	15,00,00,00	50,89,28
15 स्थानीय शासन			
दत्तमत	54,41,68,79	0	39,78,75,57
16 श्रम			
दत्तमत	50,84,95	2,00,00	41,71,59
17 रोजगार			
दत्तमत	2,34,88,80	4,00	1,78,36,79
18 औद्योगिक प्रशिक्षण			
दत्तमत	4,19,75,19	38,86,17	2,97,63,66
19 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
दत्तमत	7,53,94,25	14,98,02	3,96,30,54
20 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
दत्तमत	51,37,14,77	12,92,00	49,10,14,32
21 महिला तथा बाल विकास			
दत्तमत	10,79,75,80	1,72,41,00	8,47,50,21
22 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण			
दत्तमत	1,30,52,94	0	1,11,70,06
23 खाद्य एवं पूर्ति			
दत्तमत	5,77,48,18	98,46,51,00	2,66,28,23
प्रभारित	30,00	0	29,89
24 सिंचाई			
दत्तमत	19,22,42,67	8,24,82,00	14,02,79,86
प्रभारित	0	70,00,00	0

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
1,69,48,82	4,34,07,15	4,15,16,18	0	0
0	16,07	0	0	0
10,00,00,00	53,95,07	5,00,00,00	0	0
0	14,62,93,22	0	0	0
0	9,13,36	2,00,00	0	0
3,27	56,52,01	73	0	0
24,55,99	1,22,11,53	14,30,18	0	0
3,50,00	3,57,63,71	11,48,02	0	0
42,00	2,27,00,45	12,50,00	0	0
61,53,80	2,32,25,59	1,10,87,20	0	0
0	18,82,88	0	0	0
90,98,05,51	3,11,19,95	7,48,45,49	0	0
0	11	0	0	0
9,15,94,11	5,19,62,81	0	0	91,12,11
57,60,91	0	12,39,09	0	(91,12,11,135)

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
	(₹ हजार में)		
25 उद्योग			
दत्तमत	3,63,55,91	10,01,01	1,29,17,44
प्रभारित	10	0	0
26 खान एवं भू-विज्ञान			
दत्तमत	66,92,00	0	64,21,59
27 कृषि			
दत्तमत	19,27,32,03	0	12,78,87,85
प्रभारित	12,00	0	3,71
28 पशुपालन तथा डेरी विकास			
दत्तमत	7,56,21,65	15,00,00	6,67,38,56
प्रभारित	16,00	0	13,40
29 मछली पालन			
दत्तमत	87,92,09	0	45,30,60
30 वन तथा वन्य प्राणी			
दत्तमत	4,56,11,80	0	3,13,91,36
प्रभारित	1,50,00	0	62,55
31 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
दत्तमत	8,92,90	0	5,56,83
32 ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास			
दत्तमत	45,53,85,21	12,00,00,00	33,60,17,20
प्रभारित	30,00	0	18,61
33 सहकारिता			
दत्तमत	3,37,41,61	3,35,58,50	3,28,26,08
प्रभारित	5,00		2,88
34 परिवहन			
दत्तमत	22,84,47,15	2,72,35,50	20,07,09,28
35 पर्यटन			
दत्तमत	4,54,10	67,20,00	2,82,92

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
2,09,82	2,34,38,47	7,91,19	0	0
0	10	0	0	0
0	2,70,41	0	0	0
0	6,48,44,18	0	0	0
0	8,29	0	0	0
14,08,74	88,83,09	91,26	0	0
0	2,60	0	0	0
0	42,61,49	0	0	0
0	1,42,20,44	0	0	0
0	87,45	0	0	0
0	3,36,07	0	0	0
0	11,93,68,01	12,00,00,00	0	0
0	11,39	0	0	0
2,90,36,03	9,15,53	45,22,47	0	0
0	2,12	0	0	0
2,26,71,87	2,77,37,87	45,63,63	0	0
16,71,99	1,71,18	50,48,01	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
	(₹ हजार में)		
36 गृह			
दत्तमत	41,18,83,75	3,08,00,00	36,00,87,69
प्रभारित	1,20,00	0	43,15
37 निर्वाचन			
दत्तमत	71,90,55	0	33,76,25
38 लोक-स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति			
दत्तमत	19,41,66,00	14,43,18,02	17,03,64,72
39 सूचना तथा प्रचार			
दत्तमत	1,64,04,01	50,00,00	1,34,49,20
40 ऊर्जा तथा विद्युत			
दत्तमत	1,05,74,64,20	56,00,27,05	76,52,47,76
41 इलैक्ट्रॉनिकस तथा सूचना प्रौद्योगिकी			
दत्तमत	1,27,04,60	0	1,26,97,20
42 न्याय प्रशासन			
दत्तमत	6,74,45,22	0	5,34,44,25
प्रभारित	1,28,56,28	0	1,26,74,19
43 कारागार			
दत्तमत	2,57,81,10	0	2,07,44,33
44 मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
दत्तमत	40,11,03	5,75,00	28,06,98
प्रभारित	51,63	0	23,97

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
2,25,84,92	5,17,96,06	82,15,08	0	0
0	76,85	0	0	0
0	38,14,30	0	0	0
11,69,20,31	2,38,01,28	2,73,97,71	0	0
49,37,86	29,54,81	62,14	0	0
54,54,43,76	29,22,16,44	1,45,83,29	0	0
0	7,40	0	0	0
0	1,40,00,97	0	0	0
0	1,82,09	0	0	0
0	50,36,77	0	0	0
	12,04,05	5,75,00	0	0
0	27,66	0	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
लोक ऋण			
प्रभारित	0	99,44,96,96	0
45 राज्य सरकार द्वारा कर्जे और पेशगियां			
दत्तमत	0	16,03,84,10	0
जोड़			
दत्तमत	7,46,49,77,43	2,82,29,99,89	6,13,59,28,68
प्रभारित	1,20,65,65,54	1,00,44,96,96	1,21,31,70,96
कुल योग	8,67,15,42,97	3,82,74,96,85	7,34,90,99,64

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
63,38,84,79	0	36,06,12,17	0	0
13,94,89,16	0	2,08,94,94	0	0
2,30,58,73,71	1,36,66,08,68	52,62,38,29	3,75,59,93	91,12,11
			(3,75,59,93,011)	(91,12,11,135)
64,12,94,75	7,82,24	36,32,02,21	73,87,66	0
			(73,87,65,227)	0
2,94,71,68,46	1,36,73,90,92	88,94,40,50	4,49,47,59	91,12,11
			(4,49,47,58,238)	(91,12,11,135)

विनियोग लेखे का सारांश-जारी

वर्ष की समाप्ति से पहले आकस्मिक निधि से लिए गए सभी अग्रिमों को निधि में पुनः जमा कर दिया गया था ।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिकता के नियमन की आवश्यकता हैं :-

राजस्व भाग

06-वित्त

पूंजीगत भाग

24-सिंचाई

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिकता के नियमन की आवश्यकता है:-

राजस्व भाग

06-वित्त

विनियोग लेखे का सारांश-समाप्त

क्योंकि अनुदान और विनियोग, व्यय के लिए आवश्यक सकल राशियों के लिए हैं, उनके सामने दिखाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है। (निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाए जाते हैं)।

2017-18 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और इस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,21,31,70,96	64,12,94,75	6,13,59,28,68	2,30,58,73,70
घटाएं-				
कुल वसूलियां	0	0	2,33,63,99	82,00,03,85
वित्त लेखे की विवरण संख्या 11 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	1,21,31,70,96	64,12,94,75	6,11,25,64,69	1,48,58,69,85

ऊपर संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।


हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन

प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हरियाणा सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 03 जनवरी 2019

स्थान: नई दिल्ली

अनुदान संख्या 1-विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	72,05,00	72,05,00	65,48,37	(-)6,56,63
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

6,41,59

प्रभारित

मूल	66,08	92,08	87,95	(-)4,13
पूरक	26,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

14,17

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

(1) ₹6,56.63 लाख की कुल बचत में से, ₹15.04 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2011-02-103-98- मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव	मूल	8,25.00	4,44.66	4,44.66	0	निधियों का अभ्यर्पण माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मंत्रियों के नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव के हटाये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,80.34				

अनुदान संख्या 1- समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-103-99- स्थापना (98 स्थापना व्यय)	मूल	52,40.00	46,80.90	46,65.87	(-)15.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः नए अमले की नियुक्ति न करने, सदस्यों द्वारा कम यात्राएँ किये जाने, महंगाई भत्तों की दरों में कम संशोधन होने तथा कम चिकित्सा भत्ते दावों की प्राप्ति के कारण हुई। ₹15.03 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)5,59.10				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101-99- स्थापना	मूल	11,20.00	14,35.42	14,35.42	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः माननीय सभापति व उपसभापति की स्वैच्छिक अनुदान के संशोधन के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	3,15.42				

प्रभारित विनियोग

(4) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101-99- स्थापना	मूल	66.08	77.91	87.95	(+)10.04	₹10.04 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत माननीय सभापति एवं उप-सभापति द्वारा कम यात्राएँ किये जाने से निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	26.00				
	पुनर्वि0	(-)14.17				

अनुदान संख्या-2-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,30,07,00	1,58,82,50	1,55,79,81	(-)3,02,69
पूरक	28,75,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,18,69

प्रभारित

मूल	15,47,39	17,65,21	16,95,69	(-)69,52
पूरक	2,17,82			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

69,50

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- ₹3,02.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 में ₹3,18.69 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
- बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-105-51 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	मूल	1,00,98.00	1,25,37.33	1,25,37.33	0	मुख्यतः मंत्री परिषद द्वारा विवेकाधीन अनुदान का कम आबंटन होने के कारण निधियाँ अभ्यर्पित हुईं।
	पूरक	26,02.00				
	पुनर्वि0	(-)1,62.67				

अनुदान संख्या-2-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2013-51-800-98- मंत्री कार सैक्शन को चलाने तथा वाहनों का रख-रखाव	मूल	13,79.00	14,31.13	14,30.66	(-)0.47	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः नई कार की कम खरीद करने तथा पदों के रिक्त रहने से हुई जो पेट्रोल तेल तथा स्नेह द्रव्य के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के कारण आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	1,27.00				
	पुनर्वि०	(-)74.87				

प्रभारित विनियोग

(3) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-103-99- सैन्य सचिव एवं उसकी स्थापना	मूल	2,87.45	2,26.00	2,26.00	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध द्वारा कार्यालय व्यय तथा ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुआ जो अधिक संविदा अमलों की नियुक्ति पर अधिक व्यय के कारण प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)61.45				

अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष-2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,75,99,69	3,00,70,20	2,80,16,73	(-)20,53,47
पूरक	24,70,51			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

19,79,22

प्रभारित

मूल	12,22,61	12,50,61	9,61,75	(-)2,88,86
पूरक	28,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,88,47

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹20,53.47 लाख की कुल बचत में से, ₹74.25 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹20,53.47 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 और मार्च 2018 में लिया गया ₹24,70.51 लाख का पूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ) :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-96- वी.आई.पी. वायुयान का अनुरक्षण	मूल	12,73.71	9,92.23	9,91.76	(-)0.47	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः वी.आई.पी. हेलीकाप्टर हेतु कल पुर्जों की कम खरीद तथा अन्य प्रभारों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुई जो रिक्त पदों को भरने से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,81.48				

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-97- गृह विभाग	मूल	6,13.93	4,32.61	4,32.60	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,81.32				
2052-51-090-98- वित्त विभाग	मूल	10,46.00	8,98.33	8,97.87	(-)0.46	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,47.67				
2070-51-105-94- हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबन्धन कानून, 2014 (98-हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग)	मूल	0	49.18	49.18	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आयुक्तों तथा सदस्यों को कम भुगतान करने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्राएं न करने के कारण हुआ।
	पूरक	1,41.16				
	पुनर्वि0	(-)91.98				
2070-51-105-94- हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबन्धन कानून-2014 (99-हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग)	मूल	0	63.64	63.64	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आयुक्तों तथा सदस्यों को कम भुगतान करने, तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्राएं न करने के कारण हुआ।
	पूरक	1,85.22				
	पुनर्वि0	(-)1,21.58				
2070-51-105-97- जांच आयोग (93) न्यायमूर्ति के.सी. पुरी (सेवानिवृत्त)/न्यायमूर्ति आर.सी. बंसल जांच आयोग	मूल	79.46	52.62	52.62	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आयुक्तों के वेतनमानों का संशोधन न करने, कम संविदा अमले की नियुक्ति तथा कम अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)26.84				
2070-51-800-93- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग	मूल	2,68.70	2,75.89	2,76.11	(+)0.22	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मोटर वाहनों के अनुरक्षण के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि0	(-)92.81				
2251-51-090-99- सिविल सचिवालय	मूल	8,17.75	6,71.08	6,62.29	(-)8.79	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,46.67				

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3451-51-090-97- राज्य वित्त आयोग	मूल	1,03.29	56.82	56.82	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मानदेय के भुगतान हेतु योग्य लाभान्वितों की कम संख्या तथा कार्यालय व्ययों व मोटर वाहनों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)46.47				
3451-51-090-99- सिविल सचिवालय	मूल	4,77.77	3,87.33	3,87.00	(-)0.33	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)90.44				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2051-51-103-99 स्थापना	मूल	39,62.25	65,09.99	65,09.47	(-)0.52	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाएं/जांच टेस्ट आयोजित करने विविध शीर्ष के अन्तर्गत अधिक बिलों की प्राप्ति तथा संविदा अमले की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।
	पूरक	13,90.98				
	पुनर्वि०	11,56.76				
2070-51-003-98 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (98-स्थापना व्यय)	मूल	13,00.00	15,30.00	15,30.00	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन सातवें वेतन आयोग रिपोर्ट के लागू करने के फलस्वरूप वेतन तथा महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	2,30.00				
2070-51-115-95- विभिन्न कमेटी की बैठकों पर व्यय	मूल	1,00.00	1,99.83	1,99.83	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन आदर-सत्कार विभाग के बकाया बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने से हुआ।
	पुनर्वि०	99.83				

अनुदान संख्या-3-जारी

- (5) दोषपूर्ण बजट के पाँच मामले, जहाँ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया गया था और बाद में पुनर्विनियोजन के द्वारा कम किया गया उनको नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-95- कानून विभाग (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,96.00	5,70.31	5,70.21	(-)0.10	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि०	(-)1,26.69				
2052-51-090-99- मुख्य सचिव (97-हरियाणा भवन नई दिल्ली का स्थापना व्यय)	मूल	2,74.61	2,44.68	2,44.42	(-)0.26	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पूरक	16.00				
	पुनर्वि०	(-)45.93				
2052-51-090-99- मुख्य सचिव (98-स्थापना व्यय)	मूल	91,30.94	77,86.33	77,53.31	(-)33.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति से हुआ जो कार्यालय व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	1,57.00				
	पुनर्वि०	(-)15,01.61				
2070-51-115-93- सिविल सचिवालय कैन्टीन चलाने पर व्यय	मूल	4,35.30	3,29.55	3,29.34	(-)0.21	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	18.50				
	पुनर्वि०	(-)124.25				
2070-51-800-96- राज्य सूचना आयोग हरियाणा (98-स्थापना व्यय)	मूल	8,29.00	7,86.24	7,85.93	(-)0.31	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मोटर वाहनों के कम अनुक्षण के बिलों की प्राप्ति तथा मितव्ययता उपायों, दो राज्य सूचना आयुक्तों की सेवानिवृति तथा सचिव के पद रिक्त रहने तथा कम संविदा अमले की नियुक्ति के कारण हुआ।
	पूरक	1,06.55				
	पुनर्वि०	(-)1,49.31				

प्रभासित विनियोग

(6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2051-51-102-99- स्थापना	मूल	12,22.61	9,62.14	9,61.75	(-)0.39	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः माननीय सदस्यों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी तथा विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित न करने से हुआ जो सातवें वेतन आयोग को लागू करने से महंगाई भत्ते/वेतन वृद्धि के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	28.00				
	पुनर्वि०	(-)2,88.47				

अनुदान संख्या-4-राजस्व

मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	11,89,31,03	13,09,60,88	10,98,03,26	(-)2,11,57,62
पूरक	1,20,29.85			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

3,37,86,36

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

- (1) ₹2,11,57.62 लाख की उपलब्ध बचत में से, 31 मार्च 2018 को ₹3,37,86.36 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹2,11,57.62 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अक्टूबर 2017 में ₹1,20,29.85 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2029-51-001-99- भू-राजस्व तथा तकावी की लेखा परीक्षा	मूल	61.00	16.62	18.03	(+)1.41	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)44.38				
2029-51-103-96- मुख्यालय अमला भूमि रिकार्ड कृषि जनगणना	मूल	1,35.00	40.77	40.77	0	मुख्यतः कृषि जनगणना 2015-16 आयोजित न करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय अमलों के मानदेय बिलों की प्राप्ति न होने तथा पदों के रिक्त रहने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)94.23				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103-97- लघु सिंचाई सांख्यिकी का मुक्तिकरण मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,13.00	33.52	33.52	0	मुख्यतः पांचवी सिंचाई जनगणना के आयोजित न करने से क्षेत्रीय अमलों के मानदेय बिलों की प्राप्ति न होने तथा पदों के रिक्त रहने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)79.48				
2029-51-103-98- जिला अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,22,81.00	1,85,57.32	1,84,70.73	(-)86.59	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों को बकाया एवं सेवानिवृत्त लाभों को न दिये जाने, अनुग्रहपूर्वक, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति से हुआ। ₹86.59 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)37,23.68				
2029-51-103-99 मुख्यालय अमला	मूल	2,21.38	1,79.77	1,79.77	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पटवारी प्रशिक्षण का देरी से आयोजन करने जिससे कम संख्या में उम्मीदवारों का प्रशिक्षण में कार्यग्रहण करना, जनवरी 2018 में पटवारी प्रशिक्षण हेतु कम शिक्षक अमले की नियुक्ति, कम अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो रिक्त पदों को भरने से अधिक व्यय को पूरा करने से आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि०	(-)1,41.61				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2030-01-102-51- स्टाम्प बिक्री पर व्यय	मूल	61.25	0	0	0	स्टाम्पों बिक्री पर शुल्क का भुगतान न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।
	पुनर्वि0	(-)61.25				
2030-02-102-99- जाँच पड़ताल अमला	मूल	2,66.00	11.30	1,76.00	(+)1,64.70	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर/न्यायिक स्टाम्प पेपरों की कम बिक्री के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,54.70				
2052-51-099-95- व्यवसायी कल्याण बोर्ड की स्थापना	मूल	0	11.30	11.30	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुई।
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि0	(-)38.70				
2053-51-093-99- स्थापना	मूल	1,85,07.41	1,55,25.56	1,55,21.27	(-)4.29	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम महंगाई भत्ता देने, पदों के रिक्त रहने, अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति तथा कम उत्सवों के आयोजन करने से हुआ जो अधिक संविदा अमले की नियुक्ति तथा अधिक बिजली बिलों की प्राप्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	85.00				
	पुनर्वि0	(-)30,66.85				
2053-51-094-98- नकल अभिकरण स्थापना	मूल	2,74.80	1,75.13	1,71.88	(-)3.25	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने कम महंगाई भत्ता देने तथा कम अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)99.67				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2075-51-101-51- पुनः गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन	मूल	59.70	38.08	37.98	(-)0.10	निधियों का अभ्यर्पण अपूर्ण कागजात प्रस्तुत करने से, जिससे वार्षिक राशि का भुगतान न होने तथा योजना के अन्तर्गत मृतक भूमि स्वामियों के परिवर्तन करने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)21.62				
2235-01-200-99- ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों हेतु वित्तीय सहायता/मुफ्त राहत/मुआवजा	मूल	3,00.00	0	5.91	(+)5.91	राज्य में वर्ष के दौरान दंगों की घटनाओं के न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,00.00				
2235-01-202-96- भूमि योजना का स्थाई आबंटन	मूल	42.43	15.66	15.66	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)26.77				
2235-01-202-99- स्थापना प्रभार तथा पुनर्वास योजना जिला एवं राजस्व अमला	मूल	2,24.70	1,65.63	1,59.59	(-)6.04	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)59.07				
2245-01-101-98- बीजों, खादों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति	मूल	20,00.00	2,00.00	2,00.00	0	वर्ष 2017-18 के दौरान केवल भिवानी जिले में सूखा पड़ने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)18,00.00				
2245-01-102-51- पेय जलापूर्ति	मूल	1,50.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में कोई भी बड़ा सूखा जैसी स्थिति पैदा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-01-104-51- चारे की आपूर्ति	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में कोई भी बड़ा सूखा जैसी स्थिति पैदा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-01-105-51- पशु सहायता	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में कोई भी बड़ा सूखा जैसी स्थिति पैदा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-01-282-51- जन स्वास्थ्य	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में कोई भी बड़ा सूखा जैसी स्थिति पैदा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-02-101-97- बीजों, खादों तथा कृषि औजारों की आपूर्ति	मूल	65,76.00	0.17	1.08	(+)0.91	निधियों का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)65,75.83				
2245-02-101-98- दवाईयों की आपूर्ति	मूल	2,66.00	0	0	0	पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान बाढ़ न आने से, जिससे दवाईयों हेतु कोई भी निधि की जरूरत न पड़ने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,66.00				
2245-02-101-99- भोजन एवं वस्त्र	मूल	2,50.00	0	0	0	पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ चूंकि वर्ष के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई, जिससे भोजन एवं वस्त्र हेतु निधियों की आवश्यकता नहीं हुई।
	पुनर्वि0	(-)2,50.00				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2245-02-102-51- पेय जल आपूर्ति	मूल	1,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
2245-02-104-51- चारे की आपूर्ति	मूल	50.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2245-02-105-51- पशु चिकित्सा	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-02-106-51- क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-02-110-51- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज कार्यों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु सहायता	मूल	2,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2245-02-111-51- शोकग्रस्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	मूल	2,00.00	0.90	6.90	(+)6.00	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,99.10				
2245-02-113-51- गृहों का अनुस्क्षण/ पुनः निर्माण हेतु सहायता	मूल	4,00.00	0.39	6.06	(+)5.67	वर्ष 2017-18 के दौरान बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,99.61				
2245-02-114-51- कृषि लागतों के खरीद हेतु किसानों को सहायता	मूल	6,00.00	0	0	0	पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण बाढ़ न आने के कारण हुआ, चूंकि कृषि उपकरणों की खरीद न होने से कोई भी निधियों की आवश्यकता नहीं हुई।
	पुनर्वि0	(-)6,00.00				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-116-51- क्षतिग्रस्त ट्यूबवैलों, पम्प सैटों इत्यादि की मरम्मत हेतु किसानों को सहायता	मूल	3,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,00.00				
2245-02-117-51- पशुधन खरीद हेतु किसानों को सहायता	मूल	1,74.00	0.51	0.51	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,73.49				
2245-02-122-51 क्षतिग्रस्त/सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	मूल	3,00.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,00.00				
2245-02-193-51- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	मूल	2,50.00	0	0	0	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,50.00				
2245-02-282-98- लोक स्वास्थ्य	मूल	5,00.00	39.48	44.23	(+)4.75	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)4,60.52				
2245-02-282-99- जल निकास ऑपरेशन	मूल	5.00.00	1.53	1,34.73	(+)1,33.20	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹1,33.20 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)4,98.47				
2245-02-800-51- अन्य व्यय	मूल	3,85.00	0.27	76.65	(+)76.38	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹76.38 लाख की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)3,84.73				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-05-101-98- राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के अन्तर्गत क्षमता निर्माण हेतु सहायतानुदान (एस.डी.आर.एफ)	मूल	5,50.00	12.90	2,64.47	(+2,51.57	₹2,51.57 लाख के आधिक्य से दृष्टिगत कम उपकरणों की खरीद से निधियों का अभ्यर्पण विवेहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)5,37.10				
2245-06-101-99- भूकम्प के लिए नकद सहायता	मूल	20,00.00	0	0	0	वर्ष के दौरान राज्य में भूकम्प के कारण कोई भी क्षति न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
2245-80-001-97- आपदा ज्ञान नेटवर्क और एन. आई. टी. एम. के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढीकरण	मूल	45.50	0	0	0	योजना के अन्तर्गत कोई भी निधि की आवश्यकता न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)45.50				
2245-80-001-98- जिला अमला	मूल	98.90	57.95	58.16	(+0.21	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	9.20				
	पुनर्वि0	(-)50.15				
2245-80-102-97 नकली क्रियाकलाप	मूल	0	1.44	11.41	(+9.97	वर्ष के दौरान कम दिखावटी क्रियाओं के आयोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹9.97 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	22.00				
	पुनर्वि0	(-)20.56				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-80-800-97- सिरकी टैन्टों की खरीद	मूल	30.00	0	0	0	वर्ष के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के फलस्वरूप कम सिरकी/टैन्टों की खरीद के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
2245-80-800-98- अग्नि पीड़ितों को सहायता	मूल	5,00.00	9.02	35.58	(+)26.56	वर्ष के दौरान कम अग्निकांड होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹26.56 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)4,90.98				
2506-51-102-98- चकबन्दी	मूल	13,08.40	10,79.57	10,79.47	(-)0.10	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,28.83				
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण परियोजना (97-भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण)	मूल	67.00	0	0	0	वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि न दिये जाने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)67.00				
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण परियोजना (98-सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण आधुनिक अभिलेख कक्षा)	मूल	10,00.00	0	0	0	वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि न दिये जाने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)10,00.00				
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण परियोजना (99-पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण)	मूल	3,67.00	1.77	1.77	0	वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि न दिये जाने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,65.23				

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3451-51-091-99- राजस्व विभाग	मूल	5,54.72	4,66.82	4,65.33	(-)1.49	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम संविदा अमले की नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)87.90				
3475-51-201-99- भूमि सुधार राजस्व	मूल	3,01.00	2,17.69	2,27.93	(+)10.24	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कम महंगाई भत्ते देने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹10.24 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	34.95				
	पुनर्वि०	(-)1,18.26				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2053-51-093-98- राज्य में उपायुक्तों हेतु कानून व्यवस्था हेतु प्रावधान	मूल	66.00	1,62.30	1,62.30	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के उद्देश्य हेतु अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुई।
	पुनर्वि०	96.30				
2053-51-101-99- स्थापना	मूल	7,77.20	9,47.66	9,45.15	(-)2.51	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः दो खण्डीय आयुक्तों तथा अमले की नियुक्ति करने अधिक संविदा अमले की नियुक्ति के कारण हुआ जो कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति तथा कम महंगाई भत्ते देने से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	1,70.46				

अनुदान संख्या-4-जारी

दोषपूर्ण बजट

(5) वित्त विभाग द्वारा जारी तीन दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश के मामले निम्न प्रकार से वर्णित है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-05-101-99- राज्य अंशदान	मूल	3,39,00.00	4,22,72.00	5,00,61.66	(-)77,89.66	₹77,89.66 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत भारत सरकार से प्राप्त निधियां जो वित्त विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन निधि में जमा करवाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि0	(-)16,28.00				
2245-80-800-96- कीट हमला/भू- स्खलन बादल फटने इत्यादि हेतु नकद सहायता	मूल	10,00.00	2,00.00	12,10.20	(+)10,10.20	₹10,10.20 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत वर्ष 2015 में खरीफ फसल की क्षति से जिसका मुआवजा वर्ष 2017-18 में जारी किया गया निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)8,00.00				
2245-80-800-99- ओलावृष्टि राहत/शीत राहत/शीत लहर/कोहरे से राहत	मूल	60,50.00	35,65.94	68,34.12	(+)32,68.18	₹32,68.18 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत मार्च 2016 के दौरान ओलावृष्टि से फसलों के क्षतिग्रस्त होने, जिनका मुआवजा 2017-18 में जारी करने के फलस्वरूप निधियों का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	15,00.00				
	पुनर्वि0	(-)39,84.06				

(6) राज्य आपदा राहत निधि:-

राज्य आपदा राहत निधि का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा बाढ़, चक्रवात, आग आदि के कारण राहत देना है। यह आपदा राहत निधि योजना वर्ष 1990-91 से लागू है। राज्य आपदा राहत निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में योगदान किया जाता है।

निधि में से किए गए व्यय को आरम्भ में मुख्य शीर्ष- "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" अनुदान संख्या 4-"राजस्व" के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और इसके पश्चात वर्ष के लेखाओं को बन्द करने से पहले राज्य आपदा राहत निधि को हस्तांतरित किया जाता है।

1 अप्रैल 2017 को ₹16,21,64.76 लाख के आरम्भिक शेष तथा ₹6,11,34.46 लाख का जमा (राज्य अंशदान ₹5,00,61.66 लाख, अव्यय शेष पर जमा ₹14,58.03 लाख और निवेश पर ₹96,14.77 लाख कम होने वाला ब्याज) निधि में से किया गया ₹77,89.66 लाख का व्यय हुआ। निधि में 31 मार्च 2018 के ₹21,55,09.56 लाख का अन्त शेष था।

आपदा राहत निधि योजना के पैरा 9.3 के अनुसार निधि में जमा राशि निधि में निवेश पर आमदनी सहित, जब तक भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, निम्न प्रकार से निवेशित की जाए:-

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियां
- (ख) नीलाम हुए खजाना बिल
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में ब्याज अर्जित जमा एवं जमाओं के प्रमाण-पत्र
- (घ) सहकारिता बैंकों में ब्याज अर्जित जमा

निधि के लेन-देन का लेखा वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल है।

अनुदान संख्या 5-आबकारी तथा कराधान

(मुख्य शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043 राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,45,26,45	2,61,76,45	1,95,87,81	(-)65,88,64
पूरक	16,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

59,66,98

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹65,88.64 लाख की अन्तिम बचत में से ₹6,21.66 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- (2) ₹65,88.64 लाख समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹1,650 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई (कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप में प्रतिसन्तुलित हुआ):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)	टिप्पणी
2039-51-001-97- आबकारी एवं कराधान विभाग में कार्यरत पुलिस अमले हेतु प्रावधान	मूल	13,78.00	10,98.17	10,97.32	(-)0.85	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति से हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)2,79.83				

अनुदान संख्या 5-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2039-51-001-99- मुख्यालय अमला (आबकारी ब्यूरो सहित)	मूल	1,12.65	70.14	70.13	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः फर्नीचर तथा कम्प्यूटर की खरीद की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)42.51				
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (97-अपना बिल अपना विकास)	मूल	1,00.00	0.44	0.44	0	निधियों का अभ्यर्पण ईनाम तथा पारितोषकों के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)99.56				
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्राद्यौगिकी)	मूल	38,55.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38,55.00				
2045-51-103-99- विधुत निरीक्षालय	मूल	4,41.00	3,58.80	3,36.88	(-)21.92	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति से हुई। ₹21.92 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)82.20				

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें पूरक अनुदान अनावश्यक प्राप्त किया गया तथा बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	30,90.96	30,54.88	30,54.94	(+)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, तथा कार्यालय व्ययों के कम दावों की प्राप्ति से हुआ जो नए वाहनों हेतु बीमा एवं बाह्य कल पुर्जा की खरीद पर अधिक दावों की प्राप्ति से भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	5,20.00				
	पुनर्वि०	(-)5,56.08				
2040-51-101-99- क्षेत्रीय अमला	मूल	76,02.10	69,14.14	65,69.55	(-)3,44.59	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सरकार से किराया, दरों तथा करों की स्वीकृतियों की प्राप्ति न होने से हुई जो राज्य में विभिन्न जिलों में अधिक संख्या में संविदा आधार पर अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	5,02.00				
	पुनर्वि०	(-)11,89.96				

(5) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे वर्णित है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-98- जिला अमला	मूल	51,85.00	53,53.00	51,68.73	(-)1,84.27	₹1,84.27 लाख की बचत के दृष्टिगत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन सातवें वेतन आयोग को लागू करने से बढ़े हुए वेतन/ बकाया/ वेतन वृद्धि के भुगतान, डी. सी. दरों में बढ़ौतरी तथा नए सृजित कार्यालयों में अधिक अमले की नियुक्ति से हुआ जो पदों के रिक्त रहने तथा कम अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति से बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	36.00				
	पुनर्वि0	1,32.00				

26
अनुदान संख्या-06-वित्त

(मुख्य शीर्ष-2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2049-ब्याज अदायगियाँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	66,79,34,48	84,72,74,09	88,48,34,02	(+)3,75,59,93
पूरक	17,93,39,61			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11,99,21

प्रभारित

मूल	1,12,77,19,29	1,19,01,56,63	1,19,75,44,29	(+)73,87,66
पूरक	6,24,37,34			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10,24,95

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) व्यय अनुदान से ₹3,75,59,93,011 बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।
- (2) ₹3,75,59.93 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, 31 मार्च 2018 में ₹17,93,39.61 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (3) ₹3,75,59.93 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, 31 मार्च 2018 को ₹11,99.21 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
- (4) आधिक्य निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत का निवल परिणाम थी (जो नीचे टिप्पणी 5 में दर्शाई गई है):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2054-51-097-99- खजाना अमला (99- सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	18.01	28.46	28.46	0	प्रावधान का आवर्धन कम्प्यूटर्स की अधिक मरम्मत के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	10.45				
2071-01-101-51- सेवानिवृत्ति तथा पेंशन भत्ते	मूल	42,72,06.00	48,95,00.00	50,13,42.82	(+)1,18,42.82	₹1,18,42.82 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	6,22,94.00				
2071-01-104-51- उपदान	मूल	8,81,10.00	10,00,00.00	10,65,05.98	(+)65,05.98	₹65,05.98 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,18,90.00				
2071-01-105-51- पारिवारिक पेंशन	मूल	4,98,95.00	6,10,00.00	6,46,30.19	(+)36,30.19	₹36,30.19 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,11,05.00				
2071-01-111-51- विधायको को पेंशन	मूल	18,71.00	23,00.00	1,88,94.12	(+)1,65,94.12	₹1,65,94.12 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	4,29.00				

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2071-01-117-99- हरियाणा सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान (99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान)	मूल	4,11,12.00	4,55,00.00	4,60,41.82	(+)5,41.82	₹5,41.82 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	43,88.00				

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2047-51-103-97- जिलों को पुरस्कार	मूल	20.00	11.66	11.66	0	निधियों का अभ्यर्पण 2017-18 के दौरान कुछ जिलों में ईनाम जीतने संबंधित कम दावों की प्राप्ति और योजना को लागू न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8.34				
2047-51-103-98- जिला अमला	मूल	71.95	10.19	10.63	(+)0.44	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)61.76				
2047-51-103-99- मुख्यालय अमला नया नाम लघु बचत तथा लाटरी का मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय) का नाम बदल कर स्थापना व्यय लघु बचत और लाटरी	मूल	1,30.15	1,00.75	1,06.41	(+)5.66	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)29.40				
2054-51-003-99- लेखा प्रशिक्षण संस्थान	मूल	83.79	69.29	69.29	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)14.50				
2054-51-095-96- एकीकृत वित्त तथा मानव संसाधन प्रबंधन सूचना पद्धति	मूल	3,85.00	1,97.98	1,97.98	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम कम्प्यूटर मदों की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,87.02				

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2054-51-095-97 13वें वित्त आयोग अनुदान के साथ कर्मचारियों तथा पेंशन डाटा आधार का सृजन	मूल	10.00	0	0	0	₹10 लाख के समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के सही व विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)10.00				
2054-51-095-98- सी.आर.ए.सेवा प्रभार	मूल	2,30.00	2,02.62	2,02.62	0	निधियों का अभ्यर्पण सेवाओं तथा प्रतिबद्धता शुल्क पर कम व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)27.38				
2054-51-095-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,10.50	5,32.59	5,32.59	0	₹77.91 लाख के अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)77.91				
2054-51-095-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,49.99	47.21	47.21	0	निधियों का अभ्यर्पण व्यावसायिको की कम नियुक्ति तथा कम्प्यूटर मदों की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,02.78				
2054-51-097-98- जनता के हित में सौहार्दपूर्ण काम कर हालात के लिए कोषागार/ उपकोषागार में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान	मूल	50.00	5.79	5.79	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्कीम के अन्तर्गत कम व्याख्यान आयोजित करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)44.21				
2054-51-097-99- खजाना अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	33,84.61	28,49.51	28,50.30	(+)0.79	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ जोकि व्यावसायिकों तथा विशेष सेवाओं की अधिक भागीदारी से प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,35.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2054-51-800-99- राज्य के बजट बनाने तथा नियंत्रिकरण हेतु व्यवस्था (98-स्थापना व्यय)	मूल	58.00	12.49	12.49	0	₹45.51 लाख के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)45.51				
2071-01-102-51- पेंशन का सांराशीकृत मूल्य	मूल	5,14,55.00	14,06,41.61	14,05,83.75	(-)57.86	₹57.86 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	8,91,86.61				
2071-01-106-51- उच्च न्यायालय के (जजों) न्यायधीशों के पेंशनरी प्रभार	मूल	3,53.00	4,00.00	3,12.15	(-)87.85	₹87.85 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	47.00				
2071-01-117-99 सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान (98-सरकार का महात्मा गाँधी स्वाबलंबन योजना अनुदान)	मूल	20.00	20.00	2.64	(-)17.36	₹17.36 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
3475-51-800-99 संस्थागत वित्त एवं साख निदेशालय मुख्यालय अमला	मूल	79.65	46.16	46.40	(+)0.24	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.49				

प्रभारित विनियोग

- (6) व्यय विनियोग से ₹73,87,65,227 बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।
- (7) ₹73,87.66 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, ₹6,24,37.34 लाख का 31 मार्च 2018 को पूरक प्राप्त अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (8) ₹73,87.66 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, 31 मार्च 2018 को ₹10,24.95 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-06-जारी

(9) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-305-99- नए कर्जे के जारी करने पर व्यय	मूल	13,77.66	25,03.81	25,03.81	0	प्रावधान में आवर्धन नए कर्जों को जारी करने पर अधिक ब्याज के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	11,26.15				
2049-03-104-98- ए.आई.एस. पर ब्याज	मूल	1,68.00	29.54	3,12.19	(+)2,82.65	₹1,38.46 लाख के अभ्यर्षण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)। ₹2,82.65 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,38.46				
2049-04-101-99- ब्लॉक कर्जे	मूल	33,05.32	51,45.52	51,45.52	0	विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	18,40.20				
2049-05-105-99- राज्य आपदा राहत निधि पर ब्याज	मूल	0	89,55.96	89,55.96	0	पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत व्यय में पूरा करने के लिए किया गया है।
	पूरक	0.01				
	पुनर्वि0	89,55.95				
2049-60-101-97- एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिकृत भूमि की ओर ब्याज		0	0	65.82	(+)65.82	₹65.82 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-60-101-98- रेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत भूमि की पर ब्याज		0	0	13,22.47	(+)13,22.47	₹13,22.47 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
2049-60-701-96- पेंशनरी लाभ इत्यादि के देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज		0	0	2,22.84	(+)2,22.84	₹2,22.84 लाख के अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)।
2049-60-701-98- सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज छूट के अन्य दायित्व पर ब्याज	मूल	1,00.00	3,19.01	3,19.01	0	प्रावधान का आवर्धन सरकारी कर्मचारियों को ब्याज के सबवेंशन के अधिक ब्याज के भुगतान पर व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	2,19.01				

(10) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-115-99- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मूल	1,00.00	1.75	1.75	0	भारतीय रिजर्व बैंक से कम अर्थोपाय अग्रिम लेने के फलस्वरूप कम ब्याज के भुगतान होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)98.25				
2049-01-200-95- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंको से कर्जे	मूल	1,00,00.00	54,98.69	54,98.69	0	निधियों का अभ्यर्पण भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम अनाज उठाने के परिणामस्वरूप कम ब्याज भुगतान करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)45,01.31				
2049-01-200-96- नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से कर्जे	मूल	1,57,30.43	1,32,00.05	1,32,00.05	0	निधियों का अभ्यर्पण कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए कम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक से कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप कम ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25,30.38				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200-97- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जे	मूल	22,91.50	19,82.15	19,82.15	0	निधियों का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कम कर्जे लेने के कारण कम ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,09.35				
2049-60-101-51- जमाओं पर ब्याज	मूल	3,00.00	22.06	0	(-)22.06	जमाओं पर कम ब्याज की अदायगी के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,77.94				
2049-60-701-97- ब्याज की सब्सिडी पर देरी से भुगतान के खाते पर दंडात्मक ब्याज	मूल	15,00.00	2,63.45	2,63.45	0	योजना के अन्तर्गत कम ब्याज की अदायगी के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,36.55				
2049-60-701-99- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार से नकद बकाया की सूचना हेतु तार प्रभार	मूल	50.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण विभागों से टेलीग्राम प्रभारों के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2075-51-800-90- गारण्टी शोधन निधि- आरक्षित निधियाँ एवं जमा लेखों में हस्तांतरण (मुख्य शीर्ष 8235)	मूल	20,00.00	14,17.00	14,17.00	0	निधियों का अभ्यर्पण कम गारण्टी फीस की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,83.00				

दोषपूर्ण बजट

(11) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-03-104-99- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	10,71,39.96	10,00,00.00	10,65,40.89	(+)65,40.89	सही एवं विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)71,39.96				

(12) समेकित निक्षेप निधि:-

यह निधि एक परिशोधन निधि हैं जो वित्तीय वर्ष 2002-03 से आरम्भ होने वाले बाजार ऋणों के मोचन के लिए हैं। राज्य सरकार ने 2002 में खुले बाजार ऋण के मोचन के लिए समेकित वित्तीय निधि का गठन किया। दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋण के 1 से 3 प्रतिशत के मामूली पैमाने पर निधि में योगदान करना आवश्यक हैं। सरकार के लिए यह विकल्प भी खुला होगा कि वह अपने स्व-विवेक से किसी भी समय सामान्य राजस्व अथवा अन्य संसाधनों से निवेश द्वारा इस निधि के अंशदान में वृद्धि कर सकती हैं। निधि के कोर्पस में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निवेश की आय से निधि से होने वाली आय शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जायेगा।

सरकार द्वारा जारी निर्देशों/शर्तों के अधीन इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2017 को निधि में जमा प्रारम्भिक शेष ₹16,41,03.44 लाख था वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने कोई योगदान नहीं किया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹1,33,45.98 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई थी। वर्ष के दौरान निधि में से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अन्त में, निधि में ₹17,74,49.42 लाख शेष था।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलाम खजाना बिलों की परिपक्वताओं, जो राज्य सरकार समय-समय पर बैंको के परामर्श से निर्धारित करती हैं, में निवेश किया जाता हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से समस्त शेष राशि ₹17,74,49.42 लाख निवेश की गई हैं। निवेश का अंकित मूल्य ₹17,33,59.98 लाख हैं।

निधि के लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखें 2017-18 की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल हैं।

(13) गारन्टी मोचन निधि:-

इस निधि का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की गई गारन्टी से उत्पन्न होने वाली राज्य स्तरीय उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किये गये बांड तथा अन्य कर्जों के सम्बन्ध में और लाभार्थियों द्वारा भुनाए जाने वाले संस्थानों द्वारा जिनके लिए गारन्टी जारी की गई ,थी अदा नहीं किये जाने से हैं।

निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान किया गया था। निधि में अंशदान शीर्ष '2075-विविध सामान्य सेवाएं को प्रति-डेबिट द्वारा किया जाना हैं। राज्य गारन्टी के खिलाफ राज्य स्तर की निकायों की सभी कर्जों पर लगने वाले गारंटी शुल्क से निधि कोष को सुदृढ़ किया जाना हैं। इस प्रकार संग्रहित गारन्टी शुल्क को मुख्य लेखाशीर्ष '0075-विविध सामान्य सेवाएं - 108 गारन्टी शुल्क' के अन्तर्गत जमा करना हैं। निधि को समय-समय पर अंशदान शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएँ को नामें प्रविष्टि करके, जहाँ राज्य सरकार द्वारा वांछित बजट प्रावधान किया जाता हैं तथा निधि से निवेश पर आय द्वारा किया जाता हैं। सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों/शर्तों के अनुसार इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रशासित किया जायेगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को, निधि के कुल कारोबार के 1 प्रतिशत के 1/8 भाग की दर से अथवा समय-समय पर पारस्परिक रूप से निश्चित की गई दर पर भुगतान करेगी।

1 अप्रैल 2017 को निधि में क्रेडिट का आरम्भिक शेष ₹9,52,88.09 लाख था। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने निधि में ₹1,417 लाख का योगदान किया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹75,72.55 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई थी। वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अन्त में, निधि में ₹10,42,77.64 लाख शेष थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹10,42,77.64 लाख की शेष समस्त राशि निवेश की गई हैं। निवेश का अंकित मूल्य (प्रतिभूतियां) ₹9,85,87.13 लाख हैं।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलाम खजाना बिलों की परिपक्वताओं, जो राज्य सरकार समय-समय पर बैंक के साथ परामर्श से निर्धारित करती हैं, में निवेश किया जाता है।

लाभार्थियों द्वारा भुनाए जाने पर देय होने वाले दावों की देन-दारियों को पूरा करने के लिए निवेश प्रपत्र उस राशि को अर्जित करने हेतु निम्नलिखित क्रम में बेच कर समाप्त किये जाने हैं:-

- (i) नीलामीकृत ट्रेजरी बिल ।
- (ii) केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां।
- (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां।

निधियों के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या-07-आयोजना तथा सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष-2075 विविध सामान्य सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	40,16,72	40,64,72	29,88,80	(-)10,75,92
पूरक	48,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10,81,75

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,15,00,00	4,15,00.00	3,04,23,61	(-)1,10,76,39
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,10,76,40

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹10,75.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹10,81.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹10,75.92 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3451-51-101-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	11,73.95	9,94.91	9,94.91	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,79.04				
3451-51-102-94- स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबन्धन संस्थान	मूल	1,00.00	0	0	0	योजना के लागू न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
3451-51-102-97- राज्य स्तर पर योजना मशीनरी का सुदृढीकरण (98- स्थापना व्यय)	मूल	1,75.00	69.57	69.57	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम इंटरशिप का आयोजन करने, कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा बिजली बिलों के कम भुगतान के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,05.43				
3451-51-102-98- जिले का सुदृढीकरण	मूल	70.00	32.80	32.80	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)37.20				
3454-02-001-80- राजीव आवास योजना- क्षमता भवनों/प्रारम्भिक/ आई. सी.ई गतिविधियाँ	मूल	30.00	4.44	4.44	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः 6.5.2017 से राष्ट्रीय भवन संगठन के गणकों की नियुक्ति न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.56				

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3454-02-001-82- राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य सामरिक अंक विवरण सम्बन्धी योजना (एस. एस. एस. पी) (98-स्थापना व्यय)	मूल	60.00	0	0	0	भारत सरकार से निधियों के जारी न किये जाने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)60.00				
3454-02-001-99- आर्थिक एवं अंक विवरण सम्बन्धी संगठन (98-स्थापना व्यय)	मूल	21,71.90	16,94.96	16,95.20	(+)0.24	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, प्रशासनिक कारणों के कारण कार्यालय व्ययों के अर्न्तगत निधियों को जारी न करने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	48.00				
	पुनर्वि0	(-)5,24.94				

पूँजीगत

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5475-51-115-98- हरियाणा आर्थिक संगठन संस्थान	मूल	15,00.00	6,44.60	6,44.60	0	निधियों का अभ्यर्पण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को प्लॉट खरीदने पर वास्तविक भुगतान करने तथा भवनों के निर्माण न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,55.40				

अनुदान संख्या-07-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5475-51-115-99- जिला योजना का सुदृढीकरण	मूल	2,40,00.00	1,79,74.87	1,79,74.87	0	योजना के अन्तर्गत भवन के निर्माण न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)60,25.13				
5475-51-789-99- जिला प्लान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों का कल्याण	मूल	1,60,00.00	1,18,04.13	1,18,14.03	0	निधियों का अभ्यर्पण अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लाभ हेतु विकास योजनाओं के कम कार्यान्वयन से हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)41,95.87				

अनुदान संख्या 8-भवन तथा सड़कें

(मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	13,97,04,50	14,33,29,50	11,36,97,95	(-)2,96,31,55
पूरक	36,25,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,86,36,14

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	0	(-)5,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

(-)5,00

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	34,84,30,50	37,56,61,51	26,02,27,14	(-)11,54,34,37
पूरक	2,72,31,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11,58,06,75

प्रभारित

मूल	30,00,00	30,00,00	16,49,05	(-)13,50,95
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

19,05,59

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹2,96,31.55 लाख की समस्त बचत में से, ₹9,95.41 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹2,96,31.55 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में ₹3,625 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई (नीचे टिप्पणी 4 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-94- भूमि अधिग्रहण अधिकारी	मूल	3,41.33	2,73.64	2,69.20	(-)4.44	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि०	(-)67.69				
2059-80-799-51- उचन्त	मूल	11,00.00	9,49.81	(-)11,43.16	(-)20,92.97	निधियों का अभ्यर्पण सामग्री के अर्न्तमण्डलीय समायोजन होने के कारण हुआ । ₹20,92.97 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि०	(-)1,50.19				
2216-05-053-99 अन्य मरम्मत व्यय (99-न्याय प्रशासन)	मूल	1,50.00	3,39.10	3,39.10	0	अन्तिम तिमाही में व्यय पर 30 प्रतिशत प्रतिबन्ध लागू होने के फलस्वरूप वर्ष के अन्त में बिलों के निपटान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पूरक	3,50.00				
	पुनर्वि०	(-)1,60.90				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3054-01-337-98- हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोग कर्ताओं हेतु टोल प्रभार हेतु राहत	मूल	3,00.00	1,45.67	1,45.67	0	राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्रयोगकर्ताओं हेतु कम राहत देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,54.33				
3054-01-337-99- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों का रखरखाव तथा मरम्मत	मूल	4,79.00	2,40.22	2,40.22	0	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,38.78				
3054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें	मूल	5,10,05.00	4,51,14.21	4,49,36.25	(-)1,77.96	नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति न होने तथा रख- रखाव प्रभारों के बिलों का निपटान न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)58,90.79				
3054-04-337-99- जिला सड़कें	मूल	40,05.00	26,04.42	25,48.16	(-)56.26	योजना के अन्तर्गत नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)14,00.58				
3054-80-797-99- सी.आर.एफ. से हस्तांतरण अन्तर लेखा हस्तांतरण	मूल	2,00,00.00	1,14,10.00	1,14,14.00	(+)4.00	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)85,90.00				

अनुदान संख्या 8-जारी

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-05-001-99-निदेशन एवं प्रशासन के (लोक निर्माण कार्य 2059 को स्थानान्तरित यथानुपात स्थापना खर्च)	मूल	9,95.00	9,95.00	13,45.51	(+)3,50.51	₹3,50.51 लाख का आधिक्य इस शीर्ष के अन्तर्गत स्थापना व्यय के प्रभारों को नामे करने के कारण हुआ ।
2216-05-052-99-मशीनरी एवं उपकरण प्रभारों का 2059 लोक निर्माण कार्य को हस्तांतरण	मूल	0	0	22.41	(+)22.41	₹22.41 लाख का आधिक्य इस शीर्ष के अन्तर्गत मशीनरी एवं उपकरण प्रभारों के नामे करने के कारण हुआ ।
3054-80-052-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059 लोक निर्माण कार्य को हस्तांतरण	मूल	3,50.00	3,50.00	4,83.40	(+)1,33.40	₹1,33.40 लाख का आधिक्य इस शीर्ष के अन्तर्गत स्थापना प्रभारों के नामे करने के कारण हुआ ।

दोषपूर्ण बजट

- (5) निम्नलिखित पांच मामले, जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकहीनता पूर्वक प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित किया गया, नीचे दर्शाये गए हैं । अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी चूंकि इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से काफी दूर रहा। इसके साथ ही अनुपूरक अनुदान तथा मूल बजट का एक भाग पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित किया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान सही ढंग से तैयार नहीं किये गए थे ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-95-वास्तुकला इकाई (98-स्थापना व्यय)	मूल	10,40.00	8,34.64	8,31.50	(-)3.14	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा व्यय पर 30 प्रतिशत का तिमाही कैप लागू होने से बिलों के पास न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पूरक	10.00				
	पुनर्वि0	(-)2,15.36				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-96- निष्पादन	मूल	3,97,25.50	3,16,20.78	3,10,50.88	(-)5,69.90	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कम महंगाई भत्ते को देने तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹5,69.90 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,21.00				
	पुनर्वि०	(-)82,25.72				
2059-80-001-97- पर्यवेक्षण	मूल	21,40.30	16,90.34	16,57.68	(-)32.66	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ते कम देने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹32.66 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	4.00				
	पुनर्वि०	(-)4,53.96				
2059-80-001-99- निदेशन	मूल	26,12.50	23,37.72	23,36.51	(-)1.21	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कम महंगाई भत्ते देने तथा अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	60.00				
	पुनर्वि०	(-)3,34.78				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-052-96- मशीनरी	मूल	8,50.50	6,03.14	6,03.14	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना के अन्तर्गत कम निर्माण कार्यों की स्वीकृति होने के कारण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि0	(-)3,47.36				

(6) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन के तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-053-99- रख-रखाव एवं मरम्मत	मूल	77,00.00	86,99.44	89,25.05	(+)2,25.61	₹2,25.61 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत वर्ष के एक दम अन्त में ई. पी. एस./बिलों के निपटान न होने से निधियों का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)
	पूरक	10,80.00				
	पुनर्वि0	(-)80.56				
2216-05-053-99 अन्य रख-रखाव व्यय (88- सामान्य रखरखाव तथा मरम्मत)	मूल	16,51.00	16,10.04	20,64.74	(+)4,54.70	₹4,54.70 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत वर्ष के एक दम अन्त में ई. पी. एस./बिलों के निपटान न होने से निधियों का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	4,00.00				
	पुनर्वि0	(-)4,40.96				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3054-80-001-99- स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059- लोक निर्माण कार्यो से हस्तांतरण	मूल	2,87,00.00	2,70,00.00	2,90,29.62	(+)20,29.62	₹1,700 लाख के अभ्यर्पण तथा ₹20,29.62 लाख के आधिक्य के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)17,00.00				

पूँजीगत

- (7) ₹11,54,34.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹11,58,06.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹11,54,34.37 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018 में प्राप्त ₹2,72,31.01 लाख का पूरक अनुदान विवेकहीन सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (9) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 10 में उल्लिखित अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-99- जिला प्रशासन	मूल	1,50,00.00	41,67.05	53,62.70	(+)11,95.65	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम निर्माण कार्यो की स्वीकृति तथा ग्राहक विभाग द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,08,32.95				
4059-60-051-64- एम. एल. ए. फ्लैटों का निर्माण	मूल	10,00.00	7,82.42	7,82.42	0	योजना के अन्तर्गत केवल एक निर्माण कार्य की स्वीकृति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,17.58				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-98- न्याय प्रशासन	मूल	55,00.00	55,38.14	56,14.47	(+)76.33	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति तथा वर्ष के एक दम अन्त में बिलों का निपटान न होने के कारण हुआ।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि0	(-)19,61.86				
4202-01-203-99- महाविद्यालय भवन	मूल	3,00,00.00	2,22,18.65	2,04,44.22	(-)17,74.43	निधियों का अभ्यर्पण निर्माण कार्यों के क्रमवार छोटे प्राप्त होने के कारण परिणामतः निर्माण कार्यों का सही आंकलन न होने के कारण हुआ ₹17,74.43 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)77,81.35				
4202-02-104-99- बहुतकनीकी भवन	मूल	30,00.00	23,01.63	20,96.42	(-)2,05.21	निधियों का अभ्यर्पण तकनीकी शिक्षा विभाग से निर्माण कार्य हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,98.37				
4202-02-105-99- भवन (अभियांत्रिकी महाविद्यालय)	मूल	15,00.00	7,65.67	7,65.67	0	निधियों का अभ्यर्पण तकनीकी शिक्षा विभाग से निर्माण कार्य हेतु कम स्वीकृति होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,34.33				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-02-789-99- तकनीकियों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण	मूल	5,00.00	65.52	65.52	0	निधियों का अभ्यर्पण तकनीकी शिक्षा विभाग से निर्माण कार्य हेतु कम स्वीकृति होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,34.48				
4202-03-101-99- भवन (युवा छात्रावास)	मूल	10,00.00	2,47.86	2,47.86	0	खेल कूद एवं युवा कल्याण मामलों विभाग से निर्माण कार्य हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,52.14				
4210-01-110-99- भवन	मूल	1,00,00.00	1,25,16.69	1,25,15.48	(-)1.21	वर्ष के एक दम अन्त में ई.पी.एस. बिलों का निपटान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	50,00.00				
	पुनर्वि0	(-)24,83.31				
4210-03-101-91- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय/ अस्पताल के भवन का निर्माण	मूल	50,50.00	4,78.19	4,78.19	0	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)45,71.81				
4210-03-101-92- राजकीय आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत	मूल	3,00.00	1,52.62	2,25.48	(+)72.86	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹72.86 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,47.38				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101-98- आई.एस.एम. एवं आर पंचकूला तथा संस्थान के कैम्पस में निदेशालय आयुर्वेद के राजकीय संस्थान का भवन निर्माण	मूल	1,00.00	53.81	53.81	0	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने परिणाम स्वरूप पंचकूला में केवल एक ही निर्माण कार्य होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)46.19				
4216-01-106-76- उप-मण्डल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैट हेतु स्वर्ण जयन्ती योजना	मूल	20,00.00	1.37	1.37	0	ग्राहक विभाग से देरी से स्वीकृति प्राप्त होने तथा घरों के निर्माण हेतु नक्शों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)19,98.63				
4216-01-106-96- लोक निर्माण कार्य	मूल	12,00.00	11,78.21	10,78.21	(-)1,00.00	निधियों का अभ्यर्पण वर्ष के अंत में बिलों के पास न होने के कारण हुआ। ₹100 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)21.79				
4216-01-106-97- जेलें	मूल	25,00.00	12,22.87	5,96.05	(-)6,26.82	जेल विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹6,26.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)12,77.13				
4216-01-106-98- जिला प्रशासन	मूल	15,00.00	17,38.63	16,71.72	(-)66.91	अत्याधिक पूरक अनुदान के दृष्टिगत निर्माण के कार्यान्वयन/निर्माण कार्यों का आबंटन न होने से निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
	पूरक	60,00.00				
	पुनर्वि0	(-)57,61.37				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4216-01-106-99- न्याय प्रशासन	मूल	60,00.00	19,63.69	19,74.67	(+)10.98	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)40,36.31				
4235-02-101-93- हरियाणा में निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु संस्थान प्लाट की खरीद नया नाम निदेशालय भवन हेतु संस्थान प्लाट की खरीद (स्वर्ण जयन्ती)	मूल	5,00.00	1,15.27	1,15.27	0	निधियों का अभ्यर्पण ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु कम मंजूरी मिलने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,84.73				
4235-02-101-98- जी.आई.बी.पानीपत (लड़के/लड़कियाँ)	मूल	6,00.00	2,29.18	2,29.28	(+)0.10	निधियों का अभ्यर्पण पानीपत में निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु केवल एक ही स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,70.82				
4250-51-201-96- लेबर कोर्ट परिसर का निर्माण	मूल	3,00.00	2,42.96	2,42.96	0	लेबर कोर्ट फरीदाबाद के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु केवल एक ही स्वीकृति प्राप्त होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)57.04				
4250-51-800-90- नई आई.टी.आई का निर्माण (स्वर्ण जयन्ती)	मूल	47,00.00	28,66.89	28,66.89	0	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)18,33.11				
4405-51-101-99- कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	65.00	5.85	4.68	(-)1.17	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)59.15				
5053-60-800-96- स्वर्ण जयन्ती एकीकृत विमानन हब हिसार	मूल	50,00.00	4,08.49	4,08.49	0	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)45,91.51				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5053-60-800-99- हवाई अड्डों का रख- रखाव	मूल	20,00.00	5,76.95	5,18.15	(-)58.80	ग्राहक विभाग से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹58.80 लाख के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)14,23.05				
5054-03-101-81- हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण (98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना हेतु पुलों एवं रेलवे उपर गामी पुलों का निर्माण)	मूल	15,00.00	7,37.95	7,37.95	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन निष्पादन हेतु नई परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,62.05				
5054-03-101-81- हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण (99-राज्य योजना के अन्तर्गत पुलों एवं रेलवे उपर गामी पुलों का निर्माण)	मूल	15,00.00	4,53.41	4,53.41	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)10,46.59				
5054-03-337-87- सी.आर.एफ. के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौ ड़ा करना तथा उन्नयन	मूल	2,00,00.00	69,91.40	74,03.97	(+)4,12.57	वर्ष के एक दम अन्त में वन/उपयोगिता स्थानांतरण तथा बिलों की मंजूरी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,30,08.60				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
5054-03-337-88- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण (98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण)	मूल	70,00.00	13,00.00	13,00.00	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु नई परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)57,00.00				
5054-04-101-84- हरियाणा राज्य में पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण (97-नाबार्ड के अन्तर्गत पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण)	मूल	30,00.00	22,24.26	22,24.26	0	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से नए पुलों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ
	पुनर्वि0	(-)7,75.74				
5054-04-101-84- हरियाणा राज्य में पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण (98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण)	मूल	1,00,00.00	64,76.67	64,76.67	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से नए पुलों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)35,23.33				
5054-04-101-84- हरियाणा राज्य में पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण (99-राज्य योजना के अन्तर्गत पुलों एवं रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण)	मूल	1,25,00.00	69,99.99	69,99.99	0	वर्ष के एक दम अन्त में बिलों का निपटान न होने तथा नए पुलों की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)55,00.01				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें (98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना हेतु सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ा करना तथा बाईपास)	मूल	40,00.00	5,00.00	5,00.00	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से नई सड़कों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)35,00.00				
5054-04-337-99- जिला सड़कें (98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ा करना)	मूल	40,00.00	4,00.00	4,00.00	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से नई सड़कों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)36,00.00				
5054-04-337-99- जिला सड़कें (99-राज्य योजना हेतु सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ा करना तथा उन्नयन)	मूल	70,00.00	55,93.27	55,93.27	0	सड़कों के निर्माण हेतु नई सड़कों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)14,06.73				
5054-04-789-99- निर्माण/ चौड़ा एवं सुदृढीकरण करना- अनुसूचित जाति के आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (97- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योगदान)	मूल	35,00.00	18,51.33	18,51.33	0	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से नए परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)16,48.67				
5054-04-789-99- निर्माण/ चौड़ा एवं सुदृढीकरण करना- अनुसूचित जाति के आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (98- नाबार्ड योगदान)	मूल	50,00.00	40,54.98	40,54.98	0	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से नई सड़कों की स्वीकृति न होने तथा वर्ष के एकदम अन्त में बिलों के निपटान न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)9,45.02				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-789-99- निर्माण/चौड़ा तथा सुदृढ़ीकरण करना- अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (99 राज्य योगदान)	मूल	50,00.00	42,22.18	42,22.18	0	सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु नई सड़कों की स्वीकृति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ
	पुनर्वि0	(-)7,77.82				

(10) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-789-98- अनुसूचित जाति कक्षा हेतु प्रशिक्षण भवन	मूल	20,00.00	23,86.28	23,86.28	0	राज्यों के विभिन्न जिलों में चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के कारण प्रावधान आवर्धित किया गया।
	पुनर्वि0	3,86.28				
4250-51-800-94- औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास हेतु संसाधन सृजन करना	मूल	30,00.00	44,36.47	45,47.90	(+1,11.43	₹1,11.43 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत चालू निर्माण कार्यों का भौतिक लक्ष्य पूर्ण करने हेतु प्रावधान में आवर्धन अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	5,00.00				
	पुनर्वि0	9,36.47				

दोषपूर्ण बजट

(11) दोषपूर्ण बजट के छः मामले, जिनमें अनुपूरक अनुदान विवेकहीन रूप से प्राप्त किया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 को पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित कर दिया, नीचे दर्शाए जा रहे हैं। वास्तव में, यहाँ पर पूरक अनुदान की कोई भी आवश्यकता नहीं थी इन मामलों में चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान से काफी दूर रहा। साथ ही अनुपूरक अनुदान तथा मूल प्रावधान का एक भाग पुर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया जो दर्शाता है कि बजट अनुमान सही ढंग से तैयार नहीं किये गए थे।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-68- रोजगार भवन का निर्माण	मूल	1,50.00	0	0	0	ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य की देरी से स्वीकृति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि०	(-)2,50.00				
4059-01-201-99- कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (गृह रक्षी तथा सिविल रक्षी)	मूल	4,50.00	4,50.00	4,50.00	0	गृहरक्षी एवं सिविल रक्षी के कार्यालय भवन की भूमि के भुगतान हेतु ग्राहक विभाग से कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	66.00				
	पुनर्वि०	(-)66.00				
4059-60-051-97- आबकारी तथा कराधान	मूल	25,00.00	6,15.32	6,15.42	(+)0.10	गुडगाँव एवं सोनीपत में निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु देरी से स्वीकृति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि०	(-)28,84.68				
4202-01-202-99- माध्यमिक पाठशाला भवन	मूल	1,30,00.00	1,18,24.64	1,11,70.72	(-)6,53.92	निधियों का अभ्यर्पण क्रमवार मांग प्राप्त होने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य के कार्य का आंकलन न होने के कारण हुआ।
	पूरक	56,00.00				
	पुनर्वि०	(-)67,75.36				
4235-02-104-99- अनाथ एवं बुजुर्गों हेतु आवास नया नाम बुजुर्गों तथा कमजोरों को आवास रिवाड़ी (स्वर्ण जयन्ती परियोजना)	मूल	10.00	0	0	0	मूल तथा अनुपूरक अनुदान द्वारा बनाया गया प्रावधान विवेकहीन सिद्ध हुआ चूंकि समस्त प्रावधान ग्राम विकास द्वारा नए कार्य स्वीकृत न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	पूरक	5,90.00				
	पुनर्वि०	(-)6,00.00				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-03-337-88- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण (99-राज्य में सड़कों का सुदृढीकरण/ चौड़ा करना तथा सुधार)	मूल	2,00,00.00	95,61.64	1,01,62.20	(+6,00.56	₹34,38.36 लाख के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि0	(-)34,38.36				

(12) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन के तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-96- जेलें	मूल	55,00.00	51,52.94	52,82.77	(+1,29.83	₹1,29,83 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत ग्राहक विभाग से देरी से मांग प्राप्त होने से निधियों का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,47.06				
4202-04-106-99- भवन (पुरातत्व)	मूल	20,00.00	22,47.72	20,79.56	(-)1,68.16	₹1,68.16 लाख की बचत के दृष्टिगत पंचकूला में राज्य पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण के लिए पहले से आबंटित जगह के अधिक क्षेत्र के फ्लोर एरिया अनुपात के भुगतान के कारण प्रावधान में आवर्धन अत्याधिक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	2,47.72				

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें (99-निर्माण/ सुदृढीकरण/चौड़ा करना तथा सड़कों का बाईपास राज्य योजना)	मूल	7,50,00.00	6,82,19.79	7,20,45.92	(+)38,26.13	₹38,26.13 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत वर्ष के एकदम अन्त में बिलों के निपटान न होने तथा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु देरी से स्वीकृति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)67,80.21				

प्रभारित विनियोग

- (13) ₹13,50.95 लाख की समस्त बचत में से, 31 मार्च 2018 को ₹19,05.59 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (14) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-80-800-99- अनुसन्धान	मूल	30,00.00	10,94.41	16,49.05	(+)5,54.64	माननीय न्यायालय द्वारा कम मध्यस्थता द्वारा कम अवार्ड घोषित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)19,05.59				

अनुदान संख्या 8-जारी

- (15) लोक निर्माण-कार्य विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा-मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान निर्माण-कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की प्रतिशतता की निम्न प्रकार से तुलना की गई है:-

वर्ष	निर्माण-कार्य परिव्यय	निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
				निर्माण-कार्य परिव्यय पर निदेशन प्रभार	निर्माण-कार्य पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
(₹लाख में)					
2015-16	24,45,83.55	5,13,39.54	10,17.14	21.00	0.42
2016-17	23,91,71.02	5,33,18.57	42,11.99	22.29	1.76
2017-18	25,84,58.81	5,55,21.08	44,63.33	21.48	1.73

- (16) उचन्त लेन-देन:- अनुदान के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹85,19.75 लाख शामिल हैं। शीर्ष 'उचन्त' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक हैं। तदानुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए ब्रहों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उचन्त' के चार उपभाग हैं, अर्थात्
- क्रय,
 - स्टाक,
 - विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
 - वर्कशाप उचन्त
- इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन नीचे स्पष्ट किया गया है:-
- क्रय:- यह उप-शीर्ष बकाया मदों के समायोजन को छोड़कर क्रियाशील नहीं हैं और शेषों के समस्त समायोजन तक निरन्तर अलग ही दर्शाया जाएगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष भण्डारों के मूल्यों का द्योतक हैं जो प्राप्त तो हो गए ब्रहों परन्तु जिनका भुगतान नहीं किया गया हैं।
 - स्टाक:- यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता हैं। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता हैं और लेखाओं में शेष स्टोक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक हैं।
 - विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:- यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता हैं:-
 - सामग्रियों का उधार विक्रय,
 - जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
 - हानियां तथा कटौतियों, और
 - अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होगा।

अनुदान संख्या 8-समाप्त

- (iv) वर्कशाप उचन्त:- विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक है।

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान में 'उचन्त' के अन्तर्गत आदि और अन्त शेषों सहित लेन-देनों के ब्यौरे निम्न प्रकार थे :-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	अन्त: शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹लाख में)		
क्रय	(-)21.18*	0	0	(-)21.18*
स्टाक	(+)75,49.06	56,28.19	(-)14,19.75	(+)1,17,57.50
विविध लोक निर्माण-कार्य	(+)1,07,21.73	57,06.16	(-)1,10,57.76	(+)53,70.13
पेशगियां	(-)85,86.70	0	0	(-)85,86.70
वर्कशाप उचन्त				
जोड़	(+)96,62.91	1,13,34.35	(-)1,24,77.51	(+)85,19.75

*मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण में लघु शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत उप-शीर्ष का परिचालन वित्त वर्ष 1982-83 से समाप्त कर दिया गया ।

(17) केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान (सबवेंशन):-

मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्कों के आगम से प्राप्त किया गया राजस्व भारत सरकार द्वारा गठित निधि, 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। इस निधि में से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को परिदान किए जाते हैं, परिदान के रूप में प्राप्त राशि को केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में क्रेडिट किया जाता है और उतनी ही राशि इस अनुदान (अनुदान संख्या '8-भवन तथा सड़कें') के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के समक्ष जमा लेखा 'केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान' को अन्तरित कर दी जाती है।

योजना पर वास्तविक व्यय प्रारम्भ में इस अनुदान के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और तत्पश्चात् जमा लेखाओं को अन्तरित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹11,414 लाख का परिदान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2016-17 के अन्त तक ₹1,92,58.61 लाख का क्रेडिट शेष असमायोजित था। ₹3,06,72.61 लाख की कुल राशि के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान जमा राशि के शेष में से ₹74,03.97 लाख राशि व्यय की गई, जिससे 31 मार्च 2018 को ₹2,32,68.64 लाख का जमा लेखे में शेष था।

निधि के लेन-देनों का लेखा 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दिया गया है।

(मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,34,14,09,35	1,35,09,96,35	1,11,64,25,28	(-)23,45,71,07
पूरक	95,87,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

23,52,15,58

पूंजीगत

दत्तमत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,00,00,00	1,00,00,01	0	(-)1,00,00,01
पूरक	1			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,00,00,01

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹23,45,71.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹23,52,15.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹23,45,71.07 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में ₹9,587 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 4 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-001-95- प्राथमिक शिक्षा डी.ई.ई.ओ./बी.ई.ओ की स्थापना (क्षेत्रीय अमला)	मूल	84,96.50	64,15.67	64,15.67	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,80.83				
2202-01-101-95- सुविधाओं का विस्तार कक्षा छठी से आठवीं (पूर्णकालिक)	मूल	7,00,00.00	3,79,39.88	3,79,39.88	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने से ठेके की दरों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,20,60.12				
2202-01-101-97- सुविधाओं का विस्तार कक्षा पहली से पांचवीं (पूर्णकालिक)	मूल	2,50,00.00	1,04,18.25	1,04,18.25	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा वित्त वर्ष 2017-18 में कम सेनानिवृति के फलस्वरूप अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,45,81.75				
2202-01-101-98- माध्यमिक शिक्षा कक्षा छठी से आठवीं (98-स्थापना व्यय)	मूल	26,04,28.00	22,19,19.32	22,20,88.45	(+)1,69.13	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति वित्त वर्ष 2017-18 में कम सेवा निवृति के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति अवकाश यात्रा की कम प्राप्ति तथा श्रमिकों की कम नियुक्ति के कारण हुआ। ₹1,69.13 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,85,08.68				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-102-92- अराजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को सहायतानुदान (वेतन-अनुदान)	मूल	45,00.00	10,63.10	10,63.10	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से कम वेतन दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)34,36.90				
2202-01-102-93- गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाओं हेतु पैन्शन लागू करना	मूल	40,00.00	14,60.32	14,60.32	0	निधियों का अभ्यर्पण गैर सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं के पैन्शन धारकों के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25,39.68				
2202-01-108-99- पाठ्य पुस्तकों को बनवाना तथा पठन सामग्री को तैयार करना	मूल	84.00	16.63	16.63	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)67.37				
2202-01-109-84- कक्षाएं पहली से आठवीं के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक वजीफे	मूल	60,00.00	21,71.33	21,71.33	0	निधियों का अभ्यर्पण जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से समय सीमा में तीसरे व चौथे तिमाही हेतु योग्य विद्यार्थियों का मासिक वजीफे का डाटा की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38,28.67				
2202-01-109-85- कक्षाएं पहली से आठवीं के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मासिक वजीफा	मूल	12,00.00	2,00.21	2,00.21	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से समय सीमा में तीसरे व चौथे तिमाही हेतु योग्य विद्यार्थियों का मासिक वजीफे का डाटा की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,99.79				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-111-99- सर्व-शिक्षा अभियान	मूल	7,41,37.50	4,52,30.04	4,52,30.03	(-)0.01	सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,89,07.46				
2202-01-112-99- मध्याह्न भोजन स्कूल का राष्ट्रीय कार्यक्रम	मूल	3,00,00.00	2,30,89.20	2,30,89.19	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाद्यान्न की कम उठान भारत सरकार से किचन-कम-स्टोर हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने तथा पदों के रिक्त रहने से हुई।
	पुनर्वि०	(-)69,10.80				
2202-01-789-97- कक्षाएँ पहली से आठवीं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मासिक वजीफे	मूल	1,70,00.00	71,71.23	71,71.23	0	निधियों का अभ्यर्पण जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से समय सीमा से तीसरे व चौथे तिमाही हेतु योग्य विद्यार्थियों का मासिक वजीफे का डाटा की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)98,28.77				
2202-01-789-98- कक्षा पहली से आठवीं के अनुसूचित जाति हेतु नकद इनाम योजना	मूल	85,00.00	55,07.30	55,07.30	0	निधियों का अभ्यर्पण जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से नकद इनाम हेतु योग्य विद्यार्थियों का कम अपलोडिड डाटा की प्राप्ति होने से हुई।
	पुनर्वि०	(-)29,92.70				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-789-99- कक्षा छठी के अनुसूचित जाति के छात्र विद्यार्थियों हेतु मुफ्त साइकलें प्रदान करना	मूल	6,00.00	1,62.56	1,62.56	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि0	(-)4,37.44				
2202-01-793-98- मध्यान्तर भोजन पाठशाला का राष्ट्रीय कार्यक्रम	मूल	45,00.00	29,53.33	29,53.33	0	निधियों का अभ्यर्पण भोजन के अन्तर्गत कम पंजीकरण/ लाभान्वितों की उपलब्धता होने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)15,46.67				
2202-01-800-91- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96- संस्कृत कार्यक्रम)	मूल	2,50.00	1,61.70	1,61.70	0	निधियों का अभ्यर्पण कम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने से हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)88.30				
2202-01-800-91- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98- सुगम शिक्षा- सभी स्कूलों को अध्यापक प्रदान करना)	मूल	1,00,00.00	2,22.22	2,22.21	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण योजना का देरी से लागू करने से परिणामतः अनुबन्ध आधार पर कम अध्यापकों की नियुक्ति से हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)97,77.78				
2202-01-800-91- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99- स्वच्छ प्रांगण)	मूल	30,00.00	0	0	0	शहरी स्थानीय निकाय तथा पंचायत विभाग से बहुउद्देशी कामगारों की वांछित संख्या में रोजगार न देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)30,00.00				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2202-02-001-97- स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन	मूल	96,57.00	33,79.61	33,79.61	0	भारत सरकार से समतुल्य अंशदान की प्राप्ति न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)62,77.39				
2202-02-001-99- प्रशासनिक अमला (98-डी.ई.ओ. स्थापना-क्षेत्रीय अमला)	मूल	48,85.31	39,81.14	39,81.14	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,04.17				
2202-02-001-99- प्रशासनिक अमला (99-मुख्यालय स्थापना)	मूल	36,86.00	29,84.49	29,84.49	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,01.51				
2202-02-004-99- राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् गुडगांव की स्थापना	मूल	9,30.00	7,52.14	7,52.14	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,77.86				
2202-02-105-90- एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा का सुदृढीकरण	मूल	45.00	6.33	6.33	0	भारत सरकार से समतुल्य अंशदान की प्राप्ति न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.67				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-91- शिक्षा एवं प्रशिक्षण खण्ड संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	मूल	2,21.00	96.59	96.59	0	मुख्यतः भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति तथा पदों के रिक्त रहने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,24.41				
2202-02-105-98- जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थाएँ	मूल	3,27.00	2,20.54	2,20.54	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,06.46				
2202-02-107-84- हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)	मूल	2,30.00	17.46	17.46	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पुस्तकों की खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,12.54				
2202-02-107-86- कक्षाएँ नौवीं से दसवीं के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक वजीफा	मूल	40,00.00	24,41.13	24,41.13	0	निधियों का अभ्यर्पण योग्य विद्यार्थियों की कम संख्या में उपलब्धता होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)15,58.87				
2202-02-107-87- कक्षाएँ नौवीं से बारहवीं के बी.पी.एल. विद्यार्थियों को मासिक वजीफा	मूल	8,00.00	3,43.84	3,43.84	0	निधियों का अभ्यर्पण योग्य विद्यार्थियों के कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,56.16				
2202-02-107-90- विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना	मूल	25.00	0	0	0	₹25 लाख के समस्त अभ्यर्पण हेतु विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)25.00				
2202-02-107-99- छात्रवृत्तियाँ (माध्यमिक स्कूल)	मूल	1,60.54	1,33.68	1,33.68	0	निधियों का अभ्यर्पण योग्य विद्यार्थियों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)26.86				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-109-82- विकलांगों हेतु माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को शामिल करना (आई.ई.डी.एस.एस)	मूल	16,00.00	9,23.73	9,23.73	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,76.27				
2202-02-109-83- निरन्तर एवं व्यापक मूल्यांकन	मूल	4,00.00	3,39.80	3,39.80	0	₹60.20 लाख के अभ्यर्पण हेतु विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)60.20				
2202-02-109-84 शैक्षिक पिछड़े खण्डों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में लड़कियों हेतु छात्रावास का निर्माण एवं संचालन	मूल	12,78.00	17.03	17.03	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,60.97				
2202-02-109-85- शैक्षिक पिछड़े खण्डों में आदर्श स्कूल का खोलना	मूल	30,00.00	25,64.80	25,64.80	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुई जो आरोही आदर्श स्कूलों हेतु कुछ वस्तुओं एवं सामग्री की खरीद पर आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,35.20				
2202-02-109-86- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मूल	4,00,00.00	2,27,14.09	2,27,14.09	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति तथा केन्द्रीय प्लान योजना की बजाए राज्य योजना के अन्तर्गत वेतन आहरित करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,72,85.91				
2202-02-109-94- शैक्षिक पिछड़े अल्पवर्ग हेतु क्षेत्रीय मानदेय कार्यक्रम	मूल	20.00	0	0	0	भारत सरकार से स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.00				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-110-96- अराजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल हेतु पैन्शन योजना का लागू करना	मूल	60,00.00	51,34.78	51,34.78	0	सहायता प्राप्त स्कूलों से कम दावों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,65.22				
2202-02-110-98- अराजकीय माध्यमिक स्कूलों का सहायतानुदान (वेतन अनुदान)	मूल	1,35,00.00	87,62.59	87,62.59	0	निधियों का अभ्यर्पण वेतनमानों का देरी से संशोधन होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)47,37.41				
2202-02-789-96- कक्षा नौवीं से बारहवीं में सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मासिक वजीफे	मूल	80,00.00	70,86.90	70,86.90	0	निधियों का अभ्यर्पण कम संख्या में योग्य विद्यार्थियों को उपलब्धता होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,13.10				
2202-02-789-97- कक्षा नौवीं से बारहवीं के अनुसूचित जाति हेतु नकद इनाम योजना	मूल	35,00.00	31,22.00	31,22.00	0	निधियों का अभ्यर्पण कम संख्या में योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,78.00				
2202-02-789-99- अनुसूचित जाति के कक्षा नौवीं एवं ग्यारवी के विद्यार्थियों हेतु मुफ्त बाइसाईकिल उपलब्ध करवाना	मूल	10,00.00	3,41.26	3,41.26	0	निधियों का अभ्यर्पण कम संख्या में योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,58.74				
2202-02-800-97- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96- विद्यार्थियों हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम)	मूल	2,00.00	1,73.94	1,73.94	0	योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)26.06				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-800-97- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (97-सु. संस्कार बेटी बचाओ बेटी बढाओ)	मूल	20,00.00	10,48.40	10,48.40	0	योजना के अन्तर्गत कम प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)9,51.60				
2202-02-800-97- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98-सुगम शिक्षा)	मूल	50,00.00	6,30.00	6,30.00	0	योजना के अन्तर्गत कम सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)43,70.00				
2202-02-800-97- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	1,50.00	1,23.12	1,23.12	0	योजना के अन्तर्गत कम स्वच्छ प्रांगण कार्यक्रम आयोजित के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)26.88				
2202-03-001-99- प्रशासनिक अमला (98- राजकीय महाविद्यालय प्रशासनिक अमला स्थापना क्षेत्रीय अमला)	मूल	60,94.00	51,02.39	50,78.37	(-)24.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ, जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर व्यय से आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ । ₹24.02 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)9,91.61				
2202-03-103-97- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर. यू. एस. ए.)	मूल	1,00,00.00	34,55.92	34,55.92	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)65,44.08				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-103-99- संस्थान	मूल	3,29,68.50	2,74,13.10	2,74,13.07	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो मंहगाई भत्ता तथा अधिक संविदा अमले की नियुक्ति पर भुगतान के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)55,55.40				
2203-03-104-98- अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में पेंशन लागू करना	मूल	1,50,00.00	1,73,12.04	1,73,12.04	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्तों के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	60,00.00				
	पुनर्वि0	(-)36,87.96				
2203-03-107-98- छात्रवृत्तियाँ (महाविद्यालय)	मूल	2,25.00	1,34.14	1,34.14	0	निधियों का अभ्यर्पण कम योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)90.86				
2202-03-107-99- कला सकांय महाविद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ	मूल	65.00	39.96	39.89	(-)0.07	निधियों का अभ्यर्पण कम योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.04				
2203-03-789-94- राजकीय महाविद्यालयों में सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	मूल	60,00.00	45,40.90	45,40.90	0	निधियों का अभ्यर्पण अनुसूचित जाति के कम योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)14,59.10				

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-789-97- राजकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध करवाना	मूल	10,00.00	7,99.97	7,99.97	0	निधियों का अभ्यर्पण कम योग्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.03				
2204-04-200-97- साक्षर भारत योजना	मूल	19,00.00	4,99.20	4,99.20	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)14,00.80				
2202-04-200-98- अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम	मूल	96.00	58.78	58.78	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ था।
	पुनर्वि0	(-)37.22				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-102-99- गूंगे एवं बहरों हेतु कल्याण समिति को सहायतानुदान	मूल	3,00.00	4,91.44	4,91.43	(-)0.01	संस्थाओं से सहायतानुदान की अधिक दावों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	1,91.44				
2202-01-793-99- सर्व शिक्षा अभियान	मूल	1,48,27.50	2,13,76.81	2,13,76.81	0	सर्व शिक्षा अभियान हेतु भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों की स्वीकृति के दृष्टिगत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	65,49.31				
2202-03-102-92- खानपुर कलां (सोनीपत) में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करना	मूल	39,00.00	46,01.00	46,01.00	0	महाविश्वविद्यालय से अधिक मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	7,01.00				

दोषपूर्ण वजट

- (5) दोषपूर्ण वजट के तीन मामले, जिनमें पूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया तथा पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-053-99- राजकीय स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	मूल	18,00.00	16,20.01	16,20.01	0	निधियों का अभ्यर्पण स्कूलों में सुझाई योजना के स्थापित करने सम्बन्धी को अन्तिम रूप न दिये जाने तथा लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि0	(-)11,79.99				
2202-02-105-93- झज्जर में स्वतन्त्र राज्य स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान	मूल	5,17.00	2,79.25	2,79.25	0	निधियों का अभ्यर्पण संस्थान से कम मांग की प्राप्ति तथा कम निर्माण कार्यों के कार्यान्वित होने से हुआ।
	पूरक	5,00.00				
	पुनर्वि0	(-)7,37.75				
2202-03-105-93- राजकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट कक्ष की स्थापना करना	मूल	1,20.00	1,02.24	1,02.24	0	निधियों का अभ्यर्पण खजानों द्वारा अन्तिम तिमाही में बिलों को पास न करने के कारण हुआ।
	पूरक	3,37.00				
	पुनर्वि0	(-)3,54.76				

अनुदान संख्या 9-समाप्त

(6) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन का एक दोषपूर्ण मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-101-88- प्राथमिक शिक्षा कक्षाएँ पहली से पांचवी की स्थापना	मूल	24,69,76.00	24,49,45.41	24,54,45.38	(+)4,99.97	₹4,99.97 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत मुख्यतः कम मंहगाई भत्ता, चिकित्सा प्रति पूर्ति, अनुग्रहपूर्वक तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति तथा कुछ वस्तुओं की खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण जो नई जे.बी.टी. पदों पर अधिक व्यय से प्रतिसन्तुलित हुआ, अविवेकहीन सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)20,30.59				

पूँजीगत

(7) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-01-202-98- सीनियर सेकेण्डरी/हाई स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों/हैंडपम्पों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	1,00,00.00	0	0	0	पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त अभ्यर्पण का दिया गया कारण योजना का नाम बदलना सही नहीं है, जिसके विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,00,00.00				

अनुदान संख्या-10-तकनीकी शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2203 तकनीकी शिक्षा)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	4,37,84,00	4,37,84,01	3,45,22,67	(-)92,61,34
पूरक	1			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

91,93,99

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) रु92,61.34 लाख की कुल बचत में से रु67.35 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2203-51-001-91- हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	मूल	25,00.00	11,25.00	11,25.00	0	निधियों का अभ्यर्पण विश्वविद्यालयों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग के अन्तर्गत हस्तांतरण के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,75.00				
2203-51-001-93- तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय अमला)	मूल	6,99.00	5,36.99	5,36.99	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुई।
	पुनर्वि0	(-)1,62.01				

अनुदान संख्या-10-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-001-97- हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	2,60.77	2,60.77	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति से हुई जो अधिक अनुबंधित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय से आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,39.23				
2203-51-102-95- विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गाँव दुधौला, जिला पलवल	मूल	5,00.00	2,25.00	2,25.00	0	निधियों का अभ्यर्पण विश्वविद्यालयों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,75.00				
2203-51-104-74- सम्बन्ध सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं/बहुशिल्पों कर्मचारियों को पेशन	मूल	5,40.00	4,84.88	4,84.88	0	₹55.12 लाख के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)55.12				
2203-51-104-77- सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों का विकास	मूल	4,50.00	3,94.50	3,94.50	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 55.50				
2203-51-104-97- वैश्य तकनीकी संस्थान रोहतक	मूल	6,80.00	4,76.00	4,76.00	0	₹204 लाख के अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)2,04.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-105-59- राजकीय बहुतकनीकियों का विकास (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,53,25.00	1,26,20.40	1,25,53.05	(-)67.35	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त, क्रय अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत क्रय तथा अन्य प्रभारों की कम स्वीकृति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)27,04.60				
2203-51-105-82- वर्तमान बहुतकनीकियों का आधुनिकीकरण	मूल	6,00.00	0	0	0	भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,00.00				
2203-51-105-89- राज्य में नए राजकीय बहुतकनीकियों की स्थापना	मूल	20,00.00	6,39.99	6,39.99	0	भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,60.01				
2203-51-112-90- नीलोखेड़ी जिला करनाल में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना	मूल	5,00.00	3,01.85	3,01.85	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मशीनरी तथा उपकरण हेतु विभाग द्वारा कम प्रस्ताव अनुमोदित करने तथा नए वाहनों की खरीद न होने से हुई जो अनुबन्धित अमले की अधिक नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 1,98.15				
2203-51-112-91- किलोहार्ड सोनीपत में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान की स्थापना	मूल	10,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत ले आउट/नक्शा योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण योजना के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या-10-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-112-92- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पंचकूला की स्थापना	मूल	10,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत ड्राइंग योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)10,00.00				
2203-51-789-96- अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	25.00	4.63	4.63	0	निधियों का अभ्यर्पण अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता कम संख्या में होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.37				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-789-93- प्रत्येक राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों तथा राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में विशेषतः एस.सी. विद्यार्थियों हेतु कम्प्यूटर लैब की स्थापना	मूल	0	50.00	50.00	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान करने के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	50.00				

अनुदान संख्या-11-खेलकूद तथा युवा कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 4202 शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,56,84,20	4,57,54,20	2,46,34,51	(-)2,11,19,69
पूरक	70.00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

2,10,00,10

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	50,00,00	50,00,00	34,95,00	(-)15,05,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

15,05,00

टिप्पणियां एवं टीकाएँ-

राजस्व

- (1) ₹2,11,19.69 लाख की समस्त बचत में से, ₹1,19.59 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- (2) ₹2,11,19.69 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में ₹70 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-001-91- नई कोचिंग योजना	मूल	1,36.00	1,11.33	1,10.60	(-)0.73	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति, कम यात्राओं की अनुमति, खेलकूद क्रियाकलापों को आयोजित न करने, बिजली बिलों के कम भुगतान तथा कम जल प्रभारों के बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)24.67				
2204-51-001-99- खेलकूद निदेशालय हेतु आवश्यक अमले की नियुक्ति	मूल	5,92.00	4,99.17	4,72.46	(-)26.71	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मुख्यतः कार्यों पर कम व्यय करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)92.83				
2204-51-102-91- नए बालिका बटालियन एन.सी.सी. यूनिट हिसार का खोलना	मूल	1,26.00	66.05	66.05	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुबंधित कर्मचारियों की कम भागीदारी, कम यात्राएं करने तथा किराये, दरों तथा करों का कम भुगतान के कारण हुआ। महंगाई भत्ते के अन्तर्गत अभ्यर्पण के कारण सही नहीं है। सही कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)59.95				
2204-51-102-93- डी.एच.ई. हरियाणा में एन.एस.एस. कक्ष का खोलना	मूल	73.80	32.85	30.61	(-)2.24	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)40.95				
2204-51-102-94- क्षेत्रीय अमला	मूल	90.00	15.14	15.14	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)74.86				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-102-96- भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य द्वारा 7:5 के अनुपात में एन.एस.एस. योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान	मूल	2,00.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2204-51-102-98- वार्षिक कैडेट कैम्पस पर व्यय	मूल	1,95.00	1,03.63	1,03.63	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना के अन्तर्गत कम कैम्पों का आयोजन करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)91.37				
2204-51-102-99- राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस पर व्यय	मूल	16,93.20	14,10.45	14,12.38	(+)1.93	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, योजना के अन्तर्गत कम कैम्पों का आयोजन करने से हुआ जो अधिक अनुबंधित अमले की नियुक्ति से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,82.75				
2204-51-104-46- स्वर्ण जयन्ती समारोह योजना	मूल	80,00.00	20,90.56	20,90.56	0	महाकुम्भ मौके पर उप- आयुक्तों द्वारा मांग प्रस्तुत न करने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)59,09.44				
2204-51-104-47- खेलकूद क्रिया कलापों (ई.एंड टी.) का उन्नयन	मूल	59,00.00	41,30.01	41,30.01	0	हरियाणा विकास निधि में पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण बजट का उपयोग न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)17,69.99				

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-48- पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) नया नाम खेलो इंडिया-खेलकूद के विकास हेतु कार्यक्रम- केन्द्रीय क्षेत्र योजना सहायतानुदान	मूल	14,30.00	1,75.40	1,75.40	0	भारत सरकार से कम सहायतानुदान की प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)12,54.60				
2204-51-104-51- राज्य खेलकूद परिषद योजना	मूल	1,00.00	0	0	0	परिषद के लिए सहायतानुदान देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
2204-51-104-52- खेलकूद ईनाम तथा प्रोत्साहन योजना (99-सामान्य योजना)	मूल	5,00.00	1,10.55	1,10.55	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अर्जुन/द्रोणाचार्य एवं ध्यानचन्द पुरस्कार से सम्मानितों को कम मानदेय देने तथा योजना के अन्तर्गत ईनाम देने के लिए कम योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)3,89.45				
2204-51-104-53- सूचना पद्धति योजना का आधुनिकीकरण	मूल	85.50	31.16	31.16	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः विभाग की वैबपोर्टल के विकास हेतु हारट्रोन को भुगतान करने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)54.34				

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-54- युवा विकास योजना	मूल	3,35.00	1,69.15	1,69.15	0	निधियों का अभ्यर्पण कम यात्राओं की अनुमति देने, आतिथ्य/ईनाम के कम दावों की प्राप्ति तथा पारितोषिक तथा ईनाम देने के लिए कम योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,65.85				
2204-51-104-55- खेलकूद का जनसमूह लोकप्रियता	मूल	1,10.00	28.31	28.31	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कुछ वस्तुओं की कम खरीद, सहायतानुदान की मांग की प्राप्ति न होने तथा पारितोषिक तथा ईनाम देने हेतु कम योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)81.69				
2204-51-104-56- मानव संसाधन विकास योजना	मूल	50,00.00	19,45.27	19,14.29	(-)30.98	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः खेलकूद नर्सरी को चलाने हेतु समय पर निर्णय न लिए जाने, तिमाही व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने, कम टुर्नामैन्ट आयोजित करने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)30,54.73				
2204-51-104-57- बुनियादी ढाँचा	मूल	1,10,25.00	71,16.43	71,16.43	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने, तिमाही व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने मरम्मत पर कम व्यय तथा योजना के अन्तर्गत अनुबंधित अमले की नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)39,08.57				

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-69- खेलकूद नर्सरी	मूल	8,16.50	2,46.93	2,46.93	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः खेलकूद नर्सरियों को चलाने के लिए समय पर निर्णय न लेने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,69.57				
2204-51-104-86- खेलकूद उपकरण	मूल	22,00.00	3,92.19	3,92.19	0	निधियों का अभ्यर्पण व्यय पर 30 प्रतिशत प्रतिबन्ध के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)18,07.81				
2204-51-104-91- नेहरू युवा केन्द्र योजना	मूल	2,53.50	2,02.55	2,02.55	0	निधियों का अभ्यर्पण युवा क्रियाकलापों का आयोजन न करने तथा प्रत्याशा से कम महंगाई भत्ते के कम व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.95				
2204-51-104-93- नकद पुरस्कार	मूल	40.00	0	0	0	खेलकूद के व्यक्तियों को नकद ईनाम देने की प्रक्रिया का पूर्ण न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)40.00				
2204-51-104-99- खेलकूद छात्रावास	मूल	58.00	4.58	4.58	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः क्षेत्रीय कार्यालयों में कम मरम्मत कार्य कार्यान्वित करने तथा खेलकूद छात्रावास को चलाने हेतु फैसला न लेने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)53.42				
2204-51-789-99- अनुसूचित जातियों हेतु मूलभूत योजना	मूल	16,00.00	10,68.94	10,68.94	0	निधियों का अभ्यर्पण योग्य अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों की कम उपलब्धता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,31.06				

अनुदान संख्या 11-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-800-96- खेलकूद एवं उपकरण एवं विद्यालयों में खेलकूद मैदानों का विकास	मूल	3,00.00	76.49	76.49	0	योजना के अन्तर्गत खेलकूद उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,23.51				

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-800-98- राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद को सहायता अनुदान	मूल	1,15.00	2,00.00	2,00.00	0	योजना के अन्तर्गत अधिक पाठशाला खेल चैम्पियनशिप के आयोजन करने के कारण प्रावधान में आवर्धन किया गया।
	पुनर्वि0	85.00				

पूँजीगत

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-03-102-99- खेल मूलभूत योजना	मूल	50,00.00	34,95.00	34,95.00	0	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)15,05.00				

(मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	15,48,04	15,48,04	11,64,53	(-)3,83,51
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,83,25

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

(1) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) रुलाख में)	टिप्पणी
2205-51-102-93- अभिलेखागारों का विकास (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	15.00	3.46	3.46	0	निधियों का अभ्यर्पण कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11.54				
2205-51-102-99 राज्य अभिलेखाकार क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा हरियाणा अभिलेखागार का विकास	मूल	2,16.64	1,83.07	1,83.07	0	मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण मुख्यतः निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.57				
2205-51-103-93- आंचलिक संग्रहालय की स्थापना	मूल	2,30.00	1,08.31	1,08.31	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा तकनीकी अमले की कमी के फलस्वरूप मरम्मत कार्य न किये जाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,21.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-94- राज्य पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना	मूल	1,00.00	12.37	12.37	0	निधियों का अभ्यर्पण स्थल हेतु योजना को अन्तिम रूप न देने, मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)87.63				
2205-51-103-95- प्राचीन मूर्ति बनाने एवं पुरानी वस्तुओं का प्लास्टर का करना	मूल	20.00	8.49	8.49	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहन्न तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 11.51				
2205-51-103-96- सुरक्षा/परिक्षण प्राचीन स्मारक स्थलों का विकास	मूल	2,50.00	1,27.33	1,27.33	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, तथा तकनीकी अमले की कमी के फलस्वरूप मरम्मत कार्य न करवाए जाने तथा अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 1,22.67				
2205-51-103-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	1,86.61	1,46.66	1,46.60	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 39.95				

(2) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-98- पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम	मूल	60.00	1,41.79	1,41.79	0	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन सरकार की नई योजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	81.79				

अनुदान संख्या-13-स्वास्थ्य

(मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	33,99,42,87	35,08,23,89	30,74,16,74	(-)4,34,07,15
पूरक	1,08,81,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

4,26,58,95

प्रभारित

मूल	25,00	25,00	8,93	(-)16,07
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

16,07

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,16,60,00	5,84,65,00	1,69,48,82	(-)4,15,16,18
पूरक	68,05,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

4,15,16,18

अनुदान संख्या-13-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹4,34,07.15 लाख की समस्त बचत में से, ₹7,48.20 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹4,34,07.15 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018 में प्राप्त ₹1,08,81.02 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 4 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001 98- जिला अमला सिविल सर्जन हेतु अमले का जारी रखना	मूल	44,19.10	37,44.60	37,49.64	(+)5.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मोटर वाहनों की कम खरीद तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि०	(-)6,74.50				
2210-01-001-99- मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदृढीकरण	मूल	19,91.80	11,01.89	11,01.42	(-)0.47	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि०	(-)8,89.91				
2210-01-102-98- जिला अमला (98- स्थापना व्यय)	मूल	1,95,98.20	1,28,77.10	1,28,77.10	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, सामग्री एवं आपूर्ति, क्षेत्रीय कार्यालयों से मशीनरी एवं उपकरण की कम माँग तथा अनुबंधित अमले की नियुक्ति में देरी के कारण हुआ ।
	पुनर्वि०	(-)67,21.10				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-102-99- मुख्यालय अमला	मूल	5,24.90	3,75.18	3,75.18	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों द्वारा यात्रा रियायत का कम उपभोग करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,49.72				
2210-01-109-99- अन्य स्वास्थ्य योजना पाठशाला स्वास्थ्य सेवाएँ	मूल	8,31.25	6,23.08	6,23.05	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,08.17				
2210-01-110-36- बी.पी.एल. परिवारों हेतु राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना	मूल	2,00.00	60.22	60.22	0	निधियों का अभ्यर्पण गरीबी रेखा से नीचे परिवारों हेतु राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,39.78				
2210-01-110-37- स्वास्थ्य संस्थान एवं एच.एम.आई.एस. की गुणवत्ता सुधार हेतु हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र	मूल	24,00.00	10,60.00	10,60.00	0	अभ्यर्पण का कारण कि ₹1000 लाख की निधियों का दूसरी योजना में परिवर्तन विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)13,40.00				
2210-01-110-44- नशा मुक्ति केन्द्रों का सुदृढीकरण /खोलना	मूल	1,94.00	1,47.60	1,47.59	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुग्रहपूर्वक चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)46.40				

आनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-46- सहायता सेवाओं का वाह्य साधन	मूल	60,00.00	72,17.64	72,13.51	(-)4.13	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः विभाग के द्वारा निविदाओं के न होने के फलस्वरूप अनुबंधित अमलों की कम नियुक्ति होने के कारण हुआ।
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि0	(-)17,82.36				
2210-01-110-48- अस्पतालों में फीडर लाइनों का स्वतन्त्र संचालन तथा जल आपूर्ति	मूल	2,50.00	1,91.44	1,91.44	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हॉटलाइन की कम स्थापना के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)58.56				
2210-01-110-64- हरियाणा रक्त संचालन परिषद को सहायतानुदान	मूल	1,10.00	85.00	85.00	0	₹25 लाख अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)25.00				
2210-01-110-68- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों हेतु आरोग्य कोष	मूल	2,10.00	60.00	60.00	0	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से कम दावों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,50.00				
2210-01-110-73- रक्त संचालन केन्द्र	मूल	5,76.50	4,18.20	4,17.77	(-)0.43	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,58.30				
2210-01-110-97- टी. बी. सैनितोरिया अन्य अस्पताल/क्लीनिक	मूल	17,40.00	13,80.43	13,50.88	(-)29.55	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,59.57				
2210-01-192-99- स्वास्थ्य द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को अनुदान	मूल	1.00	3,04.90	3,04.90	0	योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों की कम मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	11,00.00				
	पुनर्वि0	(-)7,96.10				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-02-101-92- जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	1,90.80	1,90.77	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी एवं उपकरण की कम खरीद करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,09.20				
2210-02-101-92- जिला आयुर्वेदिक कार्यालय (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	80.00	54.76	54.76	0	संगणकीकरण के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.24				
2210-02-101-93- मुख्यालय स्तर पर आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	मूल	1,20.00	51.92	51.88	(-)0.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)68.08				
2210-02-101-99- मुख्यालय अमला आर्युवैदिक विभाग का पुर्नगठन	मूल	4,06.25	2,85.00	2,84.94	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,21.25				
2210-02-102-99- होमियोपैथिक औषधालयों का खोलना/जारी रखना	मूल	75.00	14.70	14.70	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम दवाईयों की खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)60.30				
2210-03-103-84- एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत सहायतानुदान	मूल	5,00,00.00	4,36,93.00	4,36,93.00	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान प्राप्त होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)63,07.00				
2210-03-103-91- पी.एच.सी. का जारी रखना	मूल	2,17,67.10	1,82,81.15	1,81,33.80	(-)1,47.35	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ। ₹1,47.35 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)34,85.95				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-03-103-98- औषधियों और पी.एस.सी./सी.एच. सी. हेतु सामग्री की खरीद	मूल	8,50.00	5,89.84	5,90.12	(+0.28)	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः वार्षिक मरम्मत संविदा/मशीनरी एवं उपकरणों का कम्प्यूटर प्रबन्धन निगम पर कम व्यय करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,60.16				
2210-03-104-99- सी.एच.सी. ग्रामीण रैफरड अस्पताल	मूल	81,84.00	52,49.20	52,26.36	(-)22.84	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ। ₹22.84 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)29,34.80				
2210-03-110-98- रैफरड अस्पताल (एम.एन.पी)	मूल	26,33.00	23,12.89	22,70.92	(-)41.97	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुबन्धित अमले की नियुक्ति न करने सामग्री एवं आपूर्ति और कार्यालय व्यय में मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ। ₹41.97 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,20.11				
2210-03-110-99- ग्रामीण अस्पताल तथा औषधालय का जारी रखना	मूल	88,47.50	64,54.70	63,82.07	(-)72.63	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ। ₹72.63 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)23,92.80				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-03-789-99- जननी सुरक्षा योजना अनुसूचित जाति हेतु	मूल	4,00.00	3,55.09	3,55.09	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)44.91				
2210-04-101-86- आयुर्वेदिक/युनानी/ होमियोपैथिक औषधालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण तथा महिला, बच्चे एवं वृद्ध लोगों हेतु विशेष दवाई	मूल	7,85.00	6,29.10	6,29.10	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम दवाइयों की खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,55.90				
2210-04-101-94- विभिन्न संस्थान/ग्राम पंचायतों को सहायतानुदान	मूल	1,05.00	73.50	73.50	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)31.50				
2210-05-101-88- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी/ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला कुस्क्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान पंचकुला का सुधार जारी रखना	मूल	9,00.00	7,14.29	7,14.29	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों के रहने तथा मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद के कारण हुआ जो अनुबन्धित अमले की अधिक नियुक्ति से भुगतान पर अधिक व्यय से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,85.71				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-101-89- श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुस्क्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान पंचकूला का सुदृढीकरण तथा सुधार	मूल	9,88.47	7,08.56	7,07.85	(-)0.71	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)2,79.91				
2210-05-105-73- पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य सेवाएं रोहतक विश्वविद्यालय हेतु मशीनरी एवं उपकरण की खरीद	मूल	19,00.00	13,30.00	13,30.00	0	योजना के अन्तर्गत कम मांग होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)5,70.00				
2210-05-105-74- कुटैल, करनाल में कल्पना चावला चिकित्सा विज्ञान नया नाम चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना	मूल	50.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित एजेंसी का अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त हज योजना (96-बी.पी.एल. राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत)	मूल	10,00.00	8,25.60	8,25.60	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत कुछ सामग्री एवं आपूर्ति बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,74.40				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त हज योजना (97-पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य साईंस रोहतक विश्वविद्यालय)	मूल	20,00.00	12,78.00	12,78.00	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदानों की कम मांग के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,22.00				
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त हज योजना (98-सक्षम गर्वनमेंट कालेज नलहार मेवात)	मूल	6,50.00	3,58.52	3,58.52	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत सामग्री एवं आपूर्ति बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,91.48				
2210-05-105-77- राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रोहतक की स्थापना	मूल	3,20.00	2,82.00	2,82.00	0	योजना के अन्तर्गत निधियों का अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.00				
2210-05-105-78- कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय करनाल की स्थापना	मूल	75,00.00	59,94.66	59,94.48	(-)0.18	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा वित्त विभाग से बिलों के पास न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)15,05.34				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-81- मेवात चिकित्सा महाविद्यालय नलहार की स्थापना	मूल	88,00.00	73,71.62	73,69.91	(-)1.71	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कम्प्यूटर प्रबन्धन निगम का अन्तिम रूप न दिये जाने तथा प्रकाशन बिलों तथा मेवात चिकित्सा महाविद्यालय नलहार में आई.पी. सरवेलाइस स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)14,28.38				
2210-05-105-82- बी. पी. एल. महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना	मूल	95,00.00	78,75.11	78,67.91	(-)7.20	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)16,24.89				
2210-05-105-83- अनुसन्धान एवं, चिकित्सा शिक्षा हरियाणा निदेशालय का कार्यालय की स्थापना	मूल	7,00.00	3,77.87	3,77.82	(-)0.05	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय भवन तथा कम्प्यूटरीकरण हेतु भूमि की खरीद प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिये जाने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,22.13				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-06-003-93- चिकित्सा एवं पैरा चिकित्सा अमले का प्रशिक्षण	मूल	17,44.30	12,70.50	12,70.44	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,73.80				
2210-06-101-85- एड्स रोकथाम कार्यक्रम	मूल	22,06.00	22.79	22.79	0	निधियों का अभ्यर्पण निधियों का सीधे तौर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से हरियाणा एड्स नियन्त्रण परिषद की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)21,83.21				
2210-06-101-86- राष्ट्रीय गण्डमूल उन्मूलन कार्यक्रम	मूल	82.00	4.74	4.74	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)77.26				
2210-06-101-99- मलेरिया	मूल	1,88,83.90	1,39,60.98	1,39,43.02	(-)17.96	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)49,22.92				
2210-06-102-99- जन-विश्लेषक एवं खाद्य निरीक्षक	मूल	3,35.00	2,94.24	2,94.24	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)40.76				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-06-104-45- खाद्य एवं ड्रग प्रशासन विभाग की स्थापना	मूल	4,70.00	3,63.24	3,63.13	(-)0.11	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अमले द्वारा कम यात्राएं करने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,06.76				
2210-06-107-99- प्रयोगशालाएं	मूल	5,21.70	4,20.17	4,20.17	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,01.53				
2210-06-112-99- पौषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा	मूल	2,47.60	1,71.55	1,71.49	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)76.05				
2210-80-004-93- स्वास्थ्य विभाग में कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना	मूल	3,95.00	1,72.49	1,72.49	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आंकड़ा प्रविष्टि परिचालकों को हायर न करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,22.51				
2210-80-004-97- चिकित्सा आंकड़े एवं मूल्यांकन	मूल	3,52.65	2,26.47	2,26.43	(-)0.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,26.18				
2210-80-800-96- नागरिक पंजीकरण पद्धति का सुदृढीकरण	मूल	50.00	0	0	0	पदों के रिक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2211-51-001-97- शिशु उत्तर जीवित सुरक्षित मातृत्व	मूल	9,04.00	5,57.10	5,56.54	(-)0.56	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,46.90				
2211-51-001-98- जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	16,20.00	9,54.05	9,54.03	(-)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,65.95				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2211-51-001-99- राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	5,70.00	3,20.57	3,20.47	(-)0.10	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,49.43				
2211-51-003-95- एम. पी. डब्ल्यू. प्रशिक्षण पाठशाला (पुरुष), रोहतक	मूल	81.35	47.62	47.62	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.73				
2211-51-003-96- एम. पी. डब्ल्यू. (स्त्री) भिवानी हेतु उन्नयन प्रशिक्षण पाठशाला	मूल	62.50	42.22	42.22	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.28				
2211-51-003-98- ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	मूल	8,70.00	6,09.19	6,08.59	(-)0.60	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,60.81				
2211-51-003-99- क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रोहतक	मूल	1,97.30	1,02.72	1,02.72	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)94.58				
2211-51-101-98- उप-केन्द्र	मूल	1,70,20.00	1,15,23.89	1,13,87.60	(-)1,36.29	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अमले द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को न लेने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)54,96.11				
2211-51-102-99- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	मूल	5,70.20	4,05.36	4,05.36	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,64.84				
2211-51-200-99- परम्परागत गर्भ- निरोधक	मूल	5,22.45	2,95.18	2,95.18	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से कन्डोम, ओरल पिल्स तथा कॉपर्स-टी की कम आपूर्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,27.27				

अनुदान संख्या-13-जारी

(5) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-40- शहरी स्वास्थ्य मिशन	मूल	13,05.00	16,15.37	16,08.00	(-)7.37	मुख्यतः सेवा निवृत्तों को अवकाश नकदीकरण के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	3,10.37				
2210-01-110-43- एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच. सी.ई. को लागू करना	मूल	0	12,15.03	12,15.03	0	नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में कैसर यूनिट की स्थापना के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पूरक	3,69.00				
	पुनर्वि0	8,46.03				
2210-01-110-49- शहरी अस्पताल तथा औषधालयों का सुदृढीकरण	मूल	3,05,16.60	3,90,63.42	3,89,01.23	(-)1,62.19	नए चिकित्सा अधिकारियों, अमला, नर्स तथा फार्मासिस्ट की नियुक्तियाँ, सेवानिवृत्तों को अवकाश नकदीकरण के भुगतान तथा बिजली बिलों का अधिक भुगतान से प्रावधान आवर्धित हुआ जो पदों के रिक्त रहने, लघु निर्माण कार्यों का कम कार्यान्वयन तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ। ₹1,62.19 लाख बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि0	65,46.82				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-03-103-99- पी.एम.सी. हेतु औषधियों की प्राथमिक स्वास्थ्य की खरीद का खोलना/जारी रखना	मूल	94,75.00	1,07,53.27	1,07,29.11	(-)24.16	नए चिकित्सा अधिकारियों, अमला, नर्सों तथा फार्मासिस्टों की नियुक्तियों, सेवा निवृत्तों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को अधिक भुगतान से प्रावधान आवर्धित हुआ जो पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ । ₹24.16 लाख बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि०	12,78.27				
2210-04-102-97- होमियोपैथिक औषधालय का जारी रखना	मूल	3,26.30	3,73.66	3,73.64	(-)0.02	अमले को सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति देने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि.	47.36				
2210-04-103-98- युनानी	मूल	2,64.10	3,47.05	3,42.25	(-)4.80	अमले को सुनिश्चित प्रौन्नति योजना देने से प्रावधान आवर्धित हुआ जो मितव्ययता उपायों के कारण बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ ।
	पुनर्वि०	82.95				
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त इलाज योजना (99- कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल)	मूल	4,00.00	4,43.55	4,43.55	0	योजना के अन्तर्गत औषधियों की मांग में बढ़ाव होने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि०	43.55				

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2211-51-103-99- टीकाकरण कार्यक्रम	मूल	6,75.20	23,42.09	23,42.09	0	भारत सरकार से टीका दवाई व कोल्डचेन उपकरण इत्यादि की अत्याधिक आपूर्ति के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	16,66.89				

दोषपूर्ण बजट

(6) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-86- प्राथमिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में ओरल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ	मूल	47,19.75	47,90.29	47,46.63	(-)43.66	₹43.66 लाख की बचत के दृष्टिगत सेवानिवृत्तों को अवकाश नकदीकरण के भुगतान के कारण प्रावधान का आवर्धन जो पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण बचत द्वारा प्रति सन्तुलित हुआ। विवेकहीन सिद्ध हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	70.54				

अनुदान संख्या-13-जारी

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

(7) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-89- नर्सिंग महाविद्यालय नलहार का निर्माण कार्य (99- भवन का निर्माण)	मूल	5,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
4210-03-105-90- दन्त महाविद्यालय नलहार का निर्माण कार्य (99- भवन का निर्माण)	मूल	5,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
4210-03-105-91- बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य (99- भवन निर्माण)	मूल	1,37,10.00	61,00.00	61,00.00	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का मास्टर प्लान को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)76,10.00				
4210-03-105-92- स्वास्थ्य सेवाएं विश्वविद्यालय करनाल का निर्माण कार्य (99- भवन निर्माण)	मूल	99,50.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)99,50.00				

अनुदान संख-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-93- नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी का निर्माण कार्य	मूल	50,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पूरक	68,05.00				
	पुनर्वि0	(-)1,18,05.00				
4210-03-105-94- नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जीन्द का निर्माण कार्य	मूल	25,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25,00.00				
4210-03-105-95- नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पंचकुला का निर्माण कार्य	मूल	25,00.00	0	0	0	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पंचकुला के निर्माण कार्य को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25,00.00				
4210-03-105-97- बी.पी.एल. महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत का निर्माण (98-भवन निर्माण राज्य अंशदान)	मूल	30,00.00	86.13	86.13	0	परियोजना लागत के विरुद्ध तीसरी किश्त का मांग प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)29,13.87				

अनुदान संख्या-13-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-98- मेवात चिकित्सा महाविद्यालय नलहार का निर्माण (97-भवन निर्माण राज्य अंशदान)	मूल	70,00.00	5,44.66	5,44.66	0	योजना के अन्तर्गत संशोधन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन न होने से अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)64,55.34				

(8) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-96- कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल का निर्माण	मूल	70,00.00	1,02,18.03	1,02,18.03	0	कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	32,18.03				

अनुदान संख्या-14-नगर विकास

(मुख्य शीर्ष- 2217 शहरी विकास, 4217 शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,03,94,35	1,04,84,35	50,89,28	(-)53,95,07
पूरक	90,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

52,14,31

पूजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	10,00,00,00	15,00,00,00	10,00,00,00	(-)5,00,00,00
पूरक	5,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

5,00,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹53,95.07 लाख की समस्त बचत में से, ₹1,80.76 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹53,95.07 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018 में ₹90 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-95- शहरी एवं ग्रामीण आयोजना (जिला अमला)	मूल	40,01.00	35,06.73	34,72.38	(-)34.35	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	15.00				
	पुनर्वि0	(-)5,09.27				

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-87- दिल्ली के आसपास एन.सी.आर.सैटेलाइट हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायतानुदान	मूल	42,00.00	45.84	45.84	0	₹41,54.16 लाख के अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए है । विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)41,54.16				

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-99- शहरी एवं ग्रामीण आयोजन (मुख्यालय अमला)	मूल	12,69.10	8,56.81	8,58.69	(+)1.88	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	55.00				
	पुनर्वि0	(-)4,67.29				
2217-80-800-74- उपनिवेशवादियों तथा आबंटियों के मध्य विवादों के निवारण हेतु हरेरा की स्थापना	मूल	80.00	30.00	30.00	0	निधियों का अभ्यर्पण समय पर हरियाणा रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना न होने के कारण हुआ।
	पूरक	20.00				
	पुनर्वि0	(-)70.00				

अनुदान संख्या 14-समाप्त

(5) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-94- शहरी सम्पदा स्थापना भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना (जिला अमला)	मूल	5,69.50	6,04.23	5,33.58	(-)70.65	₹70.65 लाख की बचत के दृष्टिगत रिक्त पदों को भरने के लिए अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित प्रावधान जो कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति से बचत द्वारा आंशिक रूप प्रतिसन्तुलित हुआ; विवेकहीन सिद्ध हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	34.73				

पूजीगत

(6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4217-60-051-89- स्वर्ण जयंती हरियाणा शहरी संसाधन विकास योजना	मूल	10,00,00.00	10,00,00.00	10,00,00.00	0	योजना के अन्तर्गत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	5,00,00.00				
	पुनर्वि0	(-)5,00,00.00				

(मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2217-शहरी विकास)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	38,69,63,50	54,41,68,79	39,78,75,57	(-)14,62,93,22
पूरक	15,72,05,29			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

14,62,93,11

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹14,62,93.22 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018 में प्राप्त ₹15,72,05.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-86- नई शहरी नवीनीकरण मिशन	मूल	4,40,00.00	1,23,50.00	1,23,50.00	0	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)3,16,50.00				
2217-80-192-88- स्वच्छ भारत मिशन	मूल	1,75,00.00	1,13,27.00	1,13,27.00	0	भारत सरकार से समतुल्य अंश की प्राप्ति न होने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)61,73.00				
2217-80-192-89- राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	मूल	36,20.00	0	0	0	भारत सरकार से समतुल्य अंश की प्राप्ति न होने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)36,20.00				

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-90- प्राकृतिक आपदा के कारण छोटे दुकानदारों को व्यावसायिक सम्पत्ति के खोने का मुआवजा हेतु योजना	मूल	10,00.00	4.82	4.82	0	राज्य में कम आकस्मिकताओं की घटना घटने के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)9,95.18				
2217-80-192-91- राज्य के नगर निगमों में चौपालों/ सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन हेतु योजना	मूल	8,80.00	7,22.31	7,22.31	0	लाभान्वितों/नगर निगमों से प्रस्ताव/मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,57.69				
2217-80-192-92- स्टाम्प शुल्क की आय से पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए स्थानीय निकायों को अंशदान	मूल	3,14,60.00	96,58.27	96,58.27	0	योजना के अन्तर्गत उपायुक्तों द्वारा निधियों का आहरण न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,18,01.73				
2217-80-192-93 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारशों पर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायतानुदान	मूल	1,47,02.10	1,59,05.00	1,59,05.00	0	भारत सरकार से नगर-निगमों हेतु निधियों के प्राप्त न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	46,84.45				
	पुनर्वि0	(-)34,81.49				
2217-80-192-94- राजीव आवास योजना नया नाम प्रधान मन्त्री आवास योजना	मूल	60,20.00	17,23.54	17,23.54	0	भारत सरकार के समतुल्य अनुदान प्राप्त न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)42,96.46				
2217-80-192-97- राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना	मूल	60.00	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण लाभान्वितों/ नगर-निगमों से प्रस्तावों/ मांग की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)60.00				

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-98- अग्नि शमक सेवाओं का सुदृढीकरण	मूल	35,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत वाहनों की खरीद न होने से समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)35,00.00				
2217-80-789-89- राज्य के निगमों में चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन हेतु योजना	मूल	2,20.00	1,71.34	1,71.34	0	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मांगे प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)48.66				
2217-80-789-90- अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय जीविका लक्ष्य	मूल	8,90.00	0	0	0	भारत सरकार से समतुल्य अंशदान की प्राप्ति न होने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,90.00				
2217-80-789-94- अनुसूचित जाति बस्ती का विकास नया नाम दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान	मूल	60,00.00	40,00.00	40,00.00	0	निगमों से सहायतानुदान देने हेतु मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
2217-80-789-98- शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन	मूल	20,00.00	8,80.26	8,80.26	0	निगमों से सहायतानुदान देने हेतु मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,19.74				
2217-80-793-99- राजीव आवास योजना के अन्तर्गत एस.सी. घटक नया नाम प्रधान मन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत एस.सी. घटक	मूल	13,20.00	0	0	0	भारत सरकार में समतुल्य अंश की प्राप्ति न होने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,20.00				

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-76- दुग्ध डेरियों का स्थानांतरण	मूल	5,00.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत निगमों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
2217-80-800-86- शहरी ठोस कूड़ा प्रबन्धन (99-सामान्य प्लान)	मूल	25,00.00	21,29.51	21,29.51	0	योजना के अन्तर्गत निगमों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,70.49				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-75- शहरी स्थानीय निकायों हेतु वैट पर अधिकार का अंश	मूल	5,22,71.00	13,14,42.29	13,14,42.29	0	योजना के अन्तर्गत मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री की लम्बित घोषणाओं को निपटाने हेतु प्रावधान का आवर्धन हुआ।
	पूरक	5,83,85.25				
	पुनर्वि0	2,07,86.04				

दोषपूर्ण बजट

(4) दोषपूर्ण बजट के पाँच मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित किया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-108-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	16,87.50	91.20	91.20	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुबन्धित अमले की नियुक्ति न करने से हुआ।
	पूरक	40.00				
	पुनर्वि0	(-)16,36.30				

अनुदान संख्या 15-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-96- स्थानीय निकाय निदेशालय (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,95.00	6,30.44	6,30.33	(-)0.11	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ, जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि0	(-)10,64.56				
2217-80-191-97- केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारशों से नगर निगमों को सहायतानुदान	मूल	2,62,01.88	2,74,23.28	2,74,23.28	0	भारत सरकार से नगर-निगमों हेतु निधियों की प्राप्ति न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	80,95.65				
	पुनर्वि0	(-)68,74.25				
2217-80-192-87- स्मार्ट शहर	मूल	4,00,00.00	2,04,00.00	2,04,00.00	0	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	4,00,00.00				
	पुनर्वि0	(-)5,96,00.00				
2217-80-789-91- शहरी स्थानीय निकायों हेतु वैट पर एस.सी. घटक हेतु अधिभार का अंश	मूल	5,44,00.00	4,24,86.54	4,26,86.54	0	निधियों को मुख्यमन्त्री के विवेकाधीन में होने के निधियों का अभ्यर्पण, का कारण विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	50,00.00				
	पुनर्वि0	(-)1,69,13.46				

(मुख्य शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार एवं कौशल विकास, 2852-उद्योग, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय)
राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	50,84,95	50,84,95	41,71,59	(-)9,13,36
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

9,16,94

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,00,00	2,00,00	0	(-)2,00,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹9,13.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹9,16.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,60.02	3,89.28	3,91.59	(+)2.31	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत से सम्बंधित सातवें वेतन आयोग के अनुसार स्वीकृति प्राप्त न होने से हुई।
	पुनर्वि0	(-)70.74				

116
अनुदान संख्या 16-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-101-98- औद्योगिक ट्रिब्यूनल/श्रम न्यायालय फरीदाबाद, रोहतक व अम्बाला	मूल	8,07.40	6,68.96	6,68.99	(+) 0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों के कम भरने, उर्जा प्रभारों के अन्तर्गत कम बिजली बिलों तथा अवकाश यात्रा रियायत से सम्बंधित सातवें वेतन आयोग के अनुसार स्वीकृति जारी न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,38.44				
2230-01-102-92- गुडगांव एवं फरीदाबाद में दो औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशालाओं को स्थापित करना	मूल	40.00	6.85	6.85	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः उपकरणों की खरीद हेतु विशेषीकरण को अन्तिम रूप न दिये जाने तथा किराया, दर तथा करों के अन्तर्गत स्वीकृति को जारी न किये जाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.15				
2230-01-102-95- निरीक्षण	मूल	10,09.00	8,40.46	8,40.72	(+) 0.26	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः प्रत्याशा से कम महंगाई भत्ते तथा वेतन पर कम व्यय करने तथा 7वें वेतन आयोग के अनुसार यात्रा रियायत के अन्तर्गत स्वीकृति जारी न किये जाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,68.54				
2230-01-102-96- स्वास्थ्य	मूल	1,58.42	96.77	96.77	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम अनुबन्धित अमले की नियुक्ति करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)61.65				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-103-99- श्रम कल्याण केन्द्र को स्थापित करना	मूल	97.33	51.83	51.84	(+)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)45.50				
2230-01-113-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	55.20	16.23	16.22	(-) 0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी न करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.97				
2230-01-800-99- श्रम विभाग का संगणकीकरण (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,50.00	51.18	51.18	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम कम्प्यूटरों की खरीद करने से हुई।
	पुनर्वि0	(-)98.82				

पूँजीगत

(3) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-97- लेबर कोर्ट कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्लॉट की खरीद	मूल	2,00.00	0	0	0	पुनर्विर्नियोजन द्वारा समस्त निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				

(मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	78,78,80	2,34,88,80	1,78,36,79	(-)56,52,01
पूरक	1,56,10,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

56,32,47

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	0	4,00	3,27	(-) 73
पूरक	4,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

73

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

(1) ₹56,52.01 लाख की समस्त बचत में से, ₹19.54 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-02-001-99- निदेशालय स्तर पर निरीक्षण एवं जाँच पड़ताल इकाई स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,72.30	1,97.43	1,97.43	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः नये नियुक्ताओं के कार्य ग्रहण न करने, पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)74.87				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-101-92- रोजगार कार्यालय के लिए अमला तथा शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना	मूल	72,40.50	1,73,34.69	1,73,33.51	(-)1.18	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः बेरोजगारी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	1,50,00.00				
	पुनर्वि०	(-)49,05.81				
2230-02-101-97- रोजगार केन्द्र परिचालन का संगणकीकरण	मूल	35.00	44.96	44.96	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत कम व्यय तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पूरक	4,00.00				
	पुनर्वि०	(-)3,90.04				

दोषपूर्ण बजट

(3) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-101-87- निजी प्लेसमेंट कन्सल्टेनसी तथा रिक्रुसमेंट सेवाएं (पी.पी.सी. एवं आर.एस.सी.)	मूल	2.00	1.65	1.65	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्टाफ की कमी के कारण कम नौकरी मेले आयोजित करने के कारण हुआ; जिसके फलस्वरूप बजट का पूर्णतः उपयोग नहीं हो सका।
	पूरक	60.00				
	पुनर्वि०	(-)60.35				
2230-02-800-99- अन्य व्यय रोजगार कार्यालय स्तर पर व्यावसायिक मार्ग- दर्शन तथा कैरियर केन्द्र	मूल	1,87.50	1,74.61	1,74.63	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा नए नियुक्ताओं के कार्यग्रहण न करने के कारण हुआ।
	पूरक	1,50.00				
	पुनर्वि०	(-)1,62.89				

अनुदान संख्या-18-औद्योगिक प्रशिक्षण

(मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,51,54,18	4,19,75,19	2,97,63,66	(-)1,22,11,53
पूरक	68,21,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,22,56,44

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	38,86,17	38,86,17	24,55,99	(-)14,30,18
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

14,30,18

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹1,22,11.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹1,22,56.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹1,22,11.53 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में ₹68,21.01 लाख का प्राप्त अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2230-03-001-91- गांव दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	मूल	0	11,25.00	11,25.00	0	निधियों के अभ्यर्पण के कारण जैसे कि वास्तविक जरूरत के कारण कम व्यय हुआ, विश्वसनीय नहीं है।
	पूरक	15,00.00				
	पुनर्वि0	(-)3,75.00				
2230-03-001-94- कौशल विकास संस्थान	मूल	6,00.00	0	0	0	भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,00.00				
2230-03-001-96- राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,03.00	2,79.91	2,79.90	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः निदेशालय कार्यालय का पंचकूला में नए भवन में स्थानान्तरित न होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,23.09				
2230-03-001-99- औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय (98-स्थापना व्यय)	मूल	15,51.50	16,22.33	16,22.94	(+) 0.61	विभिन्न विभागों द्वारा कम प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के फलस्वरूप कम व्यय करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	31,64.00				
	पुनर्वि0	(-)30,93.17				
2230-03-003-61- औद्योगिक मूल्यांकन वृद्धि हेतु कौशल सुदृढीकरण	मूल	20.00	0	0	0	भारत सरकार से समतुल्य अंशदान की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003-64- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	मूल	1,92,60.00	1,36,05.52	1,36,31.94	(+)26.42	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप न देने, पदों के रिक्त रहने, कम दाखिलों के कारण कम छात्रवृत्ति का भुगतान, अनुबंधित अमले की कम नियुक्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)56,54.48				
2230-03-003-74- अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण	मूल	1,00.00	33.60	33.60	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा से धन की देरी से प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)66.40				
2230-03-003-96- अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	2,12.80	1,14.53	1,14.53	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने और महंगाई भत्ते के कम देने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)98.27				
2230-03-003-97- कुशल शिल्पियों का शिक्षुता प्रशिक्षण	मूल	2,39.50	1,77.88	1,79.30	(+)1.42	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने और महंगाई भत्ते के कम देने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)61.62				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003-99- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	1,07,59.30	91,50.51	91,66.97	(+)16.46	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुग्रहपूर्वक तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति से हुआ, जो समान कार्य हेतु समान वेतन की सरकारी नीति के लागू होने के फलस्वरूप अनुबन्धित अमले पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)16,08.79				
2230-03-789-99- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण	मूल	19,54.00	14,29.48	14,29.48	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुसूचित जाति हेतु कौशल प्रशिक्षण कक्षाओं के कम खोलने, अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति तथा उर्जा प्रभारों के कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,24.52				

पूँजीगत

- (4) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-800-88- आई.टी.आई.में मॉडल आदर्श आई.टी.आई. के उन्नयन	मूल	4,50.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से समतुल्य अंशदान की देरी से प्राप्ति होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,50.00				

अनुदान संख्या 18-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-800-92- आई.टी.आई.में आदर सत्कार शिक्षा	मूल	1,06.17	0	0	0	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,06.17				
4250-51-800-97- मशीनरी एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण	मूल	30,00.00	20,48.90	20,48.90	0	निधियों का अभ्यर्पण निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान की लम्बी प्रक्रिया होने से तथा सम्बंधित खजाना अधिकारी/वित्त विभाग द्वारा बिलों के पास न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,51.10				

(5) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-789-99- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण	मूल	3,10.00	4,07.09	4,07.09	0	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	97.09				

अनुदान संख्या 19-अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	7,09,97,10	7,53,94,25	3,96,30,54	(-)3,57,63,71
पूरक	43,97,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

3,57,63,71

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	14,98,02	14,98,02	3,50,00	(-) 11,48,02
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

11,48,02

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹3,57,63.71 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में ₹43,97.15 लाख का प्राप्त अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-95- जीन्द में विमुक्त जाति विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना	मूल	43.90	23.05	23.05	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.85				
2225-01-001-97- अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों हेतु परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	1,75.90	1,07.79	1,07.79	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)68.11				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,00.00	45.44	45.44	0	निधियों का अभ्यर्पण कम्प्यूटरों की कम खरीद तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)54.56				
2225-01-277-67- राजकीय आई.टी.आई. में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के वजीफा योजना	मूल	0	2.97	2.97	0	योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि0	(-)97.03				
2225-01-277-68- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व वजीफा योजना	मूल	35,00.00	15,00.00	15,00.00	0	भारत सरकार द्वारा निधियों की कम जारी किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
2225-01-277-70- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल	5,50.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण सरकार से निधियों के जारी न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,50.00				
2225-01-277-72- अनुसन्धान एवं अध्ययन	मूल	30.00	2.42	2.42	0	निधियों का अभ्यर्पण जाति आधारित सर्वेक्षण न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)27.58				
2225-01-277-73- एस.सी/बी.सी. बेरोजगार युवा को कम्प्यूटर द्वारा टाइपिंग एवं आंकड़ा प्रविष्टि कौशल का उन्नयन	मूल	1,50.00	58.70	58.70	0	योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)91.30				
2225-01-277-77- डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना	मूल	40,00.00	25,05.67	25,05.67	0	योजना के अन्तर्गत अपूर्ण आवेदन पत्रों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)14,94.33				
2225-01-277-84- लड़कियों/लड़कों का छात्रावास	मूल	1,00.00	0	0	0	भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-283-99- अनुसूचित जाति हेतु आवास योजना नया नाम अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जातियों हेतु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	मूल	34,50.00	24,99.75	24,99.75	0	सही एवं विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं । विशिष्ट कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)9,50.25				
2225-01-789-94- रोजगार उन्मुख संस्थान की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन अवसरों का सृजन	मूल	1,50.00	1,00.00	1,00.00	0	योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों कम संख्या में उपलब्धता होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2225-01-793-79- अनुसूचित जातियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र	मूल	12,00.00	4,34.50	4,34.50	0	भारत सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)7,65.50				
2225-01-793-80- अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के साथ गांवों में एस.पी.वी. गलियों की प्रकाश व्यवस्था	मूल	5,00.00	0	0	0	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
2225-01-793-99- पारम्परिक योजनाएं जैसा कि दुग्ध, सुअरपालन तथा अन्य योजनाओं हेतु सबसिडी	मूल	7,95.00	4,92.00	4,92.00	0	भारत सरकार से निधियों का कम जारी किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)3,03.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-800-82- इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना नया नाम मुख्यमन्त्री विवाह शगुन योजना	मूल	1,10,00.00	95,24.05	95,24.05	0	₹14,75.95 लाख अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)14,75.95				
2225-03-277-91- विमुक्त जातियों डी.एन.टी. हेतु डॉ. अम्बेडकर पूर्व दसवीं तथा दसवीं बाद वजीफा योजना	मूल	4,00.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,00.00				
2225-03-277-92- ओ.बी.सी. लड़के एवं लड़कियों हेतु छात्रावास का निर्माण	मूल	5,00.00	0	0	0	सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
2225-03-277-93- पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों को दसवीं पश्चात वजीफा	मूल	37,36.00	8,52.46	8,52.46	0	भारत सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किये जाने तथा लाभान्वितों द्वारा आधार कार्ड को लिंक न करने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)28,83.54				
2225-03-277-95- बी.सी. विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व वजीफे	मूल	6,00.00	3.03	3.03	0	योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,96.97				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-102-97- जिला अमला	मूल	2,00.00	2,29.29	2,29.29	0	सरकार से आदेशानुसार प्रशिक्षकों को नए मॉडल की सिलाई मशीनें तथा कच्चा माल उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान आबर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	29.29				

अनुदान संख्या 19-समाप्त

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के चार मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और बाद में पुनर्विनियोजन के द्वारा कम कर दिया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-98- जिला अमला	मूल	26,54.60	21,67.38	21,67.38	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत कम खरीद के कारण हुआ।
	पूरक	1,20.00				
	पुनर्वि०	(-)6,07.22				
2225-01-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	7,38.90	5,22.80	5,22.80	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	5.00				
	पुनर्वि०	(-)2,21.10				
2225-01-277-99- अनुसूचित जातियों को दसवीं के बाद वजीफा	मूल	3,13,87.00	1,10,22.82	1,10,22.82	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम निधियाँ जारी करने तथा लाभान्वितों द्वारा आधार कार्ड को लिंक न करने से हुआ।
	पूरक	11,27.00				
	पुनर्वि०	(-)2,14,91.18				
2225-03-001-99- पिछड़े वर्ग हेतु अमला	मूल	2,21.40	1,51.07	1,51.07	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पूरक	33.00				
	पुनर्वि०	(-)1,03.33				

पूँजीगत

- (5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4225-01-190-99- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को उन्नयन गतिविधियों हेतु 1 प्रतिशत व 3 प्रतिशत हिस्सा पूँजी तथा मैर्चिंग सहायता	मूल	3,48.02	0	0	0	सरकार से निधियों के जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,48.02				
4225-03-800-99- छात्रावासों के निर्माण हेतु नानाजी देश मुख योजना	मूल	4,00.00	0	0	0	सरकार से निधियों के जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)4,00.00				

अनुदान संख्या-20-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	48,64,49,75	51,37,14,77	49,10,14,32	(-)2,27,00,45
पूरक	2,72,65,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

2,26,90,97

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	12,92,00	12,92,00	42,00	(-)12,50,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

12,50,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-
राजस्व

- (1) ₹2,27,00.45 लाख की उपलब्ध बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹2,72,65.02 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 3 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-99- मुख्यालय हेतु अमला एस.जे.ई. (98-स्थापना व्यय)	मूल	7,04.31	5,10.65	5,12.95	(+)2.30	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,93.66				

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-101-67- जिला पुनर्वास केन्द्र भिवानी	मूल	1,11.56	75.26	75.25	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति तथा पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36.30				
2235-02-101-97 शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	मूल	2,20.00	1,28.92	1,28.92	0	जिला समाज कल्याण अधिकारियों से छात्रवृत्तियाँ तथा वजीफों हेतु कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)91.08				
2235-02-800-73- अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों मेवात तथा सिरसा के विकास हेतु योजना	मूल	76,00.00	26,71.33	26,71.33	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अनुदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)49,28.67				
2235-60-102-99- जिला स्तर पर बुजुर्गों शारीरिक रूप से विकलांग तथा परित्यक्त महिलाओं तथा विधवाओं के पेंशन हेतु अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	21,31.69	16,04.93	15,93.16	(-)11.77	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों से कम मांग की प्राप्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,26.76				

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-102-99- जिला स्तर पर वृद्धों, शारीरिक विकलांगों, परित्यक्त महिलाओं तथा विधवाओं के लिए पेंशन (99-सूचना एवं तकनीकी)	मूल	50.00	15.16	15.16	0	योजना के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)34.84				
2235-60-200-75- प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)	मूल	38,00.00	80.33	80.33	0	योजना के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)37,19.67				
2235-60-789-95- अनुसूचित जाति के परिवारों को लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत जिनमें केवल लड़की/लड़कियां हैं, के तहत वित्तीय सहायता का नाम बदलकर अनुसूचित जाति की लाडली की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (एस.एस.पी.एस.)	मूल	15,70.00	12,67.85	12,67.85	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों के नामांकन के कारण अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,02.15				

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-789-97- अनुसूचित जाति के परिवारों को विकलांग पेंशन के तहत वित्तीय सहायता का नाम बदलकर अलग तरह के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पेंशन	मूल	72,50.00	59,94.93	59,94.93	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों के नामांकन के कारण अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,55.07				
2235-60-789-98- अनुसूचित जाति के परिवारों को विधवा पेंशन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता नाम बदलकर अनुसूचित जातियों बेसहारा महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता	मूल	3,10,00.00	2,63,76.00	2,63,76.00	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों के नामांकन के कारण अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)46,24.00				
2235-60-789-99- अनुसूचित जाति के परिवारों को बुढ़ापा भत्ता के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का नाम बदलकर अनुसूचित जातियों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	मूल	6,92,04.00	5,98,15.94	5,98,15.94	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों के नामांकन के कारण अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)93,88.06				

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-101-72- स्कूल न जाने वाले अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता नया नाम विभिन्न प्रकार से अक्षम बच्चों जो स्कूल नहीं जाते को वित्तीय सहायता	मूल	7,00.00	10,70.63	10,70.63	0	नवम्बर 2017 से पेंशन की दरों में बढ़ौतरी के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	3,70.63				
2235-60-102-94- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	मूल	7,50.00	9,99.22	9,99.22	0	नवम्बर 2017 से पेंशन की दरों में बढ़ौतरी के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	2,49.22				
2235-60-789-96- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता नया नाम राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (एस.सी.)	मूल	2,50.00	2,82.00	2,82.00	0	नवम्बर 2017 से पेंशन की दरों में बढ़ौतरी के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	32.00				

पूँजीगत

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-101-92- सुलभ भारत अभियान सुगम भारत अभियान (एस.आइ.पी.डी.ए.)	मूल	12,00.00	0	0	0	भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,00.00				

अनुदान संख्या-20-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-190-98- हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हिस्सा पूंजी	मूल	92.00	42.00	42.00	0	राष्ट्रीय अल्पमत विकास एवं वित्त निगम से उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				

(मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	10,74,84,10	10,79,75,80	8,47,50,21	(-)2,32,25,59
पूरक	4,91,70			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

2,31,46,26

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	1,72,41,00	1,72,41,00	61,53,80	(-)1,10,87,20
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

1,12,59,50

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹2,32,25.59 लाख की समस्त बचत में से, ₹79.33 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 3 में उल्लिखित अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-95- संचार एवं विज्ञापन	मूल	35,00	13.06	13.06	0	योजना के अन्तर्गत जागृति मिशन कैम्पों का आयोजन न करने के कारण निधियाँ अभ्यर्पित हुई ।
	पुनर्वि0	(-)21.94				
2235-02-001-97- मुख्यालय हेतु अमला (डब्ल्यू. सी.डी.) (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,19.30	4,22.77	4,22.77	0	मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से निधियां अभ्यर्पित हुई ।
	पुनर्वि0	(-)1,96.53				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-69- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	मूल	0	1,79.94	1,79.94	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	4,91,70				
	पुनर्वि0	(-)3,11.76				
2235-02-102-70- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु योजना	मूल	25.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.00				
2235-02-102-73- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई. सी. पी. एल.)	मूल	25,00.00	13,75.00	13,75.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,25.00				
2235-02-102-74- किशोर अवस्था लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए. जी.) सबला	मूल	1,70.00	40.05	40.18	(+)0.13	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,29.95				
2235-02-102-87- किशोर अवस्था लड़कियाँ योजना नया नाम किशोरी शक्ति योजना	मूल	90.00	2.68	2.68	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)87.32				
2235-02-102-88- आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (उदीशा परियोजना)	मूल	5,00.00	2,37.97	2,37.97	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,62.03				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-92- एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना (डब्ल्यू. सी. डी.)	मूल	4,84,27.00	3,97,26.83	3,96,53.13	(-)73.70	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति तथा भार तोलने वाले स्केल की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने से हुआ जो ऑगनवाड़ी सहायक/कार्यकर्ता को मानदेय की दरों में बढ़ोतरी के कारण आधिक्य द्वारा प्रति सन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)87,00.17				
2235-02-103-68- ग्रामीण अभिसरण तथा सरलीकरण सेवाएं (वी.सी.एफ.एस.) महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत परियोजना (एन.एम.ई. डब्ल्यू)	मूल	1,00.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
2235-02-103-69- महिलाओं हेतु वन स्टाप संकट केन्द्र की स्थापना हेतु योजना	मूल	1,52.00	44.37	44.37	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियाँ अभ्यर्पित हुईं।
	पुनर्वि0	(-)1,07.63				
2235-02-103-74- राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन	मूल	38.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.00				
2235-02-103-76- घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्ष की स्थापना)	मूल	1,50.00	77.96	77.96	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम अनुबन्धित अमले की नियुक्ति तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)72.04				

139
अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-103-87- स्वैच्छिक क्षेत्र का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण एवं उत्पाद केन्द्र तथा वजीफा योजना) (99-सी.डब्ल्यू.सी. भारतीय ग्रामीण महिला संगठन सहित सरकारी सहायता प्राप्त एन.जी.ओ. को तथा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अन्य राजकीय एन.जी.ओ. को सहायतानुदान)	मूल	14,00.00	8,00.00	8,00.00	0	सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,00.00				
2235-02-103-99- निःसहाय महिलाओं एवं विधवाओं हेतु गृह प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	2,09.30	1,58.81	1,58.81	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.49				
2235-02-789-90- अनुसूचित जाति आँगनवाड़ी/सहायता करने वाले को वित्तीय सहायता	मूल	87,00.00	74,00.31	74,00.31	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,99.69				
2235-02-800-81- जे. जे. एक्ट को लागू करना (98- जेल वापसी/अवलोकन गृह)	मूल	2,87.62	2,47.19	2,47.19	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अन्य प्रभारों के अन्तर्गत कम खाने- पीने वाली वस्तुओं की खरीद तथा पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)40.43				
2236-02-101-89- किशोर अवस्था लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (आई.जी.एस.ई.ए.जी सबला)	मूल	18,25.50	5,56.87	5,56.87	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,68.63				

140
अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-94- किशोर अवरस्था लड़की योजना (नया नाम किशोरी शक्ति योजना)	मूल	3,79.50	3,36.91	3,36.91	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभान्वितों की उपलब्धता के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)42.59				
2236-02-101-95- पूरक पोषण कार्यक्रम	मूल	1,83,30.00	81,52.35	81,52.35	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,01,77.65				
2236-02-101-98- पंजीरी प्लांट गुड़गांव	मूल	1,44.80	85.25	85.25	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)59.55				
2236-02-789-97- किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति किशोर लड़कियों को वित्तीय सहायता (सबला)	मूल	10,00.00	1,22.41	1,22.41	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,77.59				
2236-02-789-98- अनुसूचित जाति हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम	मूल	45,00.00	22,32.89	22,28.81	(-)4.08	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)22,67.11				
2236-02-789-99- अनुसूचित जाति हेतु किशोरी शक्ति योजना	मूल	95.00	72.57	72.57	0	योजना के अन्तर्गत कम लाभान्वितों की उपलब्धता के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)22.43				

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-78- अपनी बेटियाँ अपना धन नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	92,00.00	1,02,14.61	1,02,14.61	0	योजना के अन्तर्गत तीसरी लड़की बच्चा के लाभ हेतु अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान में आवर्धन हुआ, जो पदों के रिक्त रहने से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	10,14.61				
2235-02-102-79- ग्रामीण किशोरी लड़कियों हेतु एवार्ड नया नाम स्वर्ण जयन्ती पुरस्कार योजना	मूल	60.50	1,54.69	1,54.31	(-)0.38	स्वर्ण जयन्ती पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 12 कक्षा की लड़कियों को सम्मिलित करने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि०	94.19				
2235-02-789-98- आँगनवाड़ी कर्मचारियों हेतु भविष्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	मूल	1,25.00	1,88.71	1,88.71	0	आवर्धन के कारण योजना के अन्तर्गत अन्य शीर्षों से निधियों का हस्तांतरण करना विश्वसनीय नहीं है।
	पुनर्वि०	63.71				
2235-02-789-99- अपनी बेटियों अपना धन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	39,55.00	76,89.24	76,89.24	0	योजना के अन्तर्गत तीसरी लड़की बच्चा के लाभ हेतु अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि०	37,34.24				
2235-02-800-81- जे.जे. एक्ट को लागू करना (99-विशेष गृह/ पाठशाला)	मूल	19.45	63.57	63.57	0	₹44.12 लाख आधिक्य के कारण सही एवं विश्वसनीय नहीं थे। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	44.12				

142
अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-800-85- हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायतानुदान (सहायतानुदान 50 प्रतिशत)	मूल	60.00	80.00	80.00	0	₹20 लाख के आधिक्य के सही व विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए । विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	20.00				

पूंजीगत

(3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-97- जे.जे. एक्ट को लागू करना (99-जेल वापसी /अवलोकन गृह)	मूल	7,00.00	6,00.00	6,00.00	0	योजना के अन्तर्गत कार्य को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण कम व्यय होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	51,68.00	10,22.76	10,94.76	(+)72.00	योजना के अन्तर्गत कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)41,45.24				
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (98-राज्य योगदान)	मूल	68,08.00	20,18.52	21,18.82	(+)1,00.30	योजना के अन्तर्गत कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)47,89.48				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी के केन्द्रों का निर्माण (99- नाबार्ड योगदान)	मूल	28,50.00	16,95.93	16,95.93	0	योजना के अन्तर्गत कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,54.07				
4235-02-103-96- महिला के संकट हेतु एक स्टाप संकट केन्द्र की स्थापना एवं भवन का निर्माण	मूल	60.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)60.00				
4235-02-789-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	16,55.00	6,44.30	6,44.30	0	योजना के अन्तर्गत कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)10,10.70				

अनुदान संख्या 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,22,94,42	1,30,52,94	1,11,70,06	(-)18,82,88
पूरक	7,58,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

19,02,78

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹18,82.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹19,02.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹18,82.88 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018 में ₹7,58.52 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-77- केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के आश्रितों को आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ने पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान	मूल	10,00.00	1,69.50	1,69.50	0	योजना के अन्तर्गत कम घटनाएं घटित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)8,30.50				

अनुदान संख्या 22-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-83- दंगों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को राहत	मूल	3,00.00	1,76.00	1,76.00	0	योजना के अन्तर्गत सिक्ख दंगों के मामलों का अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,24.00				
2235-60-200-84- नई ग्रुप बीमा योजना में IV वर्ग हेतु सरकार से योगदान	मूल	60.00	7.12	24.45	(+)17.33	₹17.33 लाख आधिक्य के दृष्टिगत ग्रुप बीमा योजना योगदान तथा वर्ग- IV कर्मचारियों के पदों के खाली रहने से निधियों का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)52.88				
2235-60-200-98- डी.एस.एस.एवं ए. बोर्ड पर व्यय (98-स्थापना व्यय)	मूल	17,24.00	12,86.54	12,89.10	(+)2.56	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,37.46				

(मुख्य शीर्ष-2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार, 3456-सिविल आपूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,77,48,18	5,77,48,18	2,66,28,23	(-)3,11,19,95
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,10,61,91

प्रभारित

मूल	30,00	30,00	29,89	(-)11
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	98,46,51,00	98,46,51,00	90,98,05,51	(-)7,48,45,49
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

7,48,45,49

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹3,11,19.95 लाख की समस्त बचत में से, ₹58.04 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई (नीचे टिप्पणी 3 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-91- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अन्त तक संगणकीकरण	मूल	22,44.00	16,31.20	16,30.94	(-) 0.26	निधियों का अभ्यर्पण परियोजना के स्वचालन हेतु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा समय पर प्रभारों का दावा न करने तथा योजना के अन्तर्गत हारट्रोन/नाइस से कम व्यावसायिकों की भर्ती होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,12.80				
2408-01-001-93- दाल-रोटी योजना	मूल	3,00,00.00	50,90.83	50,90.83	0	निधियों का अभ्यर्पण दाल रोटी योजना के स्थगित होने के फलस्वरूप सब्सिडी कम संवितरण होने तथा दालों की कम दरों के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,49,09.17				
2408-01-001-94- जन वितरण योजना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,00.00	0	0	0	योजना को लागू न करने के कारण समस्त निधियां अभ्यर्पित हुई।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				

148
अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-96- जिला फोरम	मूल	18,71.05	16,59.36	16,59.20	(-) 0.16	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सरकार से जिला फोरम, कैथल की जमीन की लागत का अधिग्रहण हेतु मुआवजा में बढ़ोत्तरी हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,11.69				
2408-01-001-97- राज्य आयोग	मूल	2,58.40	2,16.30	2,16.30	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)42.10				
2408-01-001-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	1,93,61.00	1,44,60.38	1,44,16.43	(-)43.95	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः प्रत्याशा की अपेक्षा कम सब्सिडी संवितरण करने, पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)49,00.62				
2408-01-001-99- निदेशालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	13,19.00	11,51.31	11,51.48	(+) 0.17	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक राशि के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो मोटर वाहन के अन्तर्गत तीन नई कारों की खरीद से अधिक व्यय के कारण आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,67.69				

149
अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3475-51-106-98- स्थापना व्यय	मूल	5,33.50	3,88.80	3,75.14	(-)13.66	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा नई प्रयोगशालाओं के स्थापना हेतु प्रक्रिया को पूरा न होने से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,44.70				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-92- राज्य खाद्य आयोग	मूल	30.00	65.18	65.00	(-) 0.18	योजना के अन्तर्गत वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि०	35.18				

पूंजीगत

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-97- पूंजी पर ब्याज	मूल	4,00,00.00	2,63,93.24	2,63,93.24	0	निधियों का अभ्यर्पण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों का अधिक उठान के परिणामस्वरूप ब्याज के कम भुगतान के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,36,06.76				

150
अनुदान संख्या 23-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-98- स्थापना लागत प्रभार	मूल	2,05,62.00	1,55,37.38	1,55,37.38	0	निधियों का अभ्यर्पण डिपो धारकों को देय मार्जिन तथा कोन्फेड कमीशन के कम जारी करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 50,24.62				
4408-02-101-99- गोदामों का निर्माण	मूल	20,00.00	3,72.61	3,72.62	(+)0.01	हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से गोदामों के निर्माण हेतु अनुमानों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)16,27.39				
4408-02-101-99- गोदामों का निर्माण (98-राज्य योगदान)	मूल	50.00	0	0	0	भोरसैन्दा (कुस्क्षेत्र) तथा खरखौदा (सोनीपत) में गोदामों हेतु गलवलूम शीट का अन्तिम रूप न देने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
4408-02-101-99 गोदामों का निर्माण (99-नाबार्ड अंशदान)	मूल	9,50.00	0	0	0	भोरसैन्दा (कुस्क्षेत्र) तथा खरखौदा (सोनीपत) में गोदामों हेतु गलवलूम शीट का अन्तिम रूप न देने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,50.00				

अनुदान संख्या-24-सिंचाई

(मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	19,10,15,66	19,22,42,67	14,02,79,86	(-)5,19,62,81
पूरक	12,27,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,68,24,43

**पूंजीगत
दत्तमत**

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	7,64,17,00	8,24,82,00	9,15,94,11	(+)91,12,11
पूरक	60,65,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,78,19,08

प्रभारित

मूल	70,00,00	70,00,00	57,60,91	(-)12,39,09
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

13,82,86

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹5,19,62.81 लाख की समस्त बचत में से ₹3,51,38.38 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹5,19,62.81 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, मार्च 2018 में ₹12,27.01 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-89- विशेष राजस्व	मूल	23,42.50	19,61.86	90.48	(-)18,71.38	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अन्य प्रभारों के अन्तर्गत बिलों का निपटान न होने से हुआ। ₹18,71.38 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,80.64				
2700-01-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	90,51.00	75,44.70	4,16.52	(-)71,28.18	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ। ₹71,28.18 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)15,06.30				
2700-02-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	2,77.25	2,12.87	14.68	(-)1,98.19	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा व्यवसायिक तथा अनुबंधित सेवाओं के अन्तर्गत अमलों की नियुक्ति न होने से हुआ। ₹1,98.19 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)64.38				
2700-01-101-98- अन्य रख रखाव व्यय (98-पंजाब भाग)	मूल	2,50.00	2,20.34	2,20.34	0	पंजाब सरकार द्वारा अन्तर्राज्य चैनलों के रख-रखाव हेतु निधियों के कम मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)29.66				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-89- विशेष राजस्व	मूल	47,40.70	39,93.41	3,98.52	(-)35,94.89	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ । ₹35,94.89 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)7,47.29				
2700-02-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	3,52,08.00	2,92,31.99	29,04.78	(-)2,63,27.21	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ । ₹2,63,27.21 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)59,76.01				
2700-02-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	23,93.20	17,06.43	1,26.88	(-)15,79.55	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ । ₹15,79.55 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)6,86.77				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-18-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	48,34.00	42,20.23	15,16.91	(-)27,03.32	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ । ₹27,03.32 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि०	(-)6,13.77				
2700-18-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	5,00.00	3,14.15	70.44	(-)2,43.71	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ । ₹2,43.71 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि०	(-)1,85.85				
2700-18-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	6,00.00	4,61.03	1,66.76	(-)2,94.27	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ । ₹2,94.27 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि०	(-)1,38.97				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-80-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	37,72.00	31,45.23	8,71.34	(-)22,73.89	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ। जो अधिक अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ। ₹22,73.89 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)6,26.77				
2700-80-800-96- नहर टूटने से फसल का नुकसान होने वाले किसानों को मुआवजा	मूल	25.00	0	0	0	नहर टूटने के फलस्वरूप फसल का नुकसान हेतु मुआवजे के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.00				
2701-08-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	70.20	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)70.20				
2701-08-101-98- अन्य रखरखाव कार्य	मूल	2,50.00	2,49.98	2,24.57	(-)25.41	₹25.41 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)0.02				
2701-10-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	24.65	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)24.65				
2701-10-800-98- उर्जा प्रभार	मूल	20,00.00	16,45.36	16,45.36	0	निधियों का अभ्यर्पण उर्जा प्रभारों के कम बिलों की प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,54.64				

अनुदान संख्या-24-जारी

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-101-98- अन्य रखरखाव व्यय (99-हरियाणा भाग)	मूल	5,00.00	5,25.00	5,83.42	(+)58.42	प्रावधान का आवर्धन स्कीम के अन्तर्गत रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए किया गया । ₹58.42 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	25.00				
2700-02-799-99 उचन्त	मूल	0	0	1,01.83	(+)1,01.83	प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
2700-02-800-98- उर्जा प्रभार	मूल	34,00.00	40,43.80	40,47.24	(+)3.44	पावर विभाग के लंबित ऐरियर बिलों को पूरा करने के कारण अधिक व्यय द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि0	6,43.80				
2700-04-800-98- उर्जा प्रभार	मूल	29,00.00	34,63.21	34,63.21	0	पावर विभाग के लंबित ऐरियर बिलों को पूरा करने के कारण अधिक व्यय द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि0	5,63.21				
2700-07-800-99- पूंजी पर ब्याज	मूल	1,30.00	1,50.00	1,50.00	0	ब्याज प्रभारों की बढ़ौतरी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	20.00				
2700-12-800-99- पूंजी पर ब्याज	मूल	22,00.00	25,00.00	25,00.00	0	ब्याज प्रभारों की बढ़ौतरी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	3,00.00				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-15-800-99- पूँजी पर ब्याज	मूल	1,22,44.00	1,50,00.00	1,50,00.00	0	ब्याज प्रभारों की बढ़ोतरी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	27,56.00				
2700-18-101-98- अन्य रखरखाव कार्य	मूल	11,00.00	12,50.00	14,21.29	(+),1,71.29	योजना के अन्तर्गत रखरखाव प्रभारों पर अधिक व्यय को पूरा करने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ। ₹1,71.29 लाख आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	1,50.00				
2700-80-800-98- सुधारीकरण, प्रौन्नत परिचालन एवं रखरखाव	मूल	65,00.00	65,00.00	79,94.15	(+)14,94.15	₹14,94.15 लाख आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।

(5) मामले, जहाँ पर निधियों के प्रावधान के बिना व्यय बुक किया गया है, नीचे दिये गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	25.54	(+)25.54	₹25.54 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-02-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	2,40.14	(+)2,40.14	₹2,40.14 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-03-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	83.53	(+)83.53	₹83.53 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-04-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	21.97	(+)21.97	₹21.97 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-04-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	1,60.14	(+)1,60.14	₹1,60.14 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-05-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	34.27	(+)34.27	₹34.27 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-05-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	2,49.81	(+)2,49.81	₹2,49.81 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-05-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	20.65	(+)20.65	₹20.65 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-18-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	1,62.37	(+)1,62.37	₹1,62.37 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-80-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	5,69.68	(+)5,69.68	₹5,69.68 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-80-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	67,13.40	(+)67,13.40	₹67,13.40 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।
2700-80-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	0	0	5,76.42	(+)5,76.42	₹5,76.42 लाख का आधिक्य प्रोरेटा स्थापना प्रभारों के हस्तांतरण के कारण हुआ।

दोषपूर्ण बजट

- (6) दोषपूर्ण बजट का एक मामला, जिसमें अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2705-51-190-95- नहरी क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम (50% प्रतिशत आधार)	मूल	2,05,00.00	1,05,00.00	1,05,00.00	0	अनुपूरक अनुदान से प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ। ₹1,12,27.01 लाख अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	12,27.01				
	पुनर्वि0	(-)1,12,27.01				

पूँजीगत

- (7) व्यय अनुदान से ₹91,12,11,135; बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।
- (8) ₹91,12.11 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, 31 मार्च 2018 में ₹2,78,19.08 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
- (9) ₹91,12.11 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, मार्च 2018 में ₹6,065 लाख का प्राप्त अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

(10) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-16-799-99- उचन्त	मूल		0	4,19.29	(+)4,19.29	₹4,19.29 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018) ।
4701-06-789-99- राज्य में अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्र में समान जल वितरण के लिए नए माइनर में सुधार	मूल	10,00.00	16,88.40	16,24.21	(-)64.19	मुख्यमन्त्री की घोषणा के अनुसार ब्रह्म सरोवर तीर्थ कार्य के पूर्ण होने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि0	6,88.40				
4701-06-800-98- नहर का निर्माण	मूल	10,00.00	14,18.00	14,18.00	0	माननीय मुख्यमन्त्री की घोषणा के अनुसार ब्रह्म सरोवर तीर्थ कार्य के पूर्ण होने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि0	4,18.00				
4701-07-800-98- नाबार्ड नहर का निर्माण	मूल	50,50.00	89,12.35	89,12.35	0	योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य को पूरा करने से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि0	8,62.35				
4711-01-201-98- शहरी बाढ़ जल निकासी कार्य	मूल	20,00.00	28,96.84	31,20.65	(+)2,23.81	₹8,96.84 लाख आवर्धन के कारण विश्वसनीय नहीं है । विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	8,96.84				

अनुदान संख्या-24-जारी

(11) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-07-800-98- नहर का निर्माण	मूल	1,00,00.00	0	0	0	माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से मूल बजट प्रावधान का अग्रिम रूप रखने के कारण तथा खर्चा न करने के कारण समस्त प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00,00.00				
4700-13-789-99- नहर नेटवर्क का पुर्नवास राज्य के अनुसूचित जाति आबादी वाले जल प्रवाहों का पुर्नवास सुधारीकरण	मूल	94,00.00	60,06.45	58,86.60	(-)1,19.85	वित्त विभाग द्वारा लागू व्यय पर तिमाही प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ठेकेदारों के बिलों का निपटान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹1,19.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)33,93.55				
4700-13-800-97- पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यू. जे.सी.) तथा जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) पद्धति की क्षमता का सुधारीकरण	मूल	30,00.00	16,56.80	16,56.80	0	निधियों का अभ्यर्पण निविदा प्रक्रिया का देरी से अन्तिम रूप दिये जाने के कारण तथा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण देरी से आरम्भ होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,43.20				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-13-800-98- नहर का निर्माण	मूल	1,35,00.00	98,30.35	98,30.39	(+)0.04	निधियों का अभ्यर्पण वित्त विभाग द्वारा व्यय का तिमाही प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप ठेकेदारों के बिलों का निपटान न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36,69.65				
4700-14-789-99- राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में भू- जल को मीठे जल में बदलना	मूल	1,50.00	69.05	72.02	(+)2.97	माननीय न्यायालय द्वारा भारी भूमि मुआवजों का फैसला देने के फलस्वरूप दादुपुर नलवी परियोजना का भूमि अर्जन की अधिसूचना रद्द करने से जिससे कार्यान्वयन कार्य स्थगित हुआ, निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)80.95				
4700-14-800-98- नहर का निर्माण	मूल	3,50.00	1,68.55	1,70.55	(+)2.00	माननीय न्यायालय द्वारा भारी भूमि मुआवजा का फैसला देने के फलस्वरूप दादुपुर नलवी परियोजना का भूमि अर्जन की अधिसूचना रद्द करने से जिससे कार्यान्वयन कार्य स्थगित हुआ, निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,81.45				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-15-800-97- बी.एम.एल.हान्सी शाखा बुटाना शाखा बहुदेशीय लिंक चैनल	मूल	1,00.00	0	0	0	माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से मूल प्रावधान का अग्रिम रूप में रखने तथा व्यय न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
4700-15-800-98- बी.एम.एल. की क्षमता का दोबारा से स्थापित करना	मूल	7,00.00	4,48.44	2,69.35	(-)1,79.09	पंजाब सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों के रखरखाव हेतु निधियों की कम मांग की प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹1,79.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)2,51.56				
4700-16-789-99- निर्माण कार्यो में सुधारीकरण एवं राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में जलप्रवाहों का पुनर्वास	मूल	35,00.00	13,59.85	14,94.23	(+)1,34.38	₹1,34.38 लाख आधिक्य के दृष्टिगत जलप्रवाहों का पुनर्वास तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से परिणामतः कार्यो का पूर्ण न होने से योजनाओं को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)21,40.15				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-16-800-98- नहर का निर्माण	मूल	25,00.00	8,75.70	8,75.70	0	निधियों का अभ्यर्पण तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से गोदामों के पुनर्वास योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ परिणामतः कार्यों का पूर्ण न होना हुआ।
	पुनर्वि0	(-)16,24.30				
4700-26-800-99- सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम	मूल	1,00.00	1.15	1.15	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप न दिये जाने के परिणामतः कार्यों का निर्माण नहीं हुआ।
	पुनर्वि0	(-)98.85				
4701-06-800-97- भूमि की वार्षिकी	मूल	20,00.00	14,20.15	14,66.25	(+)46.10	निधियों का अभ्यर्पण प्रत्येक लाभान्वितों की अद्वितीय बनाने की बोझिल प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभान्वितों को निधियों का आबंटन न होने से हुआ। ₹46.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)5,79.85				
4701-07-789-99- राज्य में अनुसूचित जाति आबादी हेतु आर.आई.डी.एफ नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण	मूल	49,50.00	67,45.00	62,14.60	(-)5,30.40	वर्ष के एक दम अन्त में बिलों के पास न होने से निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹5,30.40 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि0	(-)2,05.00				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-07-799-99- उचन्त	मूल	0	0	(-)17.72	(-)17.72	₹17.72 लाख के ऋणात्मक व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
4701-07-800-97- नाबार्ड के अन्तर्गत सिंचाई के लघु सिंचाई क्षमता योजना	मूल	0	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा परियोजना की स्वीकृति न देने के कारण हुआ।
	पूरक	10,65.00				
	पुनर्वि0	(-)10,65.00				
4701-19-800-98- नहरों का निर्माण	मूल	1,00.00	0	0	0	ठेकेदारों के बिलों के भुगतान न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
4701-23-800-98- जलप्राणी-नहर का निर्माण	मूल	25,00.00	3,12.64	3,17.07	(+)4.43	निधियों का अभ्यर्पण कोटला झील तथा कैथला जलआपूर्ति चैनल, वडखल झील, कपरीवास झील तथा भिड़ावास झील के जल प्राणी कार्यों के विकास तथा निर्माण के कार्यान्वयन न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)21,87.36				
4701-80-002-99- सिंचाई परियोजनाओं का डाटा संग्रह	मूल	20,00.00	14,77.20	15,08.23	(+)31.03	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट रिज्यूम करने के फलस्वरूप पंचकूला में सिंचाई कालोनी के निर्माण न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,22.80				

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-80-052-99- संस्थागत सुदृढीकरण डाटा संग्रह इत्यादि	मूल	5.00	0	0	0	मशीनरी के कार्यान्वयन/खरीद न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5.00				
4711-01-201-99- बाढ़ सुरक्षा एवं आपदा प्रत्यरता	मूल	75,00.00	58,83.35	58,83.35	0	प्रशासनिक कारणों से बाढ़ के कार्यों को निष्पादित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि0	(-)16,16.65				
4711-01-789-99- राज्य में अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा पुनः स्थापना तथा आपदा प्रबन्धन	मूल	50,00.00	34,92.65	34,57.98	(-)34.67	प्रशासनिक कारणों से बाढ़ के कार्यों को निष्पादित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि0	(-)15,07.35				

(12) मामले, जहाँ व्यय बिना प्रावधान के बुक किया गया है, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-13-001-88- पैन्शनरी प्रभार	मूल	0	0	22.08	(+)22.08	₹22.08 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-13-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	19,45.94	(+)19,45.94	₹19,45.94 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-13-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	1,08,67.10	(+)1,08,67.10	₹1,08,67.10 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-13-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	0	0	5,26.43	(+)5,26.43	₹5,26.43 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-13-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	8,25.93	(+)8,25.93	₹8,25.93 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-14-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	27.17	(+)27.17	₹27.17 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-14-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0	1,51.72	(+)1,51.72	₹1,51.72 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-14-001-92- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	7.35	(+)7.35	₹7.35 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-14-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0	11.53	(+)11.53	₹11.53 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-15-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	30.17	(+)30.17	₹30.17 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-15-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	1,68.48	(+)1,68.48	₹1,68.48 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-15-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	8.16	(+)8.16	₹8.16 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-15-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	12.80	(+)12.80	₹12.80 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-16-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	2,65.44	(+)2,65.44	₹2,65.44 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-16-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	14,82.37	(+)14,82.37	₹14,82.37 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-16-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	71.81	(+)71.81	₹71.81 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4700-16-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	1,12.66	(+)1,12.66	₹1,12.66 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-06-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	2,62.84	(+)2,62.84	₹2,62.84 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-06-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	16,41.95	(+)16,41.95	₹16,41.95 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-06-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	91.00	(+)91.00	₹91.00 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-06-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	1,47.80	(+)1,47.80	₹1,47.80 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-07-001-88- पैन्शनरी प्रभारे	मूल	0	0	15.62	(+)15.62	₹15.62 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-07-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	8,81.89	(+)8,81.89	₹8,81.89 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-07-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	55,09.13	(+)55,09.13	₹55,09.13 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-07-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	3,05.33	(+)3,05.33	₹3,05.33 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-07-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	4,95.89	(+)4,95.89	₹4,95.89 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-23-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	18.48	(+)18.48	₹18.48 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-23-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	1,15.47	(+)1,15.47	₹1,15.47 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-23-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	6.40	(+)6.40	₹6.40 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-23-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	10.39	(+)10.39	₹10.39 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-80-001-88- पैन्शनरी प्रभार	मूल	0	0	7.51	(+)7.51	₹7.51 लाख का आधिक्य परोरैटा स्थापना प्रभारों के कारण हुआ।
4701-80-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	4,23.78	(+)4,23.78	₹4,23.78 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-80-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	26,47.37	(+)26,47.37	₹26,47.37 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-80-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	1,46.73	(+)1,46.73	₹1,46.73 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4701-80-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	2,38.30	(+)2,38.30	₹2,38.30 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4711-01-001-88- पैन्शनरी प्रभार	मूल	0	0	11.78	(+)11.78	₹11.78 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4711-01-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0	8,55.28	(+)8,55.28	₹8,55.28 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4711-01-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0	59,73.25	(+)59,73.25	₹59,73.25 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।
4711-01-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0	2,54.49	(+)2,54.49	₹2,54.49 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

अनुदान संख्या-24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4711-01-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0	4,05.63	(+)4,05.63	₹4,05.63 लाख का आधिक्य यथानुपात स्थापना प्रभारों के वितरण के कारण हुआ।

प्रभारित विनियोग

(13) ₹12,39.09 लाख की समस्त बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹13,82.86 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(14) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-80-800-98- न्यायालय आदेशों के अधीन बड़े भू- मुआवजे की अदायगी	मूल	70,00.00	56,17.14	57,60.91	(+)1,43.77	₹1,43.77 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों से भूमि मुआवजों के लिए मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त होने के कारण विनियोग का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)13,82.86				

अनुदान संख्या-24-जारी

(15) लोक निर्माण-कार्य विभाग, सिंचाई शाखा-मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-निम्न तालिका वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

(₹लाख में)

योजना	परियोजना का नाम	वर्ष	निर्माण-कार्य परिव्यय	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
						निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
	1	2	3	4	5	6	7
1.	गुडगांव नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	0 24.82 1,20.00	0 27.97 1,05.54	0 0 0	0 1,12.69 87.95	0 0 0
2.	लोहारु नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	3,29.87 19.37 2,30.05	4,08.11 21.83 2,02.34	0 0 0	1,23.72 1,12.70 87.95	0 0 0
3.	जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	2,80.18 1,64.57 3,58.87	3,46.64 1,85.47 3,15.64	0 0 0	1,23.72 1,12.70 87.95	0 0 0
4.	एस.वाई.एल. नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	1,29.98 0 0	1,10.95 0 0	0 0 0	85.36 0 0	0 0 0
5.	दादुपुर नलवी परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	1,04.39 4,76.34 2,42.57	89.11 3,61.87 1,97.77	0 0 0	85.36 75.97 81.53	0 0 0
6.	पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार (नाबार्ड) परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	1,19,61.70 92,65.56 1,51,26.95	1,15,82.76 90,75.80 71,92.24	0 0 0	96.83 97.95 47.55	0 0 0
7.	पुनः स्थापना परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	55,41.77 44,81.85 23,69.93	47,30.25 34,04.82 19,32.28	0 0 0	85.36 75.97 81.53	0 0 0
8.	नवीन लघु परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	33,60.11 19,75.29 45,08.47	35,44.16 19,65.36 21,43.59	0 0 0	96.83 99.50 47.55	0 0 0
9.	पश्चिम यमुना नहर आवर्धन परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	34,21.23 38,83.81 41,73.00	42,32.78 43,77.08 36,70.32	0 0 0	1,23.72 1,12.70 87.95	0 0 0
10.	जुई नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	1,05.33 2,25.84 2,24.57	2.63 7.28 0	0 0 0	2.50 3.22 0	0 0 0
11.	सिवानी नहर परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	2,64.64 2,47.80 2,50.00	6.60 7.99 0	0 0 0	2.49 3.22 0	0 0 0

अनुदान संख्या-24-जारी

निम्न तालिका वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

	1	2	3	4	5	6	7
12.	संस्थागत सुदृढीकरण जैसे कि आंकड़े एकड़ीकरण	2015-16 2016-17 2017-18	6,12.07 1,14.15 15,08.23	5,92.68 1,14.75 34,56.17	0 0 0	96.83 1,00.53 2,29.15	0 0 0
13.	लाईनिंग ऑफ चैनल्लस	2015-16 2016-17 2017-18	4,57.41 5,12.42 2,69.35	3,90.43 3,89.28 2,19.61	0 0 0	85.36 75.97 81.53	0 0 0
14.	नहर की लाईनिंग तथा आधुनिकीकरण	2015-16 2016-17 2017-18	62,20.06 1,49,44.58 1,73,73.79	53,09.21 1,13,53.26 1,41,65.41	0 0 0	85.36 75.97 81.53	0 0 0
15.	मेवात फीडर	2015-16 2016-17 2017-18	7.36 0 0	7.13 0 0	0 0 0	96.88 0 0	0 0 0
16.	एम.एंड ई. बांध अपाटैमेंट परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	8,17.87 13,21.17 0	7,91.96 12,94.11 0	0 0 0	96.83 97.95 0	0 0 0
17.	कौशल्या बांध	2015-16 2016-17 2017-18	19,42.06 0 0	18,80.53 0 0	0 0 0	96.83 0 0	0 0 0
18.	सरस्वती हैरीटेज परियोजना	2015-16 2016-17 2017-18	0 0 1.15	0 0 0.94	0 0 0	0 0 81.74	0 0 0
19.	जल निकायो	2015-16 2016-17 2017-18	0 0 3,17.07	0 0 1,50.75	0 0 0	0 0 47.54	0 0 0

(16) उचन्त लेन-देन:-

शीर्ष 'उचन्त' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए व्रहों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उचन्त' के चार उपभाग हैं, अर्थात्

- (i) स्टॉक,
- (ii) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
- (iii) वर्कशाप उचन्त

इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन नीचे स्पष्ट किया गया है:-

(i) **स्टॉक:-** यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई।

सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टॉक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक हैं।

अनुदान संख्या-24-जारी

(ii) **विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:-** यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता हैं:-

(क) सामग्रियों का उधार विक्रय,

(ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।

(ग) हानियां तथा कटौतियों, और

(घ) अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होगा।

इन शीर्षों के तहत डेबिट बैलेंस सामान्य रूप से वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा।

(iii) **वर्कशाप उचन्त:-** विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक हैं।

इनके इलावा उचन्त के उप-डिवीजनों में एक और उप-शीर्ष खरीद है जिसे मुख्य, लघु और विस्तृत शीर्ष की सूची में से शुद्धि पत्र संख्या 332 दिनांक 07.04.1994 द्वारा हटा दिया गया है। यह शीर्ष ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के साथ उठाए गए मामले के बावजूद ब्यास परियोजना तलवाड़ा द्वारा इस खाते का संचालन किया जा रहा है। हालांकि, बी.बी.एम.बी. ने अपने पत्र दिनांक 28.05.2002 के द्वारा सूचित किया था कि खरीद शीर्ष को हटाने पर विचार किया जा रहा है और अंतिम परिणाम आने पर सूचित किया जाएगा।

'बहुउद्देशीय नदी परियोजना' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700- मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹3.17 लाख की राशि शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें + जमा (-)
स्टाक	(-)1,37.63	3.17	3.21	(-)1,37.67
विविध पेशगियां	(-) 24.15	0	0.24	(-) 24.39
जोड़.	(-)1,61.78	3.17	3.45	(-)1,62.06

(17) 'सिंचाई' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹2,51.93 लाख राशि शामिल हैं वर्ष 2017-18 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उंचत' के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)				
उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	(-)78.13	75.71	70.45	(-)72.87
विविध पेशगियां	(-)4,11.14	1,76.22	79.65	(-)3,14.57
जोड़	(-)4,89.27	2,51.93	1,50.10	(-)3,87.44

अनुदान संख्या-24-जारी

(18) 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2701-मध्यम सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई भी राशि शामिल नहीं है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	(-)77.02	0	0	(-)77.02
विविध पेशगियां	44.30	0	0	44.30
जोड़	(-)32.72	0	0	(-)32.72

(19) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹1,33.90 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	2,38.97	24.84	31.23	2,32.58
खरीद	2,28.28	0	0	2,28.28
विविध लोक निर्माण पेशगियां	1,30.72	55.93	81.55	1,05.10
कार्यशाला उचन्त	(-)7.53	53.13	53.13	(-)7.53
जोड़	5,90.44	1,33.90	1,65.91	5,58.43

(20) सिंचाई के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹8,89.16 लाख शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत लेन-देनों आदि और अन्त शेष सहित निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	5,10.96	4,76.10	4,36.90	5,50.16
विविध पेशगियां	(-)78,91.53	4,13.06	32.96	(-)75,11.43
जोड़	(-)73,80.57	8,89.16	4,69.86	(-)69,61.27

(21) 'भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड' के कारण मुख्य शीर्ष '4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹0.28 लाख शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान आदि और अन्त शेषों सहित लेन-देन निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	(-)10,94.77	0	0	(-)10,94.77
विविध पेशगियां	(-)5,75.70	0.28	2.78	(-)5,78.20
जोड़	(-)16,70.47	0.28	2.78	(-)16,72.97

अनुदान संख्या-24-समाप्त

(22) मुख्य शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे।

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें (+) जमा (-)
स्टाक	25,91.54	0	17.72	25,73.82
विविध पेशगियां	1,04,83.90	0	0	1,04,83.90
जोड़	1,30,75.44	0	17.72	1,30,57.72

(23) मुख्य शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	(-)1,80.70	0	0	(-)1,80.70
विविध पेशगिया	(-)27.54	0	0	(-)27.54
जोड़	(-)2,08.24	0	0	(-)2,08.24

अनुदान संख्या 25-उद्योग

(मुख्य शीर्ष-2057-पूर्ति तथा निपटान, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,63,55,91	3,63,55,91	1,29,17,44	(-)2,34,38,47
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,34,07,58

प्रभारित

मूल	10	10	0	(-)10
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

10

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	10,01,00	10,01,01	2,09,82	(-)7,91,19
पूरक	1			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

7,91,19

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो नीचे टिप्पणी 2 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुआ):-

अनुदान संख्या-25-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2057-51-101-99- क्रय संस्थान	मूल	4,35.43	2,95.11	2,95.11	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,40.32				
2851-51-101-97- औद्योगिक संसाधन का सृजन उन्नयन एवं रखरखाव नया नाम नई उद्यमी उन्नयन नीति 2015 के अन्तर्गत संसाधनों का विकास	मूल	1,50,00.00	14,12.50	14,12.50	0	निधियों का अभ्यर्पण औद्योगिक संसाधनों के दावों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,35,87.50				
2851-51-102-65- नई उद्यमी उन्नयन नीति 2015 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन	मूल	1,50,00.00	66,98.40	66,98.40	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः सब्सिडी के अनुदान के लिए कम आनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)83,01.60				
2851-51-102-71- एम.एस.एम.ई. कलस्टर विकास	मूल	2,00.00	75.00	75.00	0	समूहों से कम दावों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,25.00				
2851-51-102-74- हथकरघा, हस्तशिल्प तथा निर्यात का उन्नयन	मूल	1,25.00	63.79	63.79	0	राज्य हथकरघा हस्तशिल्प तथा निर्यात एवार्ड 2016-17 को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)61.21				

अनुदान संख्या 25-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-76- लघु उद्योग, क्यू.एम.सी., एच.टी. सी., आई.डी.सी. इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रशासन (98- स्थापना व्यय)	मूल	4,19.20	3,28.91	3,15.36	(-)13.55	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)90.29				
2851-51-103-89- व्यापक हथकरघा विकास योजना	मूल	50.00	0	0	0	नए कल्स्टर्स को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2851-51-105-99- खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को सहायतानुदान	मूल	16,78.00	10,00.00	10,00.00	0	सही एवं विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)6,78.00				
2852-80-001-98- स्थापना एवं प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	16,71.60	14,88.27	14,70.97	(-)17.30	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा किराया, दर तथा करों तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,83.33				
2852-80-001-99- स्थापना एवं प्रशासन (मुख्यालय)	मूल	11,11.00	8,02.85	8,02.82	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,08.15				

अनुदान संख्या 25-जारी

(2) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-72- बन्द निगमों के व्यय को लपेटना (एच. एस.एस. आई. एवं ई. सी./एच.एस.एच. एवं एच. सी./एच. टी.एल.)	मूल	30.00	65.00	65.00	0	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में वेतन के बकाया दावों को निपटाने हेतु प्रावधान का आवर्धन विश्वसनीय नहीं था जो निगमों के समेटने से दावों की प्राप्ति न होने के कारण बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ ।
	पुनर्वि0	35.00				
2851-51-102-78- निवेश प्रौन्नत केन्द्र को सहायतानुदान	मूल	2,00.00	2,70.00	2,70.00	0	हरियाणा उद्यमी प्रौन्नत केन्द्र के स्टाफ के वेतन को जारी करने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पुनर्वि0	70.00				
2852-80-001-89- योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अमले की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,30.00	2,57.74	2,57.74	0	प्रावधान का आवर्धन अनुवन्धित अमले का वेतन देने के कारण हुआ जो पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ ।
	पुनर्वि0	27.74				
2852-80-001-89- योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अमले की स्थापना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	70.00	1,09.98	1,09.98	0	प्रावधान का आवर्धन हारट्रान को हरियाणा मुल्यांकन फ्रेम वर्क डैशबोर्ड प्रबन्धन योजना के भुगतान करने से हुआ ।
	पुनर्वि0	39.98				

अनुदान संख्या 25-समाप्त

पूँजीगत

(3) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4851-51-102-95- क्षेत्रीय कार्यालयों/ निदेशालय कार्यालय परिसर का आधुनिकीकरण	मूल	10,00.00	0	0	0	पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एंड. आर.) हरियाणा से निदेशालय भवन के नक्शे का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)10,00.00				

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4885-01-190-79- हरियाणा राज्य वित्तीय सेवायें लिमिटेड को पूँजीगत अंशदान	मूल	0	2,08.82	2,08.82	0	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवायें लिमिटेड को पूँजीगत अंशदान हेतु भुगतान करने के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ ।
	पूरक	0.01				
	पुनर्वि0	2,08.81				

(मुख्य शीर्ष-2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	55,90,00	66,92,00	64,21,59	(-)2,70,41
पूरक	11,02,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,10,43

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹2,70.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹3,10.43 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
- (2) ₹2,70.41 लाख की बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 को ₹1,102 लाख का प्राप्त अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-94- खानों एवं खनिजों का विकास (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,20.00	34.82	34.82	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत परियोजना को अन्तिम रूप न दिए जाने, नई मशीनरी व उपकरणों की खरीद न करने, पदों के रिक्त रहने तथा सर्वेक्षण तथा खनन के लिए व्यावसायिकों की भर्ती न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)85.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2853-02-102-99- खनन के पश्चात मरम्मत कार्यों के लिए व्यय	मूल	51.00	0.69	0.69	0	निधियों का अभ्यर्पण खनन अनुबंध के समाप्त होने के कारण खनन बहाली के लघु निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.31				

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा पुनर्विनियोजन के द्वारा कम कर दिया गया, नीचे दिखाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-98- राज्य में खनिज अन्वेषण और खनिजों में रियायत के लिए खानों तथा खनिजों का विकास	मूल	5,33.00	4,06.78	4,06.78	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	5.00				
	पुनर्वि0	(-)1,31.22				
2853-02-001-99- क्षेत्रीय अमला खानों तथा खनिजों का विकास (98-स्थापना व्यय)	मूल	8,83.00	6,87.90	7,27.91	(+40.01	₹40.01 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत निधियों का अभ्यर्पण जो पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	80.00				
	पुनर्वि0	(-)2,75.10				

(5) खानों और खनिजों का विकास, बहाली तथा पुनर्वास निधि:-

खनन क्षेत्र, संरक्षण, पुनर्वास और राज्य में खनन स्थलों की बहाली के लिए हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना के माध्यम से और पारिस्थितिकी और क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों को करने के लिए इस निधि की स्थापना की गई।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान किए गए 'मृत किराए/रॉयल्टी/अनुबंध धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि खनिज रियायती धारकों से बहाली और पुनर्वास के लिए 'अन्य प्रभारों' के रूप में निधि में जमा किया जाता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष में 'मृत किराए/रॉयल्टी/अनुबंध धन' के कारण राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी योगदान के रूप में जमा/स्थानांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2017 को निधि में ₹55,01.64 लाख की शेष राशि थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को मृत किराए आदि के कारण ₹4,68,85.52 लाख की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा योगदान के कारण रियायती धारकों से प्राप्त हुए ₹42,52.51 लाख को राज्य की समेकित निधि के बजाए सीधे ही निधि में जमा किया गया था जिसे मुख्य शीर्ष 0853-खानों और भूमिज्ञान में वापस कर दिया गया है।

₹65,96.78 लाख की राशि (छूट धारक योगदान ₹42,52.51 लाख तथा जमा राज्य हिस्सा ₹23,44.27 लाख यानि ₹4,68,85.52 लाख के मृत किराए का 5 प्रतिशत) को निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान केवल ₹5,250 लाख की सीमा तक (राज्य योगदान और रियायत धारकों के योगदान को निर्दिष्ट किए बिना) को निधि में स्थानांतरित कर दिया था जिससे राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹13,46.78 लाख कम योगदान किया गया।

राज्य सरकार ने ₹15.10 लाख कम योगदान के कारण ₹3,30.10 लाख (₹55,01.64 लाख का 6 प्रतिशत) की देय राशि में ₹315 लाख की सीमा तक ब्याज समायोजन किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निधि से ₹0.69 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

31 मार्च 2018 को निधि में ₹1,10,65.95 लाख की राशि शेष है।

निधि में लेनदेन का विवरण वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 और 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या-27-कृषि

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	19,27,32,00	19,27,32,03	12,78,87,85	(-)6,48,44,18
पूरक	3			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

6,33,52,03

प्रभारित

मूल	12,00	12,00	3,71	(-)8,29
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

8,30

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

(1) ₹6,48,44.18 लाख की समस्त बचत में से, ₹14,92.15 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।

(2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई) नीचे नोट 3 में दर्शाई गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-96- कृषि (एन.ई.जी.पी.ए.) के लिए राष्ट्रीय ई- शासन योजना	मूल	3,00.00	2,21.23	2,21.23	0	निधियों का अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)78.77				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रूलाख में)	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रूलाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	5,82.50	4,50.04	4,50.03	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ जो अनुबन्धित अमलों पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,32.46				
2401-51-105-84- वर्ष 2010-11 के दौरान मृदा स्वास्थ्य और प्रजनन के प्रबन्धन पर राष्ट्रीय परियोजना पर योजना	मूल	1,50.00	39.86	39.86	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए नमूना सामग्री की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,10.14				
2401-51-105-86- खाद एवं उर्वरक के भण्डार व आबटन की योजना	मूल	27,50.00	15,17.00	15,17.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भवन अन्य प्रभागों के तहत कम बिलों के भुगतान होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,33.00				
2401-51-105-94- बायोगैस प्लांट को स्थापित करना	मूल	3,00.00	0	0	0	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,00.00				
2401-51-105-95- किसानों को भूमि तथा जल प्रशिक्षण सेवा सुविधा प्रदान करना (99-सामान्य योजना)	मूल	1,30.00	96.44	96.44	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्कीमों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.56				
2401-51-105-96- कृषि सामग्री पर गुणवता नियंत्रण हेतु योजना	मूल	3,73.00	1,64.22	1,64.22	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,08.78				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-105-98- रासायनिक उर्वरको की खरीद तथा आबंटन- कृषि विभाग के साथ अमले का जारी रहना	मूल	13,14.50	11,17.73	11,17.74	(+)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के के कारण हुआ, जो वेतन के भुगतान तथा संविदा अमले की अधिक नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,96.77				
2401-51-107-99- पौधा सुरक्षा परिचालन	मूल	17,45.90	12,71.65	12,71.64	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण से हुआ जो अधिक अनुबन्धित अमलों पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,74.25				
2401-51-108-81- गन्ना तकनीकी मिशन हेतु योजना	मूल	5,50.00	3,95.26	3,95.26	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः किसानों से सब्सिडी के कम अनुदान आवेदन प्राप्त होने तथा उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला द्वारा उत्तक संस्कृति रोपण के गैर-उत्पादन के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,54.74				
2401-51-108-86- एकीकृत तिलहन दालें तेल तथा मक्का (आइसोपोम) योजना (एन.एम.ओ.ओ.पी)	मूल	20,00.00	2,77.73	2,77.73	0	भारत सरकार से कम समतुल्य राशि की प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)17,22.27				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-108-94- हरियाणा में गन्ने का विकास	मूल	11,65.30	9,16.43	9,16.43	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ जो अनुबन्धित अमलों की नियुक्ति पर अधिक व्यय के कारण प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,48.87				
2401-51-108-98- हरियाणा में अधिक उत्पाद किस्मों संबंधी कार्यक्रम	मूल	20,29.00	16,72.42	16,72.42	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ जो अनुबन्धित अमलों की नियुक्ति पर अधिक व्यय के कारण प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,56.58				
2401-51-109-77- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	32,00.00	9,92.67	9,92.67	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)22,07.33				
2401-51-109-79- हरियाणा किसान आयोग के संविधान हेतु योजना	मूल	3,00.00	2,02.83	2,02.83	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद न होने, परियोजना कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)97.17				
2401-51-109-80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	4,00,00.00	1,87,65.00	1,90,16.98	(+)2,51.98	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,12,35.00				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-81- निरन्तर कृषि सामरिक महत्व को बढावा देने हेतु पहला कदम	मूल	1,15.00	44.50	44.50	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या में उपलब्धता तथा प्रकाशन प्रभारों के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)70.50				
2401-51-109-84- राष्ट्रीय रासायनिक कृषि हेतु स्कीम	मूल	50.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2401-51-109-85- एक्सटेंशन सुधार कार्यक्रम के विस्तार हेतु केन्द्रीय समर्थन	मूल	32,00.00	11,66.87	11,66.87	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम प्रशिक्षण आयोजन करवाने तथा कम अनुबन्धित अमलों की नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,33.13				
2401-51-109-97- किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवा के लिए योजना	मूल	2,10.00	1,73.14	1,71.12	(-) 2.02	₹36.86 लाख के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है।
	पुनर्वि0	(-)36.86				
2401-51-111-90- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नया नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल	3,00,00.00	1,44,93.64	1,44,93.64	0	निधियों का अभ्यर्पण स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,55,06.36				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-113-96- कृषि अभियांत्रिकी सेवाओं हेतु योजना	मूल	5,58.00	3,52.17	3,53.16	(+)0.99	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः लाभार्थियों से कम दावों की प्राप्ति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,05.83				
2401-51-113-99 कृषि अभियांत्रिकी	मूल	15,09.50	10,99.41	10,98.43	(-)0.98	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ, जो संविदा अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)4,10.09				
2401-51-119-58- बागवानी क्षेत्र में उन्नत अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक के उन्नयन हेतु योजना	मूल	9,00.00	7,37.35	7,37.36	(+) 0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः निविदाएँ आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने तथा कम संविदा अमले की नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,62.65				
2401-51-119-59- बागवानी के सुदृढीकरण हेतु योजना	मूल	9,00.00	6,01.97	6,01.34	(-) 0.63	योजना के अन्तर्गत निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः व्यावसायिक अमले की कम भागीदारी और लघु निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,98.03				
2401-51-119-60- बागवानी में सूचना प्रौद्योगिकी हेतु योजना	मूल	1,25.00	80.97	80.97	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा व्यावसायिक अमले की नियुक्ति न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)44.03				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-61- फलों व सब्जियों में उत्तम कृषि अभ्यास तथा कीटनाशी के अवशेषों की योजना	मूल	1,50.00	70.31	70.32	(+)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अन्य प्रभार के तहत मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा व्यावसायिक अमले की नियुक्ति न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)79.69				
2401-51-119-65- हरियाणा राज्य में उद्यान विकास समेकित योजना लागू करने बारे	मूल	11,00.00	6,42.04	6,42.04	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः सब्सिडी की अनुदान के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)4,57.96				
2401-51-119-69- राजकीय बागवानी मिशन	मूल	1,41,90.00	98,21.13	98,21.13	0	मितव्ययता उपायों को अपनाने जैसे निधियों के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं है।
	पुनर्वि०	(-)43,68.87				
2401-51-119-72- सूक्ष्म सिंचाई योजना	मूल	88,80.00	25,90.04	25,90.05	(+)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)62,89.96				
2401-51-119-92- कृषि मानवीय संसाधन विकास हेतु योजना (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,26.00	2,64.71	1,64.69	(-)1,00.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा अधिकारियों द्वारा दौरे पर न जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	38.71				
2401-51-119-94- हरियाणा राज्य में बागवानी निदेशालय की स्थापना	मूल	2,90.00	2,42.78	2,42.78	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने, कार्यों का कम मूल्यांकन तथा अनुबन्धित अमलों की कम नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)47.22				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-97- विभिन्न बागवानी गतिविधियों की स्कीम	मूल	21,65.15	18,35.14	17,71.45	(-)63.69	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,30.01				
2401-51-119-98- उद्यान निदेशालय की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	3,56.00	2,75.45	2,75.44	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि०	(-)80.55				
2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	8,00.00	67.61	67.61	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण निधियां अभ्यर्पित हुईं।
	पुनर्वि०	(-)7,32.39				
2401-51-789-87- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना/स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन	मूल	15,00.00	79.16	79.16	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)14,20.84				
2401-51-789-88- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	32,98.40	20,33.70	20,33.70	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)12,64.70				
2401-51-789-89- किसानों तथा अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर औजार मशीनरी प्रदान करने हेतु स्कीम	मूल	3,00.00	27.82	27.82	0	निधियों का अभ्यर्पण स्कीमों के अन्तर्गत सब्सिडी के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,72.18				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-789-90- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु राज्य के विकास हेतु सुधार कार्यों में विकास के लिए केन्द्रीय समर्थन	मूल	8,00.00	1,91.21	1,91.21	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)6,08.79				
2401-51-789-94- हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों हेतु आई.एस. ओ.पी.ओ.एम. केन्द्रीय प्रायोजित समेकित योजना नया नाम राष्ट्रीय मिशन तिलहन, आयल पाम, (एन.एम.ओ.ओ.पी.)	मूल	5,00.00	11.21	11.21	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण निधियां अभ्यर्पित हुई।
	पुनर्वि०	(-)4,88.79				
2401-51-789-98- अनुसूचित जाति के समेकित बागवानी विकास हेतु योजना	मूल	4,00.00	3,16.64	3,16.64	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः सब्सिडी के बिलों के निपटान न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)83.36				
2402-51-102-77- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	मूल	8,00.00	1,20.16	1,20.16	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)6,79.84				
2402-51-102-80- जल बचत तकनीक पर सहायता प्रदान करने हेतु योजना	मूल	5,90.00	3,21.24	3,21.35	(+) 0.11	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्कीम के अन्तर्गत तकनीकी अमले की कमी होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)2,68.76				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-102-86- राज्य में लवणीय मिट्टी तथा जलाक्रान्त जमीन के सुधार हेतु मार्गदर्शन परियोजना हेतु योजना	मूल	4,50.00	2,85.00	1,43.82	(-)1,41.18	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः लघु निर्माण कार्यों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ। पदों के रिक्त रहने जैसे कारण विरोधाभासी है तथा विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,65.00				
2402-51-102-99- हरियाणा कृषि भूमि पर भू-संरक्षण तथा जल ससांधन हेतु योजना	मूल	23,07.50	18,00.23	18,00.83	(+) 0.60	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,07.27				
2402-51-789-99- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	मूल	2,00.00	0	0	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
2415-01-277-99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान (99-राज्य प्लान)	मूल	1,48,00.00	1,44,67.89	1,30,17.89	(-)14,50.00	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ। ₹1,450 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,32.11				
2415-01-277-99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान (99-नोर्मल प्लान)	मूल	2,56,72.30	2,22,62.13	2,22,62.13	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)34,10.17				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2435-01-101-99- कृषि उत्पादन का विकास एवं श्रेणीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,04.00	1,12.95	1,12.94	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)91.05				
2702-02-005-99- राज्य में भू-जल विकास योजना तथा विभिन्न नाबार्ड योजनाओं को लागू करना	मूल	9,33.25	7,08.82	7,08.73	(-)0.09	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत दावों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ, जो अनुबन्धित अमलों पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,24.43				

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-78- कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन	मूल	6,00.00	66,28.21	66,28.21	0	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः सब्सिडी के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	60,28.21				
2401-51-109-93- कृषि का सुदृढीकरण तथा संरचना विस्तार	मूल	3,00.00	3,40.05	3,40.06	(+)0.01	प्रावधान का आवर्धन अन्य प्रभारों के अधिक बकाया बिलों के भुगतान तथा कार्यालय व्यय के कारण हुआ, जो भवनों के अन्तर्गत कार्य को अन्तिम रूप न देने के कारण से बचत द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	40.05				

अनुदान संख्या-27-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-53- बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल	1.00	5,00.00	5,00.00	0	प्रावधान का आवर्धन राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना पर अधिक व्यय के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	4,99.00				
2401-51-190-99- हरियाणा सरकार में भवंतर भरपाई योजना	मूल	0	5,00.00	5,00.00	0	₹4,99.99 लाख के प्रावधान के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	0.01				
	पुनर्वि0	4,99.99				
2402-51-101-95- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	10,08.00	12,38.50	12,38.50	0	प्रावधान का आवर्धन मृदा सैम्पल को एकत्रित करने के लिए अधिक संविदा अमले को लगाने से हुआ जो लाभान्वितों द्वारा सब्सिडी के कम दावे प्राप्त होने से बचत द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	2,30.50				
2402-51-789-98- अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	1,92.00	2,33.11	2,33.11	0	प्रावधान का आवर्धन मृदा सैम्पल को एकत्रित करने के लिए अधिक संविदा अमले को लगाने से हुआ जो लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी के दावों की प्राप्ति तथा कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	41.11				

अनुदान संख्या-28-पशुपालन तथा डेयरी विकास

(मुख्य शीर्ष-2403-पशु-पालन, 2404- डेयरी विकास, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	7,31,71,65	7,56,21,65	6,67,38,56	(-)88,83,09
पूरक	24,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

89,50,36

प्रभारित

मूल	16,00	16,00	13,40	(-)2,60
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,60

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	15,00,00	15,00,00	14,08,74	(-)91,26
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

91,26

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹88,83.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹89,50.36 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹88,83.09 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹2,450 लाख का पूरक अनुदान अवास्तविक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।

अनुदान संख्या 28-जारी

(3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-001-95- डी.डी.एस.डी.ओ. के कार्यालय को सुदृढीकरण करना तथा नये पदों का गठन नाम बदलकर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण के लिए योजना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,00.00	3.10	3.10	0	निधियों का अभ्यर्पण कम्प्यूटरों तथा अन्य मदों की खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)96.90				
2403-51-001-97- पशुपालन विभाग हरियाणा के कार्यालय को पुनर्गठन	मूल	1,03.00	69.80	69.80	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)33.20				
2403-51-101-63- पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियंत्रण	मूल	16,50.00	8,19.68	8,19.68	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)8,30.32				
2403-51-101-87- हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान का विस्तार	मूल	4,87.60	3,89.11	3,88.87	(-)0.24	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)98.49				
2403-51-101-88- हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार	मूल	4,15.10	3,63.50	3,63.47	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)51.60				

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-93- डिस्पेंसरियों/एस.एम. केन्द्रों को हस्पताल व प्रजनन केन्द्र में बदलना	मूल	99,33.00	86,58.83	86,57.55	(-)1.28	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुबंधित अमलों की कम नियुक्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,74.17				
2403-51-102-65- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	मूल	16,00.00	2,11.48	2,11.48	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार के द्वारा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को सीधी निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,88.52				
2403-51-102-66- संरक्षण और स्वदेशी पशुओं के विकास के लिए योजना	मूल	4,00.00	2,78.78	2,78.78	0	निधियों का अभ्यर्पण स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा साहीवाल तथा बेलाही ब्रीड से दुग्ध प्राप्ति के लक्ष्य पूरा न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,21.22				
2403-51-102-67- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	4,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण पशुधन बीमा तथा बीजों की दरों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,00.00				
2403-51-102-76- पशुधन गणना हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	मूल	4,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण सरकार से निधियों के जारी न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,00.00				
2403-51-102-98- सरकारी पशुधन फार्म हिसार का पुनर्गठन	मूल	5,78.85	4,81.57	4,83.32	(+)1.75	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)97.28				

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102-99- हिसार पशुधन फार्म	मूल	7,60.95	6,31.50	6,31.52	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रह पूर्वक तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,29.45				
2403-51-103-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	2,45.35	2,07.00	2,06.96	(-)0.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.35				
2403-51-104-97- एच.डी.एफ (हिसार डेल फलाक) हिसार की विद्यमान भेड़ प्रजनन केन्द्र प्रायोगिक विस्तार की स्कीम	मूल	2,37.65	1,52.23	1,52.23	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)85.42				
2403-51-105-99- सुअर भाग सरकारी पशुधन फार्म हिसार	मूल	1,00.15	76.66	76.65	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)23.49				
2403-51-107-97- चारा बीज उत्पादन इकाई तथा मिनी चारा किट वितरक इकाई की स्थापना	मूल	1,34.90	1,04.67	1,04.67	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)30.23				
2403-51-107-98- पशुफार्म हिसार का पुनर्गठन	मूल	1,52.95	97.76	97.76	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे तथा बिजली के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)55.19				

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-107-99- हिसार पशु फार्म के अन्तर्गत चारे का (विकास स्थायी पक्ष)	मूल	4,73.05	3,71.28	3,71.28	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,07.77				
2403-51-113-96- दूध, अण्डे, ऊन तथा मीट/पशुचारा, तथा घास के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान हेतु योजना तथा घास एसैसमेंट विकास परियोजना (50:50)	मूल	1,80.00	1,12.10	1,11.96	(-)0.14	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से निधियों के जारी न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)67.90				
2403-51-113-97- कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना की स्थापना नाम बदलकर हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधन के लिए योजना	मूल	1,63.45	1,36.96	1,36.98	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)26.49				
2403-51-113-98- निदेशक पशुपालन हरियाणा चण्डीगढ़ के मुख्यालय में सांख्यिकीय कक्ष के सृजनार्थ स्कीम	मूल	36.50	12.78	12.72	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)23.72				
2403-51-789-88- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	मूल	4,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,00.00				

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-89- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	1,60.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण पशुधन बीमा तथा बीजों की दरों को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,60.00				
2403-51-789-96 अनुसूचित जाति को विशेष बीमा कार्यक्रम	मूल	5,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान पशुधन बीमा प्रीमियम की दरों को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2403-51-001-95- डी.डी.एस.डी. ओ. के कार्यालय को सुदृढ़ करना तथा नए पदों का गठन नामा बदलकर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	मूल	1,46.50	1,79.03	1,79.03	0	प्रावधान का आवर्धन वार्षिक वृद्धि तथा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	32.53				
2403-51-101-62- पशु चिकित्सा संस्थाओं का खोलना, उन्नयन व सुदृढ़ीकरण	मूल	60,00.00	67,14.60	67,24.64	(+)10.04	प्रावधान का अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने से तथा महंगाई भत्ते के बढ़ने से हुआ जोकि पशु कुचलने की खरीद के लिए दर अनुबन्ध को देरी से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई बचत से प्रतिसंतुलित हुआ ।
	पुनर्वि0	7,14.60				

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102-70- हाइटैक डेयरी के स्थापना के लिए योजना	मूल	10,00.00	11,95.22	11,95.22	0	प्रावधान का आवर्धन किसानों की सब्सिडी के बकाया देनदारियों का निवारण करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	1,95.22				
2403-51-102-73- एकीकृत मुर्गाह विकास कार्यक्रम	मूल	5,00.00	5,57.20	5,57.20	0	प्रावधान का आवर्धन किसानों को प्रोत्साहन की बकाया देनदारियों का निवारण करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	57.20				
2403-51-106-95- पशु धन तथा जिला, राज्य/देश स्तर पर पोल्टरी फार्मों को धारण करना	मूल	0	95.18	95.18	0	अन्य प्रभारों के बकाया बिलों का निवारण करने के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान किया गया।
	पुनर्वि0	95.18				
2403-51-789-92- पशु धन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियन्त्रण	मूल	1,00.00	1,83.43	1,83.43	0	प्रावधान का आवर्धन स्कीम के अन्तर्गत सरकार से अधिक निधियां लेने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	83.43				

दोषपूर्ण बजट

- (5) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दिखाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-67- लाला लाजपतराय विश्वविद्यालय नाबार्ड के अन्तर्गत पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान हिसार को संस्थापन के लिए योजना	मूल	1,10,38.00	1,06,26.60	1,06,26.60	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पूरक	22,00.00				
	पुनर्वि0	(-)26,11.40				

अनुदान संख्या 28-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-800-94- पशु पालन से संबंधित लघु सार्वजनिक कार्य/नया कार्य के लिए योजना	मूल	1,50.00	2,00.00	2,54.36	(+)54.36	₹54.36 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत, निधियों का अभ्यर्पण जो पंचायती राज को डी.डी.ओ. पावर को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ, विवेकहीन सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि0	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या-29- मत्स्य पालन

(मुख्य शीर्ष-2405 मछली पालन, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	87,92,09	87,92,09	45,30,60	(-)42,61,49
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

42,60,51

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

(1) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-01-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	1,43.00	1,00.64	1,00.64	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा मजदूरी के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)42.36				
2405-51-101-72- ताजा जल मत्स्य पालन का विकास	मूल	16,39.92	4,98.64	4,98.64	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति होने कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,41.28				
2408-51-101-73- सजावटी मछली पालन के लिए योजना	मूल	10,00.00	1,18.35	1,18.35	0	निधियों का अभ्यर्पण मशीनरी एवं उपकरणों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,81.65				

अनुदान संख्या-29-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-51-101-77- राष्ट्रीय मछली पालन के विकास बोर्ड की स्थापना हेतु योजना नया नाम राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड	मूल	12,62.50	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,62.50				
2405-51-101-81- मछलीपालन क्षेत्र में डाटाबेस एवं सूचना नैटवर्क के सुदृढीकरण हेतु योजना नया नाम मछलीपालन क्षेत्र में डाटाबेस एवं सूचना नैटवर्क के सुदृढीकरण हेतु योजना (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,30.00	0	0	0	योजना के लागू न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,30.00				
2405-51-101-82- अन्देशीय नदियां एवं जलाशय में मछली पकड़ना/नाम बदलकर अन्देशीय मछली पकड़ना (ग्राम, तालाब, टैंक आदि)	मूल	86.95	2.30	2.30	0	भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति के कारण प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)84.65				
2405-51-101-83- मछली पालन क्षेत्र में सैलाब किए हुए क्षेत्र के विकास के लिए योजना नया नाम सैलाब किए हुए क्षेत्र का विकास	मूल	1,11.18	46.06	46.06	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम समतुल्य अंशदान की प्राप्ति होने कारण के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)65.12				
2405-51-101-91- राष्ट्रीय मछली बीज कार्यक्रम की योजना	मूल	9,32.00	7,87.81	7,86.79	(-)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः लघु निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन को अंतिम रूप न दिए जाने, पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,44.19				

अनुदान संख्या 29-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-51-101-92- सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम	मूल	13,22.60	11,55.43	11,55.43	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ जोकि अनुबंधित अमलों पर आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,67.17				
2405-51-101-95- मत्स्य बीज फार्मों की स्थापना के लिए स्कीम	मूल	2,94.10	2,36.94	2,36.94	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)57.16				
2405-51-101-96- मछली कल्चर के लिए योजना	मूल	4,17.00	3,06.54	3,06.54	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,10.46				
2405-51-109-99- कृषि मानव स्रोत के विकास हेतु योजना (98-स्थापना व्यय)	मूल	3,12.30	2,46.02	2,46.04	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, तथा खरखाव कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)66.28				

अनुदान संख्या-30-वन तथा वन्य प्राणी

(मुख्य शीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,56,11,80	4,56,11,80	3,13,91,36	(-)1,42,20,44
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,38,53,55

प्रभारित

मूल	1,50,00	1,50,00	62,55	(-)87,45
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

87,45

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,42,20.44 लाख की कुल बचत में से, ₹3,66.89 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-001-99- परिमंडल/मंडलीय अमला	मूल	20,55.70	18,17.33	17,57.72	(-)59.61	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)2,38.37				

अनुदान संख्या-30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-102-90- जल विभाजको के भूमि संरक्षण हेतु विशेष स्थलों पर वन रोपण	मूल	17,53.00	9,32.35	9,27.51	(-)4.84	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)8,20.65				
2402-51-102-91- सूखा नियंत्रित करने हेतु विशेष स्थलों का वनारोपण	मूल	1,37.00	93.88	93.69	(-)0.19	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)43.12				
2406-01-001-98- परिमण्डल/मंडलीय अमला	मूल	95,03.80	78,20.83	75,58.99	(-)2,61.84	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)16,82.97				
2406-01-001-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	4,00.00	2,29.17	2,29.17	0	कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत कम मर्दों की खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)1,70.83				
2406-01-003-97- वन्य प्रचार लोक सम्पर्क तथा विस्तार	मूल	3,05.70	2,61.86	2,61.86	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)43.84				
2406-01-070-97- भवन	मूल	7,00.00	5,38.35	5,38.35	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)1,61.65				
2406-01-070-99- संचार वन मार्ग तथा सड़कें	मूल	33.00	10.00	10.00	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	(-)23.00				

अनुदान संख्या-30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-101-96- स्थाई कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि वानिकी	मूल	6,00.00	1,23.82	1,23.82	0	क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ तकनीकी कठिनाईयां आने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,76.18				
2406-01-101-97- वनों का संरक्षण	मूल	2,35.60	1,36.34	1,33.28	(-)3.06	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)99.26				
2406-01-101-98- परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	मूल	22,09.00	18,48.20	18,44.99	(-) 3.21	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,60.80				
2406-01-102-64- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय योजना	मूल	20,00.00	0	0	0	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
2406-01-102-68- अरावली पहाड़ियों पर संस्थानों का पुनर्उत्थान	मूल	20,00.00	16,47.38	16,47.38	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,52.62				
2406-01-102-71- हर्बल प्राकृतिक पार्क	मूल	5,50.00	3,69.21	3,69.21	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,80.79				
2406-01-102-74- एकीकृत वन्य सुरक्षा	मूल	3,00.00	1,13.55	1,13.55	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि0	(-)1,86.45				
2406-01-102-78- कृषि वानिकी का कूटक/गैर कूटक विकास	मूल	90,00.00	56,12.63	56,11.37	(-)1.26	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)33,87.37				

अनुदान संख्या-30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-88- बेकार एवं कृषि भूमि पर पौधा रोपण योजना	मूल	40,00.00	32,16.81	32,02.86	(-)13.95	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,83.19				
2406-01-102-90- शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	मूल	13,75.00	6,21.69	6,21.69	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)7,53.31				
2406-01-102-92- शीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाना	मूल	1,61.00	1,39.95	1,39.95	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)21.05				
2406-01-102-94- वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण सरहदबन्दी एवं निपटारा	मूल	3,35.60	86.39	83.24	(-)3.15	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,49.21				
2406-01-102-97- किनारा वन विस्तार (नहरों, सड़कों तथा रेलवे पथ के साथ -साथ खाली भूमि पर पौधा रोपण)	मूल	3,45.50	2,56.88	2,51.53	(-)5.35	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)88.62				
2406-01-102-98- औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पौधारोपण	मूल	1,90.50	1,05.58	1,03.02	(-) 2.56	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)84.92				
2406-01-800-99- नहरी पानी हेतु सिंचाई विभाग को जल प्रभार का भुगतान	मूल	58.90	34.22	34.22	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)24.68				

अनुदान संख्या-30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-02-110-88- वन्य जीवन वास का समेकित विकास	मूल	4,00.00	3,41.69	3,41.69	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः लघु निर्माण- कार्यों के अन्तर्गत कुछ तकनीकी खराबियों के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)58.31				
2406-02-110-91- वन्य प्राणी विहारों का सुधार विस्तार तथा सुदृढीकरण	मूल	6,00.00	2,07.32	2,07.32	0.	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)3,92.68				
2406-02-110-93- बहु उद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	4,00.00	2,72.82	2,72.82	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,27.18				
2406-02-110-95- बहु उद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	99.00	62.95	62.95	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36.05				
2406-02-110-99- मुख्यालय अमला	मूल	11,92.40	8,42.83	8,36.87	(-)5.96	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,49.57				
2406-02-800-98- चिड़िया घरों एवं हिरण पार्कों का विस्तार	मूल	4,50.00	3,40.38	3,40.38	0	लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,09.62				
2406-04-101-99- राष्ट्रीय वानिकीकरण और वानिकी/राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा वानिकी गतिविधियां (एस.एफ.डी.ए.)	मूल	15,00.00	10,71.45	10,71.45	0	भारत से समतुल्य हिस्सा प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,28.55				

अनुदान संख्या-30-समाप्त

प्रभारित विनियोग

(3) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-800-99- सिंचाई विभाग को नहरी जल के लिए जल प्रभार का भुगतान	मूल	1,50.00	62.55	62.55	0	सिंचाई विभाग से जल प्रभारों के बिलों की कम प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)87.45				

अनुदान संख्या-31-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

(मुख्य शीर्ष-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	8,69,90	8,92,90	5,56,83	(-)3,36,07
पूरक	23,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

3,35,98

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

(1) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3435-03-001-99- संदर्भित प्रयोगशाला सहित निदेशन तथा प्रशासन (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,08.00	1,50.71	1,50.71	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रहपूर्वक राशि के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	3.00				
	पुनर्वि0	(-)60.29				
3435-03-800-89- गुडगांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	2,00.00	1.23	1.23	0	सही तथा विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,98.77				
3435-03-800-97- विशेष पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,29.90	1,66.81	1,66.72	(-)0.09	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	11.00				
	पुनर्वि0	(-)74.09				

अनुदान संख्या-32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास

(मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	41,66,64,46	45,53,85,21	33,60,17,20	(-)11,93,68,01
पूरक	3,87,20,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11,93,08,26

प्रभारित

मूल	30,00	30,00	18,61	(-)11,39
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11,39

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	12,00,00,00	12,00,00,00	0	(-)12,00,00,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

12,00,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹11,93,68.01 लाख की समस्त बचत में से, ₹59.75 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- (2) ₹11,93,68.01 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹3,87,20.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई) जो नीचे टिप्पणी 4 में दर्शाए गए हैं:-

अनुदान संख्या-32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2501-03-001-99- डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी के अन्तर्गत निदेशालय ग्रामीण विकास को जारी रखना नाम बदल कर ग्रामीण विकास के लिए मुख्यालय के स्थापना खर्च हेतु योजना	मूल	3,16.50	2,17.77	2,17.77	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, किराये, दर्शों को अन्तिम रूप न दिये जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुई।
	पुनर्वि0	(-)98.73				
2501-05-101-99- समेकित बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	80,00.00	14,70.00	14,70.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)65,30.00				
2501-05-789-99- समेकित बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	20,00.00	3,52.00	3,52.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)16,48.00				
2501-06-800-97- डी.आर.डी.ए. प्रशासन	मूल	30,00.00	41,29.67	39,80.25	(-)1,49.42	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पूरक	35,00.00				
	पुनर्वि0	(-)23,70.33				
2501-06-800-98- डी.डब्लू.सी.आर.ए. योजना का नाम बदलकर ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ के लिए योजना	मूल	3,50.00	2,01.80	1,89.66	(-)12.14	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,48.20				
2505-01-702-88- राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के रूप में नाम बदलकर स्वर्ण जयन्ती उत्थान योजना	मूल	67,00.00	2,40.00	2,40.00	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)64,60.00				

अनुदान संख्या-32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2505-01-702-93- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्र बन्धुआ मजदूरों हेतु आवासों का निर्माण/उन्नयन (99-सामान्य योजना)	मूल	1,25,00.00	19,53.72	19,53.72	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,05,46.28				
2505-01-789-98- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्र बन्धुआ मजदूरों हेतु आवासों का निर्माण/उन्नयन	मूल	1,77,00.00	26,64.38	26,64.38	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,50,35.62				
2505-01-789-99- अनुसूचित जातियों हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत योजना का नाम बदलकर स्वर्ण जयन्ती उत्थान योजना	मूल	33,00.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33,00.00				
2505-02-101-99- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) (99-सामान्य योजना)	मूल	1,84,00.00	1,62,48.70	1,62,48.70	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि0	(-)1,21,51.30				
2505-02-789-99- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सहायता	मूल	46,00.00	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)46,00.00				

अनुदान संख्या-32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-98- सामुदायिक विकास (96-जिला तथा खण्ड अमला)	मूल	1,43,29.15	1,30,28.33	1,33,08.44	(+)2,80.11	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति तथा अवकाश यात्रा के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹2,80.11 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)13,00.82				
2515-51-001-98- सामुदायिक विकास (98-स्थापना व्यय) (मुख्यालय अमला)	मूल	5,50.25	4,51.35	4,51.29	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	3.00				
	पुनर्वि0	(-)1,01.90				
2515-51-001-99- पंचायत विभाग (95-जिला अमला) पंचायती राज्य संस्था से सम्बंधित प्रभार	मूल	13,45.49	12,21.72	11,74.82	(-) 46.90	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,23.77				
2515-51-001-99- पंचायत विभाग (98-स्थापना व्यय) (मुख्यालय अमला)	मूल	6,43.23	4,88.70	4,88.72	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,54.53				
2515-51-003-98- सामुदायिक विकास (98-हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था नीलोखेड़ी की स्थापना नाम बदलकर प्रशिक्षण एवं योग्यता निर्माण हेतु योजना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी)	मूल	2,60.00	1,30.00	1,30.00	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,30.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-003-98- सामुदायिक विकास (99-राजीव गाँधी राज्य प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी नाम बदलकर सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण करना)	मूल	1,99.72	1,60.57	1,60.61	(+)0.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)39.15				
2515-51-101-81- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.)	मूल	36,60.00	0	0	0	भारत सरकार से निधियों के हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36,60.00				
2515-51-101-93- विकास कार्यों के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता योजना (राज्य अंश)	मूल	2,75.00	16.00	16.00	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए लोगों द्वारा कम समतुल्य हिस्सा जमा करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,59.00				
2515-51-101-95- विकास कार्यों के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता योजना (लोक अंश)	मूल	2,00.00	11.00	24.77	(+)13.77	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए लोगों द्वारा कम समतुल्य हिस्सा जमा करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,89.00				
2515-51-102-83- ग्रामीण विकास के युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता	मूल	10,00.00	2,51.02	2,50.07	(-)0.95	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम प्रशिक्षण आयोजन करवाने, ईनाम के लिए लाभान्वितों की सूची को अन्तिम रूप न देने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,48.98				

अनुदान संख्या-32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-90- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना	मूल	20,00.00	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
2515-51-102-93- स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण (99-सामान्य योजना)	मूल	1,68,00.00	28,83.00	28,83.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,39.17.00				
2515-51-102-96- ग्रामीण सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बदलकर स्वर्ण जयन्ती महाग्राम विकास योजना (एस.एम.जी.वी.वाई.) (99-सामान्य योजना)	मूल	1,00,00.00	67,24.73	62,24.73	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)32,75.27				
2515-51-102-97- पंचायत/जिला परिषद राज्य पंचायत भवनों तथा पंचायत सचिवालय सहित नए ब्लॉक कार्यालयों का निर्माण	मूल	40,00.00	6,27.21	6,27.21	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33,72.79				
2515-51-102-98- राज्य तथा जिला स्तर पर गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए सम्मेलनों का आयोजन	मूल	1,00.00	2.66	2.66	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)97.34				

अनुदान संख्या-32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-106-97- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम)	मूल	80,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)80,00.00				
2515-51-106-98- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	मूल	2,20.00	0	0	0	₹220 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)2,20.00				
2515-51-197-99- पचायत समिति के लेखों को बनाए रखना नाम बदल कर गाँव चौकीदारों को मानदेय की अदायगी बारे योजना	मूल	31,40.11	22,74.52	22,46.53	(-)27.99	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,65.59				
2515-51-789-86- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए गाँवों में विशेष कार्य योजना	मूल	9,00.00	7,13.68	7,13.68	0	निधियों का अभ्यर्पण स्कीम के अन्तर्गत कम विकास कार्य किए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,86.32				
2515-51-789-88- महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती योजना	मूल	82,50.00	9,49.33	9,49.33	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)73,00.67				
2515-51-789-91- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना	मूल	60,00.00	1,05.22	1,05.22	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)58,94.78				
2515-51-789-98- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ग्रामीण स्वच्छता योजना निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत स्वच्छता (अनुसूचित जाति के लिए)	मूल	1,07,50.00	10,83.00	10,83.00	0	निधियों का अभ्यर्पण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छता के लिए पहचान किए गए गाँवों की सूची को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)96,67.00				

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-789-99- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सफाई एवं स्वच्छता योजना नाम बदलकर स्वर्ण जयन्ती महाग्राम विकास योजना (स्मैगी)	मूल	35,00.00	16,81.18	16,81.18	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत कम विकास कार्य किए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)18,18.82				
2553-51-101-98- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई)	मूल	2,50.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,50.00				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2501-06-101-99- समेकित ग्रामीण विकास योजना सहित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम आजीविका) (99-सामान्य योजना)	मूल	15,00.00	38,91.50	40,40.92	(+)1,49.42	निधियों के आवर्धन के सही व विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	23,91.50				
2501-06-789-99- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम आजीविका)	मूल	15,00.00	36,63.12	36,63.12	0	भारत सरकार से अधिक निधियों की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रावधान का आवर्धन किया गया।
	पुनर्वि0	21,63.12				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-94- पिछड़े वर्ग की चौपालों के निर्माण के लिए सहायता नाम बदलकर हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.जी.वी.वाई.)	मूल	1,00,00.00	1,48,71.96	1,48,71.96	0	प्रावधान का आवर्धन स्वर्ण जयन्ती के अन्तर्गत विकास कार्यो पर अधिक व्यय को पूरा करने के कारण हुआ।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि0	28,71.96				
2515-51-196-99- जिला परिषद के लेखे बनाना नाम बदलकर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय तथा जिला परिषद के कर्मचारियों के वेतन अदायगी हेतु अमला	मूल	66,94.01	75,71.38	73,03.68	(-)2,67.70	₹2,67.70 लाख की बचत के दृष्टिगत प्रावधान का आवर्धन मानदेय की स्वीकृति के लिए अधिक योग्य कर्मचारियों को कवर करने के लिए तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के द्वारा हुआ जो पदों के रिक्त रहने से हुई बचत होने के कारण अधिक साबित हुआ जिससे कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,97.15				
	पुनर्वि0	6,80.22				

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-98- सामुदायिक विकास (96-जिला और ब्लॉक अमला)	मूल	30.00	18.61	18.61	0	न्यायालयों की फीस के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11.39				

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

(6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4515-51-101-99- बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए हरियाणा ग्राम उदय योजना	मूल	12,00,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)12,00,00.00				

(मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,26,21,85	3,37,41,61	3,28,26,08	(-)9,15,53
पूरक	1,11,19,76			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

9,30,12

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	2,88	(-)2,12
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

2,12

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,28,71,50	3,35,58,50	2,90,36,03	(-)45,22,47
पूरक	2,06,87,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

45,22,47

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹9,15.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹9,30.12 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

- (2) ₹9,15.53 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्तूबर 2017 एवं मार्च 2018 में प्राप्त किया गया ₹1,11,19.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-001-97-मुख्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की विभिन्न शाखाओं हेतु योजना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,50.00	22.14	22.14	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः सगणकीकरण के अन्तर्गत कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने तथा व्यावसायिक सेवाओं की कम मांग की प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,27.86				
2425-51-001-98- जिला स्तर पर आर.सी.एस. कार्यालय का सुदृढीकरण	मूल	46,88.30	38,47.56	38,51.60	(+) 4.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,40.74				
2425-51-101-99- क्षेत्रीय अमला मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय का सुदृढीकरण	मूल	1,37.00	94.80	94.80	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)42.50				
2425-51-107-74- केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के अन्तर्गत सहकारिता समितियों को आर्थिक सहायता	मूल	30.00	2.06	2.06	0	निधियों का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)27.94				
2425-51-107-79- ग्रामीण भण्डारण आई.सी.डी.पी.	मूल	1,27.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से निधियों की स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,27.00				

228
अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-83- मशीनरी एवं औजारों की खरीद हेतु श्रम संगठन को सहायता	मूल	25.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण श्रम सहकारी समितियों के दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 25.00				
2425-51-107-85- हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं हरको बैंक को वसूली प्रोत्साहन हेतु एक मुश्त योजना	मूल	5,00.00	0	0	0	वित्त विभाग हरियाणा के द्वारा योजना बन्द करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
2425-51-107-94- महिला सहकारी समितियों को सहायता	मूल	80.00	30.00	30.00	0	निधियों का अभ्यर्पण जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
2425-51-107-97- एकीकृत सहकारिता विकास कार्यक्रम	मूल	1,98.40	72.91	72.91	0	निधियों का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा कम निधियों की स्वीकृति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,25.49				
2425-51-108-97- सहकारी समितियों को फल तथा सब्जियां उगाने हेतु (सब्सिडी) अनुदान प्रदान करना	मूल	50.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-) 50.00				
2425-51-277-98- सदस्य, शिक्षा तथा नेतृत्व	मूल	4,00.00	3,50.00	3,50.00	0	निधियों का अभ्यर्पण हरियाणा राज्य सहकारी समिति एपैक्स बैंक प्रसंग से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				

अनुदान संख्या 33-जारी

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-89- अल्पविधि कर्जे फसल पर ब्याज दर में छूट हेतु	मूल	1,00,00.00	1,20,00.00	1,20,00.00	0	योजना के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन हरियाणा राज्य सहकारी समिति एपैक्स बैंक से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	7,69.76				
	पुनर्वि०	12,30.24				

पूजीगत

- (5) ₹45,22.47 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, ₹20,687 लाख का अक्टूबर 2017 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (6) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-95- श्रम एवं निर्माण सहकारिताओं को हिस्सा पूजी	मूल	46.00	9.60	9.60	0	निधियों का अभ्यर्पण श्रम सहकारी समितियों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)36.40				
4425-51-107-85- शहरी सहकारी बैंको को हिस्सा पूजी	मूल	2,00.00	1,40.00	1,40.00	0	निधियों का अभ्यर्पण शहरी सहकारी बैंकों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)60.00				

230
अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4425-51-107-86- गृह/प्रसंग को हिस्सा पूंजी	मूल	2,50.00	1,50.00	1,50.00	0	निधियों का अभ्यर्पण गृह प्रसंग से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
4425-51-107-93- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चण्डीगढ़	मूल	3,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हरियाणा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंको से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,00.00				
4425-51-107-96- प्राथमिक सहकारी समिति तथा कृषि ग्रामीण विकास को हिस्सा पूंजी के लिए सरकारी अनुदान	मूल	3,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण जिला सहकारी प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,00.00				
4425-51-107-97- हरको बैंक को हिस्सा पूंजी के लिए सरकारी अनुदान	मूल	50,00.00	25,97.00	25,97.00	0	निधियों का अभ्यर्पण सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी एपैक्स बैंक की बढ़ी हुई 25 प्रतिशत की भुगतान की गई पूंजी में निधियों के हिस्सा न देने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)24,03.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4425-51-108-74- राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निम्न प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी	मूल	5,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
4425-51-108-79- फल तथा सब्जी समितियों को हिस्सा पूंजी	मूल	25.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत दावों की प्राप्ति न होने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25.00				
4425-51-108-88- विपणन सहकारिताओं की हिस्सा पूंजी में सरकारी योगदान	मूल	1,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों के दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
4425-51-108-94- एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना	मूल	10,06.50	3,23.43	3,23.43	0	निधियों का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप न दिए जाने के कार्य की स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,83.07				

अनुदान संख्या-34-परिवहन

(मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर, 3053-नागर विमानन, 3055-सड़क परिवहन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	22,84,47,15	22,84,47,15	20,07,09,28	(-)2,77,37,87
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

2,78,36,80

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,72,35,50	2,72,35,50	2,26,71,87	(-)45,63,63
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

45,63,63

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹2,77,37.87 लाख की उपलब्ध बचत में से, 31 मार्च 2018 को ₹2,78,36.80 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-34-जारी

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102-99- निरीक्षण अमला	मूल	25,84.90	23,50.16	22,82.58	(-)67.58	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, महंगाई भत्ते कम देने, नए वाहन की खरीद की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ जो भाड़ों और डाक प्रभारों के द्वारा अधिक व्यय प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,34.74				
3053-80-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	1,55.50	1,19.77	1,19.77	0	निधियों के अभ्यर्पण के सही व विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)35.73				
3055-51-001-99- केन्द्रीय कार्यालय (98-स्थापना व्यय)	मूल	12,19.00	10,55.41	10,55.41	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो कि टिकटों को छपवाने के मुद्रण तथा विविध मदों की दरों के बढ़ने के कारण कार्यालय व्यय तथा अधिक अनुबंधित अमले पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,63.59				

अनुदान संख्या-34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3055-51-001-99- केन्द्रीय कार्यालय (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	2,00.00	1,21.61	1,21.61	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम्प्यूटर मदों की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)78.39				
3055-51-201-97- सी-अनुरक्षण एवं मरम्मत	मूल	3,45,50.00	2,61,75.03	2,61,75.03	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, रख- रखाव पर कम व्यय तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)83,74.97				
3055-51-201-98- 'बी' परिचालन	मूल	16,87,70.00	15,10,52.55	15,12,19.05	(+)1,66.50	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः बसों द्वारा कम यात्रा करने, बेड़े की ताकत में कमी, अनुबन्धित अमलों में कमी, पदों के रिक्त रहने तथा टोकन टैक्स तथा अन्य करों में कटौती के कारण हुआ जो वेतन के भुगतान तथा समयोपरि दरों में बढ़ौत्तरी तथा अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ। ₹1,66.50 के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,77,17.45				

अनुदान संख्या-34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3055-51-201-99- 'ए' प्रबन्धन	मूल	94,90.00	83,69.64	83,69.64	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,20.36				
3055-51-800-99- 'ए' प्रबन्धन	मूल	2,72.50	2,06.66	2,06.66	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)65.84				

पूँजीगत

(3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई (जो कुछ अन्य शीर्षों में आधिक्य के कारण प्रतिसन्तुलित हुई):-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5053-60-052-99- अतिरिक्त कलपुर्जे, वायुयान तथा अन्य उपकरणों की खरीद	मूल	4,40.50	1,29.66	1,29.66	0	निधियों का अभ्यर्पण दो एकल इंजन प्रशिक्षक वायुयान की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,10.84				
5053-60-800-97- निर्माण तथा भवनों की मरम्मत	मूल	20.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण स्कीम के अन्तर्गत रख-रखाव कार्यों के न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.00				
5055-51-050-77- भूमि की कम खरीद तथा रेगुलेटरी विंग हेतु भवन का निर्माण	मूल	16,00.00	94.24	94.24	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्कीम के अन्तर्गत कार्य करने की स्वीकृति न मिलने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)15,05.76				

अनुदान संख्या-34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5055-51-102-77- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	1,80,00.00	95,71.98	95,71.99	(+)0.01	निधियों का अभ्यर्पण चालकों की कमी के कारण नई बसों की खरीद न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)84,28.02				
5055-51-103-76- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	1,00.00	3.83	3.83	0	निधियों का अभ्यर्पण मशीनरी एवं उपकरण की कम खरीद होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)96.17				
5055-51-800-77- चालक प्रशिक्षण विद्यालय	मूल	50.00	18.99	18.99	0	निधियों का अभ्यर्पण चालक प्रशिक्षण विद्यालय हेतु मदों की कम खरीद होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)31.01				

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5055-51-050-78- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	70,00.00	1,28,46.04	1,28,46.04	0	प्रावधान का आवर्धन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार तथा जनता की अधिक मांग के कारण बस अड्डों तथा बस कतार शरणस्यता के निर्माण हेतु भूमि की खरीद होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	58,46.04				

अनुदान संख्या 34-जारी

5. अनुदान के अन्तर्गत व्यय में अंशदित किए ₹4,375 लाख और आरक्षित निधि में से लिए गए ₹7,550 लाख शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	1.4.2017 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2017-18 के दौरान अंशदान	वर्ष 2017-18 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	2017-18 के दौरान व्यय	31 मार्च 2018 को शेष
(₹लाख में)						
(1) '8115' मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि नवीनीकरण '103' मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि (मोटर वाहन) बसों, मशीनरी, फर्नीचर आदि के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	4,12,54.17	43,75.00	45,43.82	5,01,72.99	75,50.00	4,26,22.99
(2) '8121' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि '101' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि सरकार व्यावसायिक विभाग सेवारत गाड़ियों को दुर्घटनाओं के कारण तीसरी पार्टी के दावों और भारी मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए	2,75.61	25.00	30.32	3,30.93	25.00	3,05.93

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि मोटर परिवहन में अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति के अंकित मूल्य पर निर्दिष्ट दरों से किए जाते हैं। निधि में संचित राशि पर ब्याज को भी मोटर परिवहन दुर्घटना आरक्षित निधि में जमा जाता है।

निधियों में से वास्तविक व्यय को पहले इस अनुदान के नामें डाला जाता है। बाद में, वर्ष के लेखें बन्द करने से पहले व्यय निधियों को अन्तरित कर दिया जाता है।

निधियों के लेन देन का लेखा वर्ष 2017-18 के वित्त लेखें की विवरणी संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 35-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,54,10	4,54,10	2,82,92	(-)1,71,18
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,71,18

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	67,20,00	67,20,00	16,71,99	(-)50,48,01
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

50,48,01

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ:-

राजस्व

(1) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3452-01-101-99- पर्यटन गतिविधियों में विस्तार तथा ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशीकरण	मूल	1,50.00	71.94	71.94	0	निधियों का अभ्यर्पण हरियाणा पर्यटन निगम से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)78.06				

अनुदान संख्या 35-पर्यटन-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3452-80-800-98- खाद्य शिल्प संस्थान फरीदाबाद	मूल	18.00	4.50	4.50	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान जारी न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13.50				
3452-80-800-99- भोजन प्रबन्ध संस्थान पानीपत	मूल	58.00	14.50	14.50	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत की निकासी सहायता अनुदान न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)43.50				

पूँजीगत

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-01-101-88- स्वदेश दर्शन योजना हेतु परियोजना	मूल	20,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार के नए निधियों की पद्धति के अनुसार निधियां को सीधे ही जारी करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20,00.00				
5452-01-101-91- राज्य में पर्यटन स्थलों पर मल्टीमीडिया/ लेजर शो के विकास हेतु योजना	मूल	2,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या 35-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-01-101-92- गंतव्य के रूप में महेन्द्रगढ़-माधोगढ़ हेतु पर्यटक संसाधन विकास	मूल	2,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
5452-01-101-95- मेगा सर्किट के रूप में यमुनानगर पंचकूला-पाँटा साहिब के लिए संसाधन विकास	मूल	1,00.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
5452-01-101-96- गंतव्य के रूप में पंचकूला हेतु पर्यटक संसाधन विकास	मूल	1,00.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
5452-01-101-98- गंतव्य के रूप में हिसार हेतु पर्यटक संसाधन विकास	मूल	2,00.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
5452-01-101-99- मेजर सर्किट के रूप में पानीपत, कुरुक्षेत्र पिंजौर हेतु पर्यटक संसाधन विकास	मूल	1,00.00	0	0	0	योजना के लागू न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
5452-80-800-92- स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास	मूल	50.00	0	0	0	क्रियान्वयन एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				

अनुदान संख्या 35-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-80-800-93- आधुनिकीकरण स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान ट्रेनिंग का उन्नयन	मूल	5,00.00	4,45.38	4,45.38	0	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड से समय पर निधियों के जारी करने के प्रस्ताव प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)54.62				
5452-80-800-94- जिला/उप मण्डल एवं अन्य महत्वपूर्ण शहर/स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास	मूल	16,00.00	2,83.60	2,83.60	0	क्रियान्वयन एजेंसी से निधियों को जारी करने के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,16.40				
5452-80-800-97- पिंजौर में पर्यटक सुविधाएँ	मूल	50.00	0	0	0	क्रियान्वयन एजेंसी से निधियों को जारी करने के प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)50.00				
5452-80-800-99- बड़खल झील पर होलीडे तथा मनोरंजन	मूल	70.00	33.20	33.20	0	क्रियान्वयन एजेंसी से निधियों को जारी करने के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36.80				

(मुख्य शीर्ष-2051-संघ लोक सेवा आयोग, 2055-पुलिस, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	38,66,06,36	41,18,83,75	36,00,87,69	(-)5,17,96,06
पूरक	2,52,77,39			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,16,86,26

प्रभारित

मूल	1,20,00	1,20,00	43,15	(-)76,85
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

53,39

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,55,00,00	3,08,00,00	2,25,84,92	(-)82,15,08
पूरक	53,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

82,15,08

टिप्पणियाँ व टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹5,17,96.06 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, ₹1,09.80 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹5,17,96.06 लाख की बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹2,52,77.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-003-96- पुलिस कर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण	मूल	1,72.69	0	0	0	योजना के जारी न रहने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,72.69				
2055-51-101-96- साइबर अपराध पुलिस थाने/सैल	मूल	1,44.00	12.54	12.54	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, तकनीकी अनुबन्ध कर्मचारियों की कम भागीदारी और कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,31.46				
2055-51-109-95- हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	मूल	0	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के जुप्लीकेशन से बचने के लिए 100 परियोजना में विलय के कारण था जिनका उद्देश्य समान था ।
	पूरक	8,68.50				
	पुनर्वि0	(-)8,68.50				
2055-51-109-96- हरियाणा कैडेट कोर	मूल	3,67.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से संशोधित दिशा-निर्देशों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पूरक	1,53.65				
	पुनर्वि0	(-)5,20.65				
2055-51-109-97- विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक	मूल	1,29.19	1,15.10	1,15.10	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने तथा यात्रा व्यय के लिए कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पूरक	53.82				
	पुनर्वि0	(-)67.91				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-109-98- सड़क सुरक्षा के लिए व्यय	मूल	25,38.00	4,79.36	4,78.86	(-)0.50	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना के बंद करने के कारण हुआ जिसके फलस्वरूप सड़क सुरक्षा कोष में कम निधियाँ आबंटित की गईं।
	पुनर्वि0	(-)20,58.64				
2055-51-109-99- जिला पुलिस बल	मूल	28,94,42.00	26,12,45.30	26,07,73.83	(-)4,71.47	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वाहनों की कम मरम्मत, अन्य प्रभार के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय अपनाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति व अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ जो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पैट्रोल, तेल व स्नेह द्रव्य तथा मजदूरी पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पूरक	2,08,61.03				
	पुनर्वि0	(-)4,90,57.73				
2055-51-111-99- रेलवे तथा कमाण्डो बल	मूल	1,15,36.04	1,01,78.95	1,01,79.00	(+)0.05	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत के कम दावों, महंगाई भत्तों की कम अदायगी जो पदों के रिक्त भरने के कारण अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)13,57.09				
2055-51-114-99- बेतार तथा कम्प्यूटर (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	2,50.00	2,48.98	2,48.98	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत कम व्यय करने के कारण हुआ।
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि0	(-)30,01.02				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-115-99- उपकरणों की खरीद	मूल	37,98.00	17,47.00	22,72.04	(+)5,25.04	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुआ। ₹5,25.04 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)20,51.00				
2055-51-116-98- क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	7,78.07	0	0	0	राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के स्थापित न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।
	पुनर्वि0	(-)7,78.07				
2055-51-116-99- फोरेंसिक विज्ञान- प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	18,66.20	13,98.83	12,28.18	(-)1,70.65	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः वर्दी सामान की कम खरीद, व महंगाई भत्ते की कम अदायगी और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण था जो पदों को भरने के कारण आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,67.37				
2055-51-800-98- हरियाणा पुलिस आवास निगम को ब्याज तथा सहायता अनुदान की वापसी	मूल	1,10,00.00	90,09.04	90,09.04	0	₹19,90.96 लाख के सही व विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)19,90.96				
2070-51-106-98- सिविल सुरक्षा का नवीनीकरण	मूल	2,44.73	0	0	0	₹2,44.73 लाख के समस्त अभ्यर्पण के सही व विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं। विशिष्ट कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)2,44.73				

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-106-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	2,72.90	2,88.61	2,88.14	(-)0.47	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा स्थिर टैकों की मरम्मत न होने के कारण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि०	(-)84.29				
2070-51-107-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	23,68.00	22,74.23	22,73.20	(-)1.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कुछ वस्तुओं व स्टोर सामान की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि०	(-)2,93.77				

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-001-99- केन्द्रीय पुलिस कार्यालय तथा रेंजिज	मूल	20,82.98	24,02.49	24,07.60	(+)5.11	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ जो महंगाई भत्ते के कम देने के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।
	पूरक	10.00				
	पुनर्वि०	3,09.51				
2055-51-003-97- भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया (रोहतक)	मूल	3,68.00	5,22.69	5,22.69	0	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ जो महंगाई भत्ते के कम देने के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।
	पूरक	20.00				
	पुनर्वि०	1,34.69				

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-98- अपराध संबंधी कानून व्यवस्था	मूल	25,68.51	42,28.04	42,28.04	0	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने को भरने के कारण हुआ जो महंगाई भत्ते के कम देने के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि०	16,59.53				
2055-51-104-99- हरियाणा सशस्त्र पुलिस	मूल	1,58,03.71	2,21,39.67	2,21,33.95	(-)5.72	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ जो अवकाश यात्रा के कम दावों की प्राप्ति तथा कम महंगाई भत्ता देने के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि०	63,35.96				
2055-51-113-99- पुलिस कल्याण	मूल	4,00.00	6,05.00	6,05.00	0	₹205 लाख के आवर्धन के सही व विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	2,05.00				
2055-51-114-99- बेतार तथा कम्प्यूटर (98-स्थापना व्यय)	मूल	81,13.65	99,85.52	99,85.51	(-)0.01	प्रावधान का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ जो अवकाश यात्रा के कम दावों की प्राप्ति तथा कम महंगाई भत्ता देने के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।
	पूरक	0.39				
	पुनर्वि०	18,71.48				

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-109-99- जिला पुलिस बल	मूल	1,20.00	66.61	43.15	(-)23.46	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मोटर दुर्घटना दावा टिब्यूनल मामलों की कम प्राप्ति तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कम स्वीकृति की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹23.46 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)53.39				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (6) ₹82,15.08 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त किया गया ₹5,300 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (7) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207-97- पुलिस स्टेशन	मूल	2,00,00.00	1,53,65.87	1,53,65.87	0	निधियों का अभ्यर्पण सरकार से वित्तीय मंजूरी के प्राप्त न होने के कारण हुआ।
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि0	(-)76,34.13				

(मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	49,47,05	71,90,55	33,76,25	(-)38,14,30
पूरक	22,43,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

37,99,80

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹38,14.30 लाख की समस्त बचत में से, ₹14.50 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹38,14.30 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹22,43.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-102-98- जिला अमला	मूल	10,87.50	8,92.65	8,84.70	(-)7.95	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)1,94.85				
2015-51-103-98- मतदाता सूचियों का मुद्रण	मूल	2,50.00	1,91.50	1,90.15	(-)1.35	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)58.50				

अनुदान संख्या-37जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-105-98- उप चुनाव	मूल	2,50.00	0	0	0	लोक सभा के उप-चुनाव न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।
	पुनर्वि0	(-)2,50.00				
2015-51-106-98- उप चुनाव	मूल	2,06.00	0	0	0	हरियाणा विधान सभा के उप-चुनाव न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।
	पुनर्वि0	(-)2,06.00				
2015-51-106-99- आम चुनाव	मूल	25.00	4.15	4.09	(-)0.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2014 के कम आकस्मिक बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.85				
2015-51-108-51- मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना	मूल	1,51.70	20.10	19.39	(-)0.71	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से फोटो पहचान पत्र के कम आकस्मिक बिलों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,31.60				

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के चार मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-98- पंचायत चुनाव कराने हेतु क्षेत्रीय अमला	मूल	2,32.40	86.45	86.45	0	निधियों का अभ्यर्पण सरकार द्वारा वार्डबन्दी को पूरा न करने के कारण नगरपालिकाओं के चुनाव में देरी के कारण हुआ।
	पूरक	3.00				
	पुनर्वि0	(-)1,48.95				

अनुदान संख्या-37-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-99- पंचायत चुनाव करवाने हेतु मुख्यालय अमला	मूल	5,99.70	4,27.42	4,27.41	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण डिजाईन और पदों के खाली रहने के कारण इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न खरीदने के कारण हुआ ।
	पूरक	22,28.00				
	पुनर्वि०	(-)24,00.28				
2015-51-102-99- मुख्यालय अमला	मूल	3,82.70	3,46.71	3,44.52	(-)2.19	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रखने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पूरक	8.00				
	पुनर्वि०	(-)43.99				
2015-51-103-99- मतदाता सूचियों को तैयार करना	मूल	17,48.50	14,20.61	14,18.40	(-)2.21	निधियों का अभ्यर्पण बूथ स्तर के अधिकारियों को मानदेय का कम भुगतान तथा कम आकस्मिक बिलों की प्राप्ति के कारण हुआ ।
	पूरक	4.50				
	पुनर्वि०	(-)3,32.39				

अनुदान संख्या-38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति

(मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति सफाई, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	19,41,66,00	19,41,66,00	17,03,64,72	(-)2,38,01,28
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

2,33,64,17

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	14,43,18,00	14,43,18,02	11,69,20,31	(-)2,73,97,71
पूरक	2			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

3,60,94,14

टिप्पणियां एवं टीकाएं: -

राजस्व

- (1) ₹2,38,01.28 लाख की कुल बचत में से, ₹4,37.11 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-96- कार्यकारी अभियन्ता एवं उनका स्थापना नियमित/स्थाई किया गया मैकेनिकल अमला	मूल	6,20,21.00	5,07,65.41	5,02,93.35	(-)4,72.06	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹4,72.06 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,12,55.59				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-97- कार्यकारी अभियन्ता तथा उसकी स्थापना	मूल	1,34,65.00	1,04,89.48	1,04,89.48	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)29,75.52				
2215-01-001-98- अधीक्षक अभियन्ता एवं उसकी स्थापना	मूल	16,96.00	12,72.32	12,72.32	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक कम दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,23.68				
2215-01-001-99- मुख्यालय अमला- मुख्य अभियन्ता तथा उसकी स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	19,94.00	15,80.44	15,80.44	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति से हुआ। जो अनुबन्धित सेवाओं पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,13.56				
2215-01-052-99- मशीनरी एवं उपकरण का परिचालन एवं रख- रखाव	मूल	40.00	0	0	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)40.00				
2215-01-101-94- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संस्थागत भवनों/अधिकारियों के आवासों का रख- रखाव	मूल	1,00.00	66.70	66.70	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत रख-रखाव कार्य के लिए दरों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)33.30				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-95- रिजर्व भण्डार का रख- रखाव	मूल	1,00.00	0	0	0	सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,00.00				
2215-01-101-96- कार्य परिचालन तथा अनुरक्षण शहरी बाढ़ जल निकासी कार्य	मूल	5,50.00	4,14.01	4,14.01	0	निधियों का अभ्यर्पण बाढ़ जल निकासी पर रख-रखाव की कम माँग के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,35.99				
2215-01-101-99- शहरी जल आपूर्ति एवं मल-निकास का रख- रखाव (97-नहरी जल प्रभार)	मूल	4,00.00	1,61.72	1,61.72	0	निधियों का अभ्यर्पण सिंचाई विभाग के साथ कच्चे जल प्रभारों का मिलान न करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,38.28				
2215-01-102-95- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	मूल	14,80.00	2,84.90	2,85.50	(+)0.60	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)11,95.10				
2215-01-789-97- प्रचालन एवं एस.सी.एस.पी. के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी के तहत रख-रखाव	मूल	5,20.00	2,22.91	2,22.91	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से समतुल्य अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,97.09				
2215-01-789-98- शहरी क्षेत्रों से इन्दिरा गाँधी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रख- रखाव	मूल	6,00.00	4,91.46	4,91.46	0	निधियों का अभ्यर्पण प्रतिष्ठानों के रख- रखाव पर कम व्यय तथा उर्जा प्रभारों के बिजली वितरण कम्पनियों से समन्वय न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,08.54				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-789-99- शहरी क्षेत्रों से इन्दिरा गाँधी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रख-रखाव	मूल	15,00.00	10,96.18	10,96.18	0	निधियों का अभ्यर्पण प्रतिष्ठानों के रख- रखाव पर कम व्यय तथा उर्जा प्रभागों के बिजली वितरण कम्पनियों से समन्वय न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,03.82				
2215-01-799-51- उच्चत	मूल	6,80.00	0	18.79	(+)18.79	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण ट्यूबवैल को लगवाने पर व्यय न करने तथा स्टॉक के विरुद्ध मैकेनिकल डिवीजनों द्वारा कम मशीनरी की खरीद के द्वारा हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,80.00				
2215-01-800-99- औजार तथा यंत्र	मूल	33.00	0	0	0	औजारों तथा यंत्रों के अनुरक्षण हेतु आवश्यकता न होने के कारण समस्त निधियाँ अभ्यर्पित हुई।
	पुनर्वि0	(-)33.00				

पूँजीगत

- (3) ₹2,73,97.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹3,60,94.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-94- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	मूल	70,00.00	15,46.26	15,46.26	0	निधियों का अभ्यर्पण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के द्वारा परियोजनाओं की देरी से स्वीकृति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)54,53.74				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-86- ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति तथा मल निकास कार्य के लिए भूमि का मुआवजा	मूल	50,00.00	20,82.59	20,82.59	0	निधियों का अभ्यर्पण माननीय न्यायालय के द्वारा नुकसान भरपाई के कम आदेशों को पास करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)29,17.41				
4215-01-102-93- ग्रामीण जलापूर्ति (93-नाबार्ड)	मूल	1,20,00.00	91,10.83	91,10.83	0	निधियों का अभ्यर्पण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देरी से प्राप्ति तथा वन, भवन एवं सडकों तथा रेलवे विभाग द्वारा निपटान न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)28,89.17				
4215-01-102-96- मरुभूमि विकास कार्यक्रम	मूल	75,00.00	54,28.81	54,28.81	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा योजना को (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) में शामिल होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)20,71.19				
4215-01-102-98 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 91-एन.आर.डी. डब्ल्यू. पी. (जल गुणवता रासायनिक संदूषित क्षेत्र)	मूल	12,00.00	4,30.24	4,30.24	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों को जारी करने के लिए स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)7,69.76				
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 93- एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी (जल गुणवता अनुश्रवण निगरानी डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.)	मूल	5,00.00	1,99.87	1,99.87	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अनुदान के जारी हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)3,00.13				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-98 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 94-एन.आर.डी. डब्ल्यू. पी.(सहायक क्रिया कलाप)	मूल	8,35.00	3,10.04	3,10.04	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के जारी हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने तथा एन.आर.डी. डब्ल्यू पी.के विलय होने (कवरेज योजना) के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,24.96				
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 97-एन.आर.डी. डब्ल्यू. पी निरंतरता (केन्द्रीय)	मूल	12,35.00	3,57.58	3,57.58	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के जारी हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने तथा एन.आर.डी.डब्लू पी.के विलय होने (कवरेज योजना) के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,77.42				
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति 99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना अधिकृत (केन्द्रीय)	मूल	75,00.00	49,43.15	49,43.15	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के जारी हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)25,56.85				
4215-01-789-91- एन.आर.सी.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	मूल	92.00	0	0	0	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण समस्त निधियों अभ्यर्पित हुई।
	पुनर्वि0	(-)92.00				
4215-01-789-92- अनुसूचित जातियों हेतु डी.डी.पी. के अन्तर्गत विशेष घटक योजना	मूल	25,00.00	17,58.31	17,60.19	(+)1.88	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान जारी हेतु स्वीकृति की प्राप्ति न होने तथा योजना के एन.आर.डी.डब्लू.पी. में विलय होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)7,41.69				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-789-93- एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	30,20.00	25,99.14	25,99.14	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,20.86				
4215-01-789-96- ग्रामीण जलापूर्ति में बृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	70,00.00	59,03.61	59,03.61	0	निधियों का अभ्यर्पण कुछ परियोजनाओं के देशी से स्वीकृति के फलस्वरूप काम देशी से शुरू होने के कारण हुआ
	पुनर्वि0	(-)10,96.39				
4215-01-789-97- नाबार्ड के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	30,00.00	21,76.63	21,76.63	0	निधियों का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के देशी से स्वीकृति की प्राप्ति होने तथा वन, भवन तथा सड़कें तथा रेल विभाग द्वारा निपटान न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)8,23.37				
4215-01-789-98- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के प्रभुत्व बस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	15,00.00	9,44.38	9,44.38	0	निधियों का अभ्यर्पण पिछले वर्ष अधिकतर एस.सी.एस.पी. परिवारों को समाविष्ट करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान कम व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,55.62				
4215-01-789-99- शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति प्रभुत्व बस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	5,00.00	3,72.84	3,72.84	0	निधियों का अभ्यर्पण शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा 18 नगरों को शहरी जलापूर्ति उपलब्ध कराने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,27.16				

अनुदान संख्या-38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-799-99- भण्डार (98-क्रेडिट स्टॉक)	मूल	5,00.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण सामग्री का रिजर्व भण्डार से कार्यों को हस्तांतरण करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
4215-01-800-98- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अधिगृहित भूमि का वार्षिक भुगतान	मूल	4,00.00	2,96.09	2,96.09	0	निधियों का अभ्यर्पण नुकसान भरपाई के भुगतान हेतु कुछ जमीन मालिकों द्वारा अपने बैंक खातों की जानकारी देने की दिखाई गई अनिच्छा के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,03.91				
4215-01-800-99- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सस्थांगत सुदृढीकरण	मूल	3,00.00	2,69.50	2,69.50	0	निधियों का अभ्यर्पण परियोजनाओं के अनुमोदन में देरी के कारण व परियोजनाओं के देरी से निष्पादन के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)30.50				
4215-02-101-90- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	मूल	35,50.00	31,62.12	31,62.12	0	भारत सरकार से समतुल्य हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण समस्त निधियाँ अभ्यर्पित हुईं।
	पुनर्वि0	(-)3,87.88				

दोषपूर्ण बजट

(5) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-99- शहरी जल आपूर्ति (99-जल आपूर्ति आवर्धन)	मूल	2,50,00.00	1,63,00.60	2,50,01.36	(+87,00.76	₹87,00.76 लाख के विशाल आधिक्य के दृष्टिगत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 18 नगरों को शहरी जल आपूर्ति हेतु प्रावधान के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)86,99.40				

अनुदान संख्या-39-सूचना तथा प्रचार

(मुख्य शीर्ष- 2205-कला तथा संस्कृति, 2220 सूचना तथा प्रचार, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,63,54,00	1,64,04,01	1,34,49,20	(-)29,54,81
पूरक	50,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

29,46,99

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	40,00,00	50,00,00	49,37,86	(-)62,14
पूरक	10,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

62,14

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ

राजस्व

- (1) ₹29,54.81 लाख की समस्त बचत में से ₹7.82 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई (जो टिप्पणी 3 में उल्लिखित कुछ अन्य शीर्षों में आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई) :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-102-92-हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	10,00.00	4,50.00	4,50.06	(+)0.06	निधियों का अभ्यर्पण उपयोगिता प्रमाण पत्र के उत्पादन न होने तथा प्रधान महालेखाकार हरियाणा द्वारा आपत्ति लगाए जाने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि0	(-)5,50.00				

अनुदान संख्या-39-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-01-105-99- फिल्मों का निर्माण (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,05.00	2,53.09	2,53.09	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः स्टोर मदों की कम खरीद तथा कम महंगाई भत्ते की अनुदान के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को भरे जाने के कारण हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,51.91				
2220-01-105-99- फिल्मों का निर्माण (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	2,45.00	1,21.85	1,21.52	(-)0.33	निधियों का अभ्यर्पण नए कम्प्यूटरों की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,23.15				
2220-60-101-97- प्रदर्शनी	मूल	3,71.00	1,85.39	1,85.39	0	निधियों का अभ्यर्पण सरकारी कार्य के विज्ञापन तथा प्रचार पर कम व्यय के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,85.61				
2220-60-106-99- क्षेत्रीय प्रचार योजना	मूल	38,23.00	32,76.93	32,69.38	(-)7.55	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,46.07				
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (95-हरियाणा एवं साहित्य इतिहास की स्थापना)	मूल	1,50.00	67.50	67.50	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः उपयोगिता प्रमाण-पत्र के उत्पादन न होने तथा वर्ष के अंतिम चरण में खजाना अधिकारी द्वारा बिलों के निपटान न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)82.50				

अनुदान संख्या-39-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-97- सांस्कृतिक क्रिया- कलाओं का विकास	मूल	17,51.00	10,57.62	10,38.03	(-)19.59	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुबंधित अमलों की कम नियुक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कम विज्ञापन तथा स्टाफ के कलाकारों पर कम व्यय होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)6,93.38				

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-60-003-99- अनुसंधान एवं रैफरैन्स अनुभाग	मूल	1,27.00	1,65.49	1,85.09	(+)19.60	प्रावधान का आवर्धन सेवानिवृत्ति पर अधिक व्यय से हुआ जो कि जन संचार के अधिकारियों की कम प्रशिक्षण के कारण बचत के द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।
	पुनर्वि0	38.49				
2220-60-199-99- संवद सोसायटी को सहायतानुदान	मूल	0	50.00	50.00	0	₹49.99 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	0.01				
	पुनर्वि0	49.99				

अनुदान संख्या-40-उर्जा तथा विद्युत

(मुख्य शीर्ष-2801-विद्युत, 2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत पूंजीव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,02,54,00,20	1,05,74,64,20	76,52,47,76	(-)29,22,16,44
पूरक	3,20,64,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

29,22,10,39

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	16,05,34,00	56,00,27,05	54,54,43,76	(-)1,45,83,29
पूरक	39,94,93,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2018)

1,45,83,29

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹29,22,16.44 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 में प्राप्त ₹32,064 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई (जो कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य के कारण प्रतिसंतुलित हुई) नीचे टिप्पणी 3 में दिखाई गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2801-05-800-95-उदय के अंतर्गत हरियाणा वितरण कम्पनियों को अनुदान/सहायता (97-एच. वी. पी. एन. एल. को सहायता अनुदान)	मूल	1,71,00.00	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,71,00.00				

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2801-05-800-95- उदय के अन्तर्गत हरियाणा वितरण कंपनियों को अनुदान/सहायता (98- डी. एच. बी. वी. एन. एल. को सहायतानुदान)	मूल	14,46,65.66	0	0	0	समस्त निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)14,46,65.66				
2801-05-800-95- उदय के अन्तर्गत हरियाणा वितरण कंपनियों को अनुदान/सहायता (99-यू. एच. बी. वी. एन. एल. को सहायतानुदान)	मूल	22,74,84.34	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण निधियों के दूसरे लघु शीर्षों में परिवर्तन करने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)22,74,84.34				
2810-02-001-99- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का प्रशासनिक ढांचा	मूल	2,87.00	2,06.47	2,06.34	(-)0.13	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)80.53				
2810-02-101-99- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का विकास	मूल	2,00.00	1,35.11	1,35.11	0	निधियों का अभ्यर्पण सब्सिडी के वितरण न होने के फलस्वरूप निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)64.89				
2810-02-101-99- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का विकास (99-सामान्य योजना)	मूल	99,21.00	25,04.39	25,04.39	0	निधियों का अभ्यर्पण सब्सिडी के वितरण न होने के फलस्वरूप निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)74,16.61				

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2810-02-789-99- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एल. ई. डी. पर आधारित के सौर लालटेन शिक्षा दीप स्कीम	मूल	1,50.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण 150 वाट सौर गृह प्रकाश प्रणाली के लिए इ-निविदाओं को आमंत्रित करने की अनुमति को देशी से प्राप्त होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,50.00				
3425-60-001-87- ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम (99-राज्य अंश)	मूल	6,92.00	5,59.17	5,53.25	(-)5.92	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,32.83				
3425-60-001-93- टिशू संस्कार तकनीक द्वारा सूक्ष्म प्रजनन उच्चकोटि की रोपण सामग्री	मूल	1,50.00	1,11.24	1,11.24	0	निधियों का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)38.76				

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2801-02-800-99- राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर एच.पी.जी.सी.एल. के लिए बैंक से वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान	मूल	2,00.00	3,06.12	3,06.12	0	₹1,06.12 लाख द्वारा बजट प्रावधान में आवर्धन के सही और विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	1,06.12				

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2801-05-800-99- एच.वी.पी.एन.एल./एच. पी.जी.सी.एल को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता	मूल	62,30,20.00	76,00,00.00	76,00,00.00	0	प्रावधान के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	3,20,64.00				
	पुनर्वि०	10,49,16.00				

पूँजीगत

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4801-05-190-97- यू.एच.बी.वी.एन.एल. को हिस्सा पूँजी	मूल	41,50.00	78,09.76	78,09.76	0	निधियों का अभ्यर्पण मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पूरक	81,28.00				
	पुनर्वि०	(-)44,68.24				
5425-51-600-99- सोनीपत में विज्ञान शहर की स्थापना	मूल	80,00.00	0	0	0	सोनीपत में विज्ञान शहर की स्थापना हेतु जमीन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि०	(-)80,00.00				

(5) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4801-05-190-95- उदय के अन्तर्गत डिसकोम को हिस्सा पूँजी (97-उदय के अन्तर्गत एच.वी.पी.एन.एल. हिस्सा पूँजी)	मूल	0	1,71,00.00	1,71,00.00	0	सही एवं विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं। विशिष्ट कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि०	1,71,00.00				

अनुदान संख्या-40-समाप्त

दोषपूर्ण बजट

(6) दोषपूर्ण बजट का एक मामला, जिसमें अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया गया तथा बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दिया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4801-05-190-96- डी.एच.बी.वी.एन.एल. को शेयर पूंजी	मूल	41,50.00	41,50.00	41,50.00	0	अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनावश्यक प्राप्त किया गया ₹10,94.05 लाख की निधियों का अभ्यर्पण, मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण, विवेकहीन सिद्ध हुआ।
	पूरक	10,94.05				
	पुनर्वि0	(-)10,94.05				

अनुदान संख्या-41-इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

(मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, 4859-दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,25,56,70	1,27,04,60	1,26,97,20	(-)7,40
पूरक	1,47,90			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

7,40

अनुदान संख्या -42-न्याय प्रशासन

(मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,48,52,99	6,74,45,22	5,34,44,25	(-)1,40,00,97
पूरक	1,25,92,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,28,78,96

प्रभारित

मूल	1,22,02,05	1,28,56,28	1,26,74,19	(-)1,82,09
पूरक	6,54,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

1,82,09

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,40,00.97 लाख की समस्त बचत में से, ₹11,22.01 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।
- (2) ₹1,40,00.97 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 एवं मार्च 2018 में प्राप्त किया गया ₹1,25,92.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-99- जिला तथा सत्र न्यायाधीश	मूल	1,95,88.50	2,12,54.01	2,10,71.21	(-)1,82.80	निधियों का अभ्यर्पण 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान सहायता के तहत धन राशि के देर से आबंटन के कारण हुआ ।
	पूरक	1,03,25.73				
	पुनर्वि0	(-)86,60.22				

अनुदान संख्या-42-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-110-99- महाप्रशासक और शासकीय न्यासी (98-स्थापना व्यय)	मूल	63.85	41.95	41.92	(-)0.03	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)21.90				
2014-51-114-98- निदेशक अभियोजन (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	25.00	0.34	3.45	(+)3.11	निधियों का अभ्यर्पण कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)24.66				
2014-51-114-99- महा अधिवक्ता (98-स्थापना व्यय)	मूल	39,75.25	39,02.85	31,10.55	(-)7,92.30	निधियों का अभ्यर्पण कम पेशेवर कर्मचारियों को लगाने, पदों के रिक्त रहने से हुआ जो अधिक अनुबन्धित अमले को लगाने के कारण प्रतिसन्तुलित हुआ। ₹7,92.30 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)72.40				

दोषपूर्ण बजट

- (4) दोषपूर्ण बजट के छः मामले, जिनमें अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया गया तथा पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-96- आदेश वाहक स्थापना अधीनस्थ न्यायाधीश	मूल	43,84.50	38,29.14	38,22.05	(-)7.09	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि0	(-)6,05.36				
2014-51-105-98- आदेश वाहक स्थापना जिला तथा सत्र न्यायाधीश न्यायालय	मूल	1,74.71	1,43.73	1,42.41	(-)1.32	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	6.00				
	पुनर्वि0	(-)36.98				

अनुदान संख्या-42-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम 1996 (95-पीडित मुआवजा)	मूल	4,25.00	4,24.70	4,24.70	0	निधियों का अभ्यर्पण प्रतिपूर्ति के तहत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि0	(-)1,00.30				
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम 1996 (96-ए.डी.आर. केन्द्र)	मूल	0	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के लागू न होने के कारण हुआ।
	पूरक	14,88.00				
	पुनर्वि0	(-)14,88.00				
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम 1996 (98-स्थापना व्यय)	मूल	16,04.50	14,15.19	14,14.98	(-)0.21	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।
	पूरक	81.00				
	पुनर्वि0	(-)2,70.31				
2014-51-114-98- निदेशक अभियोजन (98-स्थापना व्यय)	मूल	72,41.97	67,54.09	66,53.54	(-)1,00.55	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वकीलों को देने वाले कानूनी शुल्क के कम दावों की प्राप्ति तथा अनुबन्धित अमले की कम भागीदारी के कारण हुआ।
	पूरक	2,50.50				
	पुनर्वि0	(-)7,38.38				

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102-99- न्यायाधीश	मूल	12,80.92	9,40.15	9,40.15	0	सही व विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	9.57				
	पुनर्वि0	(-)3,50.34				

(6) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102-98- स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,09,21.13	1,17,34.04	1,17,34.04	0	सही व विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	6,44.66				
	पुनर्वि0	1,68.25				

अनुदान संख्या-43-कारागार

(मुख्य शीर्ष-2056-जेल)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	2,33,31,10	2,57,81,10	2,07,44,33	(-)50,36,77
पूरक	24,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

50,36,76

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

(1) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (रुलाख में)	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुलाख में)	टिप्पणी
2056-51-001-99- मुख्यालय अमला- जेलें	मूल	8,88.45	5,18.21	5,18.23	(+)0.02	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आशवासित करियर प्रगति योजना को अन्तिम रूप न देने तथा कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद के अन्तिम रूप न देने के कारण हुआ । सेवानिवृत्ति, अनुपस्थिति जैसे दिये कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018) ।
	पुनर्वि0	(-)3,70.24				

अनुदान संख्या-43-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2056-51-102-98- जिला जेलें	मूल	1,31.45	2,28.98	2,29.37	(+)0.39	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः जेल कारखानों से सामग्री और आपूर्ति की कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ। सेवानिवृत्ति, अनुपस्थिति जैसे दिये कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	3,00.00				
	पुनर्वि०	(-)2,02.47				
2056-51-102-99- केन्द्रीय जेलें	मूल	1,65.85	1,06.38	1,05.97	(-) 0.41	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः जेल कारखानों से सामग्री और आपूर्ति की कम मांग की प्राप्ति और आश्वासित करियर प्रगति योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि०	(-)59.47				

दोषपूर्ण बजट

- (2) दोषपूर्ण बजट के दो मामले, जिनमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद मर पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया, निम्न दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2056-51-101-99- बोर्सटल संस्थान तथा किशोर कारागार सहित केन्द्रीय जिला हेतु	मूल	2,08,71.25	1,94,36.93	1,94,36.93	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः आश्वासित करियर प्रगति मामलों को अन्तिम रूप न देने, कैदियों की रिहाई और प्रशासकीय स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण हुआ। सेवा निवृत्ति, अनुपस्थिति जैसे दिये गए कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	14,48.00				
	पुनर्वि०	(-)28,82.32				

अनुदान संख्या-43-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2056-51-800-99- जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	10,00.00	1,80.76	1,80.76	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः जेलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 4-जी जैमर को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पूरक	7,02.00				
	पुनर्वि०	(-)15,21.24				

अनुदान संख्या-44- मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(मुख्य शीर्ष-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2202-सामान्य शिक्षा, 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	40,11,03	40,11,03	28,06,98	(-)12,04,05
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

11,56,82

प्रभारित

मूल	51,63	51,63	23,97	(-)27,66
पूरक				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

27,66

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार में)	वास्तविक व्यय (हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (हजार में)
मूल	5,75,00	5,75,00	0	(-)5,75,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

5,75,00

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) ₹12,04.05 लाख की समस्त बचत में से, ₹47.23 लाख अनाभ्यर्पित रहे ।

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2058-51-001-99- नियन्त्रण, मुद्रण एक लेखन सामग्री तथा इसकी स्थापना	मूल	2,21.20	1,84.37	1,84.37	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)36.83				
2058-51-101-99- लेखन सामग्री कार्यालय एवं भण्डार	मूल	8,87.33	4,48.19	4,48.19	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः फोटोस्टेट पेपरों एवं लेखन- सामग्री वस्तुओं की कम खरीद करने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)4,39.14				
2058-51-102-99- फार्मों की आपूर्ति	मूल	71.72	51.46	51.46	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)20.26				
2058-51-103-99- स्थापना तथा लेखन प्रभार	मूल	11,96.53	8,90.40	8,86.26	(-)4.14	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुग्रहपूर्वक के कम दावों की प्राप्ति से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,06.13				
2058-51-105-99- बिक्री डिपो	मूल	62.83	32.33	32.33	0	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)30.50				
2058-51-800-99- टाइप राइटर कार्यशाला	मूल	89.24	66.81	66.80	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से हुआ।
	पुनर्वि0	(-)22.43				
2202-01-108-98- पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन इत्यादि	मूल	13,96.66	11,23.80	10,80.73	(-)43.07	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, बिजली प्रभारों में कम टैरिफ तथा मुद्रण सामान की कम खरीद के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,72.86				

प्रभारित विनियोग

(3) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2058-51-104-98- अन्य राजकीय मुद्रणालय	मूल	51.63	23.97	23.97	0	अभ्यर्पण के कारण जैसे कि, वास्तविक व्यय, विश्वसनीय नहीं है, सही एवं विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)27.66				

पूँजीगत

दत्तमत्त अनुदान

(4) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4058-51-103-98- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	मूल	5,75.00	0	0	0	योजना के अन्तर्गत उच्च शक्ति क्रय समिति द्वारा मशीनरी की दरों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,75.00				

अनुदान संख्या 44-समाप्त

(5) मूल्यहास आरक्षित निधि में से किया गया व्यय-सरकारी मुद्रणालय:-

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में अंशदान अनुदान के अन्तर्गत व्यय ₹13.68 लाख शामिल है। 31 मार्च 2018 को इस निधि के क्रेडिट में बकाया नीचे दर्शाया गया है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन जिसके लिए बनाई गई	आदि शेष 1.04.2017	2017-18 के दौरान अंशदान	वर्ष 2017-18 के दौरान निधि के अन्तर्गत संचय राशि पर ब्याज	निधि में जमा (क्रेडिट) की कुल राशि	2017-18 के दौरान व्यय	31 मार्च 2018 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
8115-104 (1)- मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालय) में मशीनरी और फर्नीचर के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	8,28.22	13.68	52.47	66.15	0	8,94.37

मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालयों) को अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य पर निश्चित दरों के हिसाब से किए जाते हैं। संचित राशियों पर ब्याज भी निधि में जमा (क्रेडिट) किया जाता है।

निधि के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में दिया गया है।

लोक ऋण (सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम)

पूँजीगत

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	99,44,96,96	99,44,96,96	63,38,84,79	(-)36,06,12,17
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

36,06,19,05

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

- (1) ₹36,06,12.17 लाख के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹36,06,19.05 लाख का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6003-51-107-99- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्जे	मूल	65,00,00.00	37,00,00.00	37,00,00.00	0	निधियों का अभ्यर्पण भारतीय स्टेट बैंक से कम कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप कम कर्जों की अदायगी के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)28,00,00.00				
6003-51-110-99- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	मूल	10,00,00.00	79,48.00	79,48.00	0	विनियोग का अभ्यर्पण भारतीय रिजर्व बैंक से कम अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)9,20,52.00				

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6003-51-105-99- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	मूल	2,94,12.97	3,35,28.49	3,35,28.49	0	राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक से अधिक कर्ज प्राप्त होने के कारण कर्जों की अधिक अदायगी के कारण प्रावधान में आवर्धक हुआ था।
	पुनर्वि०	41,15.52				
6004-02-101-51- ब्लाक कर्ज	मूल	26,18.40	87,28.94	87,28.94	0	भारत सरकार से अधिक कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप वर्ष के दौरान अधिक कर्जों की वापसी के कारण प्रावधान आवर्धित हुआ।
	पुनर्वि०	61,10.54				

अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज और पेशगियां

(मुख्य शीर्ष-6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज, 6515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, 6851-ग्राम उद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज, 7465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज इत्यादि)

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	13,26,06,60	16,03,84,10	13,94,89,16	(-)2,08,94,94
पूरक	2,77,77,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2018)

3,19,53,01

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

पूँजीगत

- (1) ₹2,08,94.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को ₹3,19,53.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹2,08,94.94 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अक्टूबर 2017 एवं मार्च 2018 में प्राप्त ₹2,77,77.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6425-51-108-82- एन.सी.डी.सी. की केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को कर्ज	मूल	1,70.00	0	0	0	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,70.00				

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6425-51-108-84- आवास सहकारिताओं को कर्ज	मूल	5,00.00	3,00.00	3,00.00	0	निधियों का अभ्यर्पण आवास प्रसंग से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)2,00.00				
6425-51-108-85- मशीनरी एवं उपकरण की खरीदने हेतु श्रम प्रसंग को सहायता	मूल	75.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण श्रम सहकारी समितियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)75.00				
6425-51-108-99- एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम	मूल	5,57.50	2,28.00	2,28.00	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के तहत परियोजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज दिए जाने बारे कम स्वीकृतियों की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)3,29.50				
6425-51-789-98- अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए सहकारी आवास प्रसंग को कर्ज	मूल	1,00.00	65.00	65.00	0	निधियों का अभ्यर्पण आवास सहकारी समितियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)35.00				
6515-51-102-99- राजस्व अर्जित योजनाओं हेतु ग्रामीण पंचायतों को कर्ज	मूल	1,65.00	32.25	32.25	0	निधियों का अभ्यर्पण योजना के तहत परियोजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)1,32.75				

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6801-51-800-98- आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से एच.पी.जी.सी.एल. के लिए कर्जे	मूल	2,40,00.00	1,85,84.00	0	(-)1,85,84.00	निधियों का अभ्यर्पण ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक द्वारा कर्ज न जारी करने के कारण हुआ। ₹18,584 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)54,16.00				
6860-04-101-95- बिजली सह उत्पादन और सहकारिता चीनी मिलों में एथनॉल संयंत्र की स्थापना	मूल	5,00.00	0	0	0	निधियों का अभ्यर्पण आबकारी विभाग से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के कारण हुआ।
	पुनर्वि0	(-)5,00.00				
7610-51-202-98- मोटर वाहन के क्रय के लिए मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभापति तथा राज्य विधायकों को पेशगियाँ	मूल	7,00.00	1,12.98	1,13.61	(+)0.63	₹5,87.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)5,87.02				
7610-51-800-99- खाद्यान्न की खरीद हेतु अग्रिम	मूल	65,00.00	47,16.15	43,26.91	(-)3,89.24	निधियों का अभ्यर्पण कर्मचारियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुआ। ₹3,89.24 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)17,83.85				

अनुदान संख्या 45-जारी

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6425-51-108-86- किसानों हेतु हरियाणा राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार कर्जे हेतु योजना	मूल	50,00.00	1,50,00.00	1,50,00.00	0	पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धन के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	7,98.50				
	पुनर्वि0	92,01.50				
7610-51-800-97- विवाह उत्सव के लिए अग्रिम		0	0	56.88	(+)56.88	बिना बजट प्रावधान के ₹56.88 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।

दोषपूर्ण बजट

(5) दोषपूर्ण बजट का एक मामला, जिसमें अनावश्यक रूप से अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया गया तथा बाद में पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया, नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6860-04-101-99- सभी सहकारिता चीनी मिलों कैथल महम, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, जीन्द, पलवल, टोहाना, शाहबाद, करनाल को कर्जों का एक मुश्त निपटान	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	2,00,00.00	0	₹10,000 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा अनावश्यक रूप से बजट प्रावधान का आवर्धन, जो पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित किया गया, विवेकहीन सिद्ध हुआ।
	पूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि0	(-)1,00,00.00				

अनुदान संख्या 45-समाप्त

(6) वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन के तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6801-51-205-98- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कर्ज	मूल	6,83,15.00	6,52,62.00	8,87,47.57	(+)2,34,85.57	₹2,34,85.57 लाख के विशाल आधिक्य के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा कम कर्ज जारी करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पूरक	1,69,79.00				
	पुनर्वि0	(-)2,00,32.00				
7610-51-201-98- गृह निर्माण के लिए मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सभापति, अधिकारियों तथा राज्य विधायकों को गृह निर्माण पेशगियाँ	मूल	20,00.00	3,15.00	64,63.79	(+)61,48.79	₹1,685 लाख के निधियों के अभ्यर्पण के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। विश्वसनीय कारण मांगे गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)16,85.00				
7610-51-800-98- त्यौहार पेशगियाँ	मूल	10,00.00	8,06.00	11,39.60	(+)3,33.60	₹3,33.60 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत कर्मचारियों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2018)।
	पुनर्वि0	(-)1,94.00				

(पृष्ठ xiii पर सन्दर्भित)

अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है।

अनुदानों की संख्या और नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	अधिकता (+)	बचत(-)
1	2	3	4	5	6	7
(₹हजार में)						
4-राजस्व	2,54,25,00	0	77,89,66	0	(-)1,76,35,34	0
8-भवन तथा सड़कें	2,00,00	2,00,00,00	11,26	74,03,97	(-) 1,88,74	(-)1,25,96,03
23-खाद्य एवं पूर्ति	2,05,62,00	1,01,48,33,00	1,55,37,38	80,50,49,88	(-)50,24,62	(-)20,97,83,12
26-खान एवं भू-विज्ञान	51,00	0	69	0	(-)50,31	0
27-कृषि	14,50,00	0	0	0	(-)14,50,00	0
34-परिवहन	25,00	89,50,00	25,00	75,50,00	0	(-)14,00,00
38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	22,00,00	0	0	0	(-)22,00,00	0
जोड़	4,99,13,00	1,04,37,83,00	2,33,63,99	82,00,03,85	(-)2,65,49,01	(-)22,37,79,15

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in